खण्ड-216, अंक-10
शनिवार, 19 भाद्रपद, शक संवत् 1882
(10 सितम्बर, 1960 ई0)

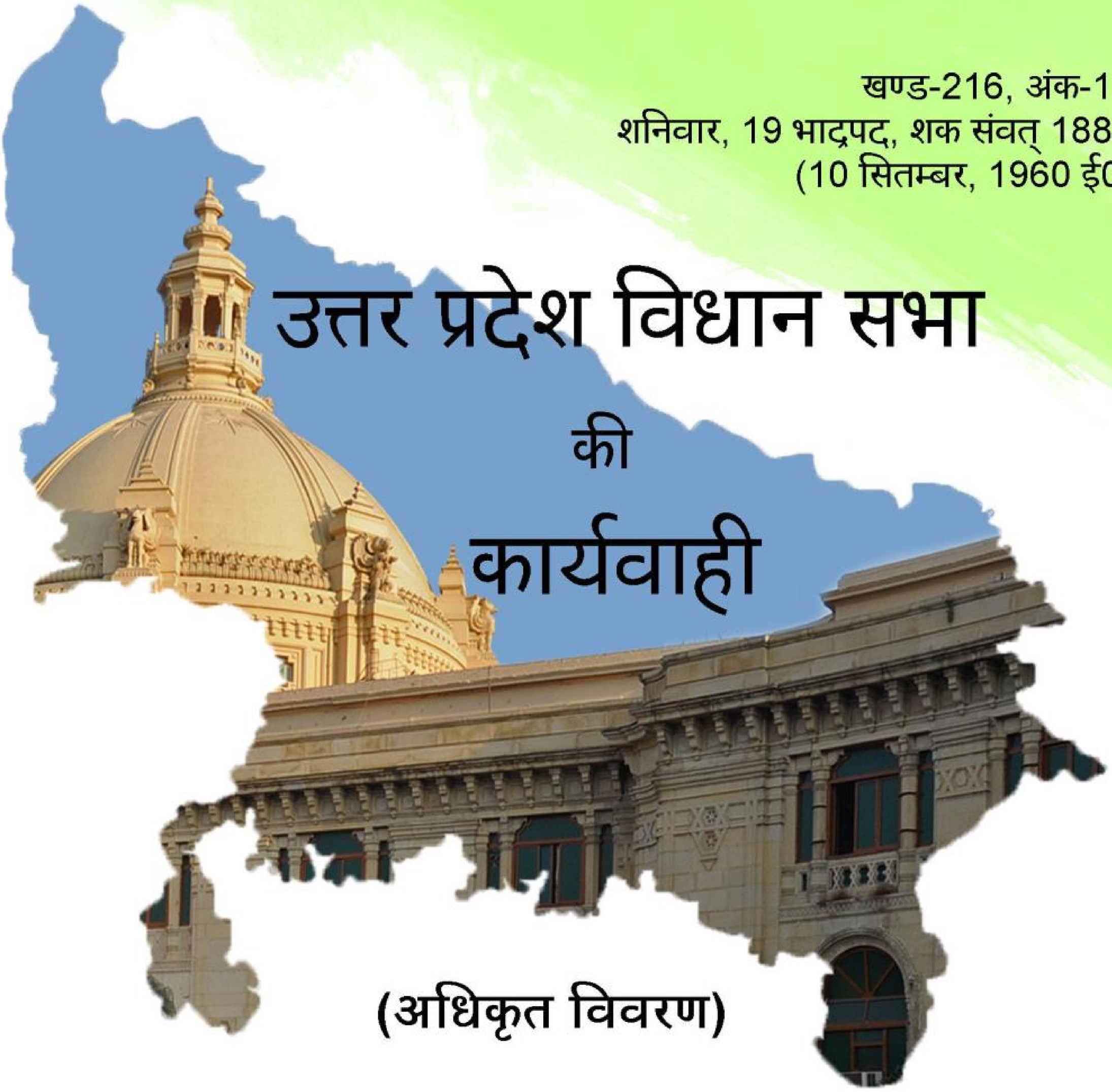

उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

(अधिकृत विवरण)

खण्ड 216 में 10 अंक है

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक:
निदेशक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, लखनऊ , उत्तर प्रदेश (भारत)
१९६१

मूल्य : बिना महसूल 25 पैसे, महसूल सहित 25 पैसे |
वार्षिक चन्दा : बिना महसूल 10 रुपये, महसूल सहित 12 रुपये |

उत्तर प्रदेश विधान सभा

शनिवार, १० सितम्बर, १९६०

विधान सभा की बैठक सभा-मण्डप, लखनऊ में, ११ बजे दिन में अध्यक्ष, श्री आत्माराम गोविन्द खेर, की अध्यक्षता में आरम्भ हुई।

उपस्थित सदस्य—३४०

अक्षयवरसिंह, श्री
अज़ीज़ इमाम, श्री
अतीकुल रहमान, श्री
अनन्तराम वर्मा, श्री
अब्दुल रऊफ़ लारी, श्री
अब्दुल लतीफ़ नोमानी, श्री
अब्दुस्समी, श्री
अभयराम यादव, श्री
अमरनाथ, श्री
अमोलादेवी, श्रीमती
अयोध्याप्रसाद आर्य, श्री
अली जर्रार जाफ़री, श्री
अवधेशकुमार सिनहा, डाक्टर
अवधेशप्रतापसिंह, श्री
अहमद बख्श, श्री
आत्माराम पांडेय, श्री
इरतज़ा हुसैन, श्री
इस्तफ़ा हुसैन, श्री
उग्रसेन, श्री
उदयशंकर, श्री
उमाशंकर शुक्ल, श्री
उल्फ़तसिंह, श्री
ऊदल, श्री
एस० अहमद हसन, श्री
ओंकारनाथ, श्री
कमरुद्दीन, श्री
कमलकुमारी गोईंदी, कुमारी
कमलेशचन्द्र, श्री
कल्याणचन्द मोहिले, श्री
कल्याणराय, श्री
कामताप्रसाद विद्यार्थी, श्री
किशनसिंह, श्री
कुंवरकृष्ण वर्मा, श्री
केशभानराय, श्री
केशव पांडेय, श्री
केशवराम, श्री
कैलाशकुमारसिंह, श्री
कैलाशनारायण गुप्त, श्री
कैलाशप्रकाश, श्री
कैलाशवती, श्रीमती
कोतवालसिंह भदौरिया, श्री
खजानसिंह चौधरी, श्री
खमानीसिंह, डाक्टर
खयालीराम, श्री
खुशीराम, श्री
गंगाधरजाटव, श्री
गंगाप्रसाद वर्मा, श्री (एटा)
गज्जूराम, श्री
गणेशप्रसाद पांडेय, श्री
गनेशचन्द्र काछी, श्री
गनेशीलाल चौधरी, श्री
गयाप्रसाद श्री
ग़यूर अली ख़ां, श्री
ग़रीबदास, श्री
गुप्तारसिंह, श्री
गुरुप्रसादसिंह, श्री
गेंदादेवी, श्रीमती
गेंदासिंह, श्री
गोकुलप्रसाद, श्री
गोपीकृष्ण आज़ाद, श्री
गोविन्दनारायण तिवारी, श्री
गोविन्दसहाय, श्री
गोविन्दसिंह विष्ट, श्री
गौरीराम गुप्त, श्री
गौरीशंकर राय, श्री
घासीराम जाटव, श्री

चन्द्रदेव, श्री
चन्द्रबली शास्त्री ब्रह्मचारी, श्री
चन्द्रसिंह रावत, श्री
चन्द्रहास मिश्र, श्री
चन्द्रिकाप्रसाद, श्री
चरणसिंह, श्री
चित्तरसिंह निरंजन, श्री
चिरंजीलाल जाटव, श्री
छत्तरसिंह, श्री
छेदीलाल, श्री
छोटेलाल पालीवाल, श्री
जगदीशनारायण, श्री
जगदीशनारायणदत्तसिंह, श्री
जगदीशप्रसाद, श्री
जगन्नाथ चौधरी, श्री
जगन्नाथ लहरी, श्री
जगपति सिंह, श्री
जगवीरसिंह, श्री
जमुनासिंह, श्री (बदायूं)
जयगोपाल, डाक्टर
जयदेवसिंह आर्य, श्री
जयराम वर्मा, श्री
जरग्राम हैदर, श्री सैयद
जवाहरलाल, श्री
जवाहरलाल रोहतगी, श्री डाक्टर
जागेश्वर, श्री
जुगुलकिशोर, आचार्य
जोखई, श्री
ज्वाला प्रसाद कुरील, श्री
झारखंडेराय, श्री
टीकाराम, श्री
टीकाराम पुजारी, श्री
डूंगरसिंह, श्री
ताराचन्द माहेश्वरी, श्री
तारादेवी, डाक्टर
तिरमल सिंह, श्री
तेजबहादुर सिंह, श्री
तेजासिंह, श्री
दत्त, श्री एस० जी०
दशरथ प्रसाद, श्री
दीनदयालु करुण, श्री
दीनदयालु शर्मा, श्री
दीनदयालु शास्त्री, श्री
दीपङ्कर, आचार्य
दीपनारायणमणि त्रिपाठी, श्री
दुर्योधन, श्री
देवदत्तसिंह, श्री
देवराम, श्री
द्वारकाप्रसाद मित्तल, श्री (मुजफ्फरनगर)
द्वारिकाप्रसाद, श्री (फर्रुखाबाद)
द्वारिकाप्रसाद पांडेय, श्री (गोरखपुर)
धनीराम, श्री
धनुषधारी पांडेय, श्री
धर्मपालसिंह, श्री
धर्मसिंह, श्री
नत्थाराम रावत, श्री
नत्थूसिंह, श्री (मैनपुरी)
नन्दकुमारदेव वाशिष्ठ, श्री
नन्दराम, श्री
नरेन्द्रसिंह भंडारी, श्री
नरेन्द्रसिंह विष्ट, श्री
नवलकिशोर, श्री
नागेश्वरप्रसाद, श्री
नारायणदत्त तिवारी, श्री
नारायणदास पासी, श्री
नेकराम शर्मा, श्री
पद्माकरलाल श्रीवास्तव, श्री
पञ्चरराम, श्री
परमानन्द सिनहा, श्री
पहलवानसिंह चौधरी, श्री
प्रतापबहादुरसिंह, श्री
प्रतापभानप्रकाशसिंह, श्री
प्रतापसिंह, श्री
प्रभावती मिश्र, श्रीमती
प्रभुदयाल, श्री
फतेहसिंह राणा, श्री
बंशीधरशुक्ल, श्री
बलदेवसिंह, श्री
बलदेवसिंह आर्य, श्री
बसंतलाल, श्री
बादामसिंह, श्री
बाबूराम, श्री
बाबूलाल कुसुमेश, श्री
बालकराम, श्री
बालेश्वरप्रसादसिंह, श्री
बिन्दुमती दास, श्रीमती
बिशम्भर सिंह, श्री
बुद्धीसिंह श्री
बुद्धीलाल, श्री
बुलाकीराम, श्री
बृजवासी लाल, श्री
बृजरानी मिश्र, श्रीमती

बेचनराम, श्री
बेचनराम गुप्त, श्री
बेनीबाई, श्रीमती
बैजूराम, श्री
ब्रजनारायण तिवारी श्री
ब्रजभूषणशरण, श्री
ब्रह्मदत्त दीक्षित, श्री
भगवतीप्रसाद दुबे, श्री
भगवतीसिंह विशारद, श्री
भगौतीप्रसाद वर्मा, श्री
भजनलाल, श्री
भीखालाल, श्री
भीमसेन, श्री
भुवनेशभूषण शर्मा, श्री
भूपकिशोर, श्री
मंजूरुलनबी, श्री
मथुराप्रसाद पांडेय, श्री
मदन पांडेय, श्री
मन्नालाल, श्री
मलखानसिंह, श्री
मलिखानसिंह, श्री (मैनपुरी)
महमूद अली खां, श्री (रामपुर)
महमूद हुसैन खां, श्री
महादेवप्रसाद, श्री
महावीरप्रसाद शुक्ल, श्री
महीलाल, श्री
महेन्द्ररिपुदमनसिंह, राजा
माताप्रसाद, श्री
मिहरबानसिंह, श्री
मुकुटविहारीलाल अग्रवाल, श्री
मुक्तिनाथराय, श्री
मुजफ्फर हसन, श्री
मुरलीधर, श्री
मुरलीधर कुरील, श्री
मुल्लाप्रसाद 'हंस', श्री
मूलचन्द, श्री
मोतीलाल अवस्थी, श्री
मोहनलाल, श्री
मोहनलाल गौतम, श्री
मोहनसिंह मेहता, श्री
यमुनाप्रसाद शुक्ल, श्री
यमुनसिंह, श्री (गाजीपुर)
यशपालसिंह, श्री
यशोदादेवी, श्रीमती
रऊफ जाफरी, श्री
रघुनाथसहाय यादव, श्री
रघुरनतेजबहादुरसिंह, श्री
रघुवीरसिंह, श्री (एटा)
रघुवीरसिंह, श्री (मेरठ)
रणबहादुरसिंह, श्री
रमाकांतसिंह, श्री
रमेशचन्द्र शर्मा, श्री
राघवराम पाण्डेय, श्री
राघवेन्द्र प्रतापसिंह, श्री
राजकिशोर राव, श्री
राजदेव उपाध्याय, श्री
राजनारायणसिंह, श्री
राजबिहारी सिंह, श्री
राजाराम शर्मा, श्री
राजेन्द्रकिशोरी, श्रीमती
राजेन्द्रकुमारी, श्रीमती
राजेन्द्रदत्त, श्री
राजेन्द्रसिंह यादव, श्री
रामअभिलाख, श्री
रामकुमार वैद्य, श्री
रामकृष्ण सारस्वत, श्री
रामचन्द्र उनियाल, श्री
रामचन्द्र विकल, श्री
रामजीलाल सहायक, श्री
रामजीसहाय, श्री
रामदास आर्य, श्री
रामदीन, श्री
रामदुलारे मिश्र, श्री
रामनाथ पाठक, श्री
रामनारायण त्रिपाठी, श्री
रामपाल त्रिवेदी, श्री
रामप्रसाद, श्री
रामप्रसाद देशमुख, श्री
रामप्रसाद नौटियाल, श्री
रामबली, श्री
राममूर्ति, श्री
रामरतनप्रसाद, श्री
रामरतीदेवी, श्रीमती
रामलक्षण तिवारी, श्री
रामलखन, श्री (वाराणसी)
रामलखनमिश्र, श्री
रामलखन सिंह, श्री (जौनपुर)
रामलाल, श्री
रामवचन यादव, श्री
रामशरण यादव, श्री
रामसनेही भारतीय, श्री
रामसमझावन, श्री

रामसिंह चौहान वैद्य, श्री
रामसुन्दर पांडेय, श्री
रामसुरतप्रसाद, श्री
रामस्वरूप यादव, श्री
रामहेतसिंह, श्री
रामायणराय, श्री
रामेश्वरप्रसाद, श्री
रूमसिंह, श्री
लक्ष्मणराव कदम, श्री
लक्ष्मणसिंह, श्री
लक्ष्मीनारायण, श्री
लक्ष्मीनारायण बंसल, श्री
लक्ष्मीरमण आचार्य, श्री
लखमीसिंह, श्री
लायकसिंह चौधरी, श्री
लालबहादुर, श्री
लालबहादुरसिंह, श्री
लुत्फ़ अली खां, श्री
लोकनाथसिंह, श्री
वजरंगबिहारीलाल रावत, श्री
वशिष्ठनारायण शर्मा, श्री
वसी नक़वी, श्री
वासुदेव दीक्षित, श्री
विचित्रनारायण शर्मा, श्री
विजयशंकरसिंह, श्री
विद्यावती वाजपेयी, श्रीमती
विनयलक्ष्मी सुमन, श्रीमती
विशाल सिंह, श्री
विश्रामराय, श्री
विश्वेश्वरानन्द, स्वामी
वीरसेन, श्री
वीरेन्द्रशाह, राजा
व्रजविहारी मेहरोत्रा, श्री
शंकरलाल, श्री
शब्बीर हसन, श्री
शमसुल इस्लाम, श्री
शम्भुदयाल, श्री
शांतिप्रपन्न शर्मा, श्री
शिवगोपाल तिवारी, श्री
शिवप्रसाद, श्री (देवरिया)
शिवप्रसाद नागर, श्री (खीरी)
शिवमूर्ति, श्री
शिवराजबलीसिंह, श्री
शिवराजबहादुर, श्री
शिवराजसिंह यादव, श्री
शिवराम, श्री
शिवराम पांडेय, श्री
शिवशंकरसिंह, श्री
शिवशरणलाल श्रीवास्तव, श्री
शीतलाप्रसाद, श्री
शोभनाथ, श्री
श्यामलाल, श्री
श्रद्धादेवी शास्त्री, कुमारी
श्रीकृष्णदत्त पालीवाल, श्री
श्रीनाथ, श्री (आजमगढ़)
श्रीनाथ भार्गव, श्री (मथुरा)
श्रीनिवास, श्री
श्रीपालसिंह, कुंवर
संग्राम सिंह, श्री
सजीवनलाल, श्री
सत्यवतीदेवीरावल, श्रीमती
सम्पूर्णानन्द, डाक्टर
सरस्वतीदेवी शुक्ल, श्रीमती
सियादुलारी, श्रीमती
सीताराम शुक्ल, श्री
सुक्खनलाल, श्री
सुखरानीदेवी, श्रीमती
सुखरामदास, श्री
सुखलाल, श्री
सुखीराम भारतीय, श्री
सुदामाप्रसाद गोस्वामी, श्री
सुनीता चौहान, श्रीमती
सुन्दरलाल, श्री
सुरथबहादुरशाह, श्री
सुरेशप्रकाश सिंह, श्री
सुल्तान आलम खां, श्री
सूरतचन्द रमोला, श्री
सूर्यबली पांडेय, श्री
सोहनलाल घुसिया, श्री
हमीदुल्ला खां, श्री
हरदयालसिंह, श्री
हरदयालसिंह पिपल, श्री
हरदेव सिंह, श्री
हरिदत्त काण्डपाल, श्री
हरीशचन्द्र अष्ठाना, श्री
हरीसिंह, श्री
हलीमउद्दी (राहत मौलाई), श्री
हिम्मतसिंह, श्री
हुकुमसिंह विसेन, श्री
होरीलाल यादव, श्री

नोट—सार्वजनिक निर्माण, उपमंत्री, श्री महावीर सिंह, भी उपस्थित थे।

प्रश्नोत्तर

शनिवार, १० सितम्बर, १९६०

अल्पसूचित तारांकित प्रश्न
सिरगिथा ग्राम में पुलिस के अत्याचार से महिला द्वारा आत्महत्या

****१—श्री गौरीशंकर राय** (जिला बलिया)—ग्राम सिरगिथा, थाना नन्दगंज, जिला गाजीपुर, में पुलिस से तंग आकर एक स्त्री द्वारा आत्महत्या कर लेने के विषय में २६-८-६० के तारांकित प्रश्न संख्या ४३ के उत्तर के क्रम में क्या गृह मंत्री बतायेंगे कि इस सम्बन्ध में सरकार को जो सूचना मिली थी, वह किसके द्वारा मिली थी और क्या थी ?

गृह उपमंत्री (श्री रामस्वरूप यादव)—श्री ओम प्रकाश, संयुक्त मंत्री, प्रजा सोशलिस्ट पार्टी, उत्तर प्रदेश, लखनऊ, के २८-७-६० के पत्र द्वारा मिली थी। सूचना ऐसी थी कि गाजीपुर जिले के नन्दगंज थाना अन्तर्गत सिरगिथा गांव में वहां के थानेदार तथा सिपाहियों द्वारा बुरी तरह परेशान किये जाने के कारण एक महिला ने आत्महत्या कर ली।

****२—श्री गौरीशंकर राय**—क्या गृह मंत्री बतायेंगे कि इस सम्बन्ध में अब तक क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री रामस्वरूप यादव—इस सम्बन्ध में मैजिस्ट्रेट द्वारा जांच करायी गयी। जांच से पुलिस के सब-इंस्पेक्टर व कांस्टेबुल का व्यवहार इस मामले में असन्तोष व आपत्तिजनक पाया गया और उन्हें धारा १६१/३८४/५११ भारतीय दण्ड विधान के आरोप में मुअत्तल कर दिया गया है। अब इस मामले का अनुसन्धान उप-पुलिस अधीक्षक (परिवाद) डी० एस० पी० (कम्प्लेंट्स) कर रहे हैं।

श्री गौरीशंकर राय—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि गाजीपुर के डिप्टी सुपरिन्टेन्डेन्ट आफ़ पुलिस ने इस घटना के तुरन्त बाद इस मामले की जांच कर के समाचार-पत्रों में एक वक्तव्य दिया कि पुलिस इसमें निर्दोष है और सिपाही और थानेदार उस स्त्री को आत्महत्या के बाद पहुंचे ?

श्री रामस्वरूप यादव—समाचार-पत्र में क्या दिया, यह तो मेरे सामने नहीं आया। लेकिन मैं तो आज उत्तर दे रहा हूं कि उनका व्यवहार आपत्तिजनक था और उन्हें सस्पेंड कर दिया गया है और १६१, ३८४, ५११ आई० पी० सी० में मुकदमा दर्ज हो गया है।

श्री गौरीशंकर राय—क्या यह सही है कि इस स्त्री के आत्म हत्या के बाद, जैसा कि मंत्री जी ने कहा कि व्यवहार आपत्तिजनक था, उसके बाद पुलिस ने दूसरे दिन प्रातःकाल लाश को पोस्टमार्टम के लिये नहीं भेजा और गांव के तालाब पर जलवा दिया ?

श्री रामस्वरूप यादव—इसमें कुछ अंश सही है। दूसरे दिन दो कांस्टेबिल गये और गांव वालों को मजबूर किया कि वह तुरन्त लाश को जला दें और लाश जल्दी जला दी गई।

श्री अब्दुल रऊफ लारी (जिला गोरखपुर)—क्या मन्त्री जी बतायेंगे कि जब मैजिस्ट्रेट के द्वारा उनका अपराध सिद्ध हो गया तो उसके बाद डी० एस० पी० को मामला देने की क्या जरूरत है ?

श्री राम स्वरूप यादव—यह तो जाब्ता फ़ौजदारी का कायदा है कि जब एक रिपोर्ट रजिस्टर हो गयी तो उसके अन्तर्गत या तो एस० ओ० जांच करे, उसके अलावा डी० एस० पी० (कम्प्लेन्ट्स) को भी हम इंवेस्टीगेशन दे सकते हैं। केस का इंवेस्टीगेशन हो रहा है।

श्री भगवतीसिंह विशारद (जिला उन्नाव)—क्या मन्त्री जी बतायेंगे कि जिन पुलिस कर्मचारियों के विरुद्ध यह शिकायत सही पाई गयी है उनके खिलाफ मुकदमें चलाने के बाद वे इस समय जेल में बन्द हैं या बाहर हैं ?

श्री रामस्वरूप यादव—जेल में तो नहीं हैं लेकिन मुअत्तल हैं और लाइन्स में हैं।

श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल (जिला आगरा)—क्या मन्त्री जी बतायेंगे कि आत्म-हत्या का कारण आपत्तिजनक व्यवहार ही था या और कुछ भी था और अगर आत्महत्या का कारण आपत्तिजनक व्यवहार था और उसके पोस्टमार्टम में बाधा डाली, तो क्या सरकार इन दोनों मामलों की गम्भीरता को समझते हुए मुनासिब कार्यवाही करेगी ?

श्री रामस्वरूप यादव—गम्भीरता को समझते हुए मुकदमा कायम किया जा रहा है अगर शहादत मिल गई। अगर शहादत नाकाफ़ी हुई तो विभागीय कार्यवाही की जा सकती है।

श्री भगवतीसिंह विशारद—मंत्री जी उन कारणों पर प्रकाश डालेंगे जिनके कारण पुलिस कर्मचारियों को केवल लाइन हाजिर किया गया और जेलखाने नहीं भेजा गया ?

श्री रामस्वरूप यादव—जेलखाने भेजने के लिये कुछ ऐसे जुर्म होते हैं जिनमें वह आवश्यक होता है। कुछ ऐसे भी जुर्म हो सकते हैं जिनमें जमानत भी पुलिस ले सकती है, जैसे डकैती या कत्ल हो, उसमें तो अधिकतर सेशन जज ही को अधिकार होता है जमानत लेने का पुलिस नहीं लेती। लेकिन जिनमें पुलिस जमानत लेती है यह वैसा ही जुर्म था। जरूरी नहीं था उन्हें जेलखाने भेजना अभी।

श्री गोविन्द सिंह बिष्ट (जिला अल्मोड़ा)—मंत्री जी माननीय गौरीशंकर राय जी की सूचना को मान कर के कि किसी सुपरिन्टेन्डेन्ट पुलिस ने इसके बारे में अखबार में कोई स्टेटमेंट दिया था, उसकी जांच करके कार्यवाही करेंगे ?

श्री रामस्वरूप यादव—वैसे उस चीज को भी देख लिया जायगा। लेकिन उचित कार्यवाही का प्रश्न यों नहीं उठता कि हम उसके खिलाफ मुनासिब कार्यवाही कर रहे हैं और उस स्टेटमेंट के आधार पर उसे एकदम छोड़ने को तैयार नहीं हैं।

श्री दीनदयालु शर्मा (जिला बुलन्दशहर)—इस किस्म की शिकायत में जो उनको सजा हो उसको सारे जिलों की पुलिस को सरकार सर्कुलेट करेगी ताकि पुलिस के और लोग फिर ऐसा न कर सकें ?

श्री रामस्वरूप यादव—ऐसी तो कोई विशेष बात नहीं है जिसमें सर्कुलेट करने की आवश्यकता समझी जाय।

श्री गौरीशंकर राय—जिस महिला ने मजबूर होकर जान दी वह एक विधवा थी जिसका अपने पड़ोसी से कुछ इल्लिसिट कनेक्शन था और उस इल्लिसिट कनेक्शन की बिना पर एक दिन पहले बिरादरी ने यह तय कर लिया कि दोनों शादी कर लेंगे और दोनों को सारे गांव वालों की राय मान्य हो गई। उसके बाद बिना किसी शिकायत या रिपोर्ट के उस गांव में पुलिस क्यों गई ?

श्री रामस्वरूप यादव—यह बात तो सही है कि एक पंचायत हुई थी और बिरादरी ने यह तय किया था कि वह सज्जन जिनके व्यवहार से वह गर्भवती हो गई है वह उसका बोझ सम्भालें, उसको अपनी पत्नी मानें। यह बात भी ठीक है कि वहां पुलिस का जाना गलत था और गलती हो जाने की वजह से यह माना गया है कि आपत्तिजनक व्यवहार था ?

श्री उग्रसेन (जिला देवरिया)—क्या मंत्री जी बतायेंगे कि इस घटना की जांच करने के लिये जिले के पुलिस कप्तान गये थे या नहीं ? यदि गये थे, तो कब गये थे और उन्होंने क्या रिपोर्ट दी ?

श्री रामस्वरूप यादव—इसके लिए सूचना की आवश्यकता होगी कि गये थे या नहीं।

सिविल इंजीनियरिंग स्कूल, लखनऊ, के प्रिंसिपल द्वारा पी० ए० सी० बुलाना

****३—श्री मदन पांडेय** (जिला गोरखपुर) तथा **श्री लक्ष्मणराव कदम** (जिला झांसी)—क्या सरकार कृपया बतायेगी कि क्या लखनऊ स्थित सिविल इंजीनियरिंग स्कूल में गत ३० अगस्त को पी० ए० सी० के दस्ते भेजने पड़े थे ?

श्री रामस्वरूप यादव—३० अगस्त को सिविल इंजीनियरिंग स्कूल, लखनऊ, के हाते के अन्दर कोई पी० ए० सी० के दस्ते नहीं भेजे गये थे। लेकिन विद्यालय के प्रिंसिपल की सूचना पर पी० ए० सी० का प्लेटून थाने पर भेज दिया गया था जो पाठशाला के निकट है।

श्री मदन पांडेय—क्या माननीय मंत्री जी उन परिस्थितियों को सदन के सम्मुख रखेंगे जिनके कारण अधिकारियों को पी० ए० सी० मंगानी पड़ी ?

श्री रामस्वरूप यादव—कुछ विद्यार्थियों को होस्टल से वहां के प्रिंसिपल ने निकाल दिया था। उन्होंने काफी संख्या में ३० तारीख को प्रिंसिपल के आफ़िस को घेर लिया और नारे भी लगाये और प्रिंसिपल को यह अन्देशा हुआ और खतरा भी था, इस वजह से उन्होंने फ्लाइंग स्क्वाड को टेलीफोन किया कि वे आकर उनकी रक्षा करें। इस पर एक डी० वाई० एस० पी० (सिटी), एक मैजिस्ट्रेट और एक पी०ए०सी० का प्लाटून भेज दिया गया। प्लाटून थाने पर रहा और डी० वाई०एस०पी० और मैजिस्ट्रेट विद्यालय में गये।

श्री लक्ष्मणराव कदम—क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि उक्त स्कूल में हड़ताल कब शुरू हुई और क्या वह अब भी जारी है ?

श्री रामस्वरूप यादव—असल में झगड़ा नये विद्यार्थियों की इंट्रोडक्शन नाइट के संबंध में था और २८ तारीख तक प्रिंसिपल यह पता चलाते रहे कि किन लोगों ने यह किया है। लेकिन जब उनको ठीक नाम नहीं मालूम हुये या जैसी भी सूचना उनको मिली उसके आधार पर उन्होंने कुछ लड़कों को होस्टल से निकाल दिया। तो ३० तारीख को ऐसी स्थिति हो गयी कि लड़कों ने प्रिंसिपल के आफिस को घेर लिया जिसके कारण उनको खतरा हुआ और उन्होंने पुलिस को सूचना दी।

श्री मदन पांडेय—क्या माननीय मंत्री जी ने उस चीज का विवरण मांगा है कि इंट्रोडक्शन नाइट क्या बला है और कैसे मनाई जाती है ? यदि हां, तो उसको सदन के सामने रखें तो बड़ी कृपा होगी।

श्री अध्यक्ष—मैं समझता हूं कि माननीय सदस्य मंत्री जी के कमरे में जाकर इसको पूछ लें तो ज्यादा अच्छा होगा।

श्री अब्दुल रऊफ लारी—क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि कितने बच्चों को होस्टल से निकाला गया और निकालने का क्या कारण था ?

श्री रामस्वरूप यादव—निकालने का कारण तो मैंने बता दिया और इंट्रोडक्शन नाइट के दिन एक तरीका है जिसमें नये लड़कों को पुराने लड़के बहुत परेशान करते हैं जिसकी वजह से झगड़ा था। अब कितनी संख्या में लड़के निकाले गये, इसका तो ज्ञान नहीं है लेकिन ३०–४० से कम नहीं थे।

श्री मदन पांडेय—क्या माननीय मंत्री जी सदन को यह सूचना देंगे कि अब वह परिस्थिति वहां पर शांत हो गयी है और अब इंट्रोडक्शन नाइट न मनाने का लड़कों ने फैसला ले लिया है ?

श्री रामस्वरूप यादव—यह फैसला कि इंट्रोडक्शन नाइट नहीं मनायेंगे, इसकी सूचना तो है नहीं और इसका फैसला किसी एक लड़के के ऊपर तो निर्भर नहीं करता है। हर वर्ष ऐसी परिस्थिति विद्यालयों में होती है। यह तो अब अगले वर्ष ही मालूम हो पायेगा। लेकिन प्रिंसिपल ने यह कह दिया है कि अगर वे लड़के वापस आना चाहें और उनके गार्जियन्स को भी लिख दिया है तो वे ले सकते हैं। और सब शांति है। तीन लड़कों को उन्होंने कालेज से निकाल दिया है।

श्री भगवती सिंह विशारद—क्या यह सही है कि छात्रावास के सभी विद्यार्थियों को छात्रावास से निकाल दिया गया था और उनमें वे विद्यार्थी भी शामिल थे कि जो उस इंट्रोडक्शन नाइट के सिलसिले में शामिल नहीं हुये थे ?

श्री रामस्वरूप यादव—होस्टल नम्बर २ के सभी विद्यार्थियों को निकाल दिया था, यह तो सही है। अब कौन शामिल थे और कौन नहीं शामिल थे यह तो प्रिंसिपल को भी ठीक पता नहीं चल पाया।

श्री उग्रसेन—क्या माननीय मंत्री जी इस बात को स्पष्ट करेंगे कि प्रिंसिपल ने लिख कर पी० ए० सी० की मांग की थी या यहां के स्थानीय अधिकारियों ने उसे स्वयं भेज दिया था ?

श्री अध्यक्ष—वह तो उन्होंने बता दिया कि मांग की थी।

श्री उग्रसेन—श्रीमन्, मैं जानना चाहता हूं कि प्रिंसिपल ने लिख कर पुलिस की सहायता मांगी थी या यों ही जबानी कह दिया था ?

श्री रामस्वरूप यादव—उन्होंने टेलीफोन पर यह सूचना फ्लाइंग स्क्वाड को दी थी कि यह खतरा है इस वजह से उनकी सहायता की जरूरत है।

श्री शिवप्रसाद नागर (जिला खीरी)—क्या मंत्री जी बतायेंगे कि जितने दिन पी० ए० सी० इस कालेज के फाटक पर तैनात रही उतने दिन तक कालेज बन्द रहा ?

श्री रामस्वरूप यादव—श्रीमन्, मैंने यह कभी नहीं कहा कि पी० ए० सी० फाटक पर तैनात रही। पी०ए०सी० तो थाने पर रही और डी०वाई०एस०पी० और मजिस्ट्रेट प्रिंसिपल के पास गये और वहां उन्होंने देखा कि झगड़ा शांत हो जायगा। इसके अलावा प्रिंसिपल ने भी कह दिया था कि ३१ तारीख तक काशन मनी वापस कर देंगे। इसलिये वह वापस चले आये।

श्री रघुरन तेजबहादुर सिंह (जिला गोंडा)—क्या मंत्री जी बतायेंगे कि इंट्रोडक्शन नाइट मनाने से नये बच्चों को तकलीफ होती है और शांति भंग होने का अंदेशा रहता है तो भविष्य में यह नाइट स्कूलों में न मनाई जाय, इसके लिये मंत्री जी कोई व्यवस्था करेंगे ?

श्री रामस्वरूप यादव—सरकार क्या व्यवस्था करेगी ? यह तो विद्यालय के विद्यार्थी और अध्यापक जानें। वे कह दें लड़कों से कि यह इंट्रोडक्शन नाइट नहीं मनानी चाहिये।

श्री दीपनारायणमणि त्रिपाठी (जिला देवरिया)—पी० ए० सी० किस की सहायता के लिये भेजी गई थी ?

श्री अध्यक्ष—यह तो उन्होंने बता दिया कि प्रिंसिपल ने टेलीफोन किया था।

श्री लक्ष्मणराव कदम—क्या मंत्री जी बतायेंगे कि पी० ए० सी० के अलावा एक्स मिलिटरी सोल्जर्स भी बुलाये गये थे ? यदि हां, तो किसकी अनुमति से बुलाये गये थे ?

श्री रामस्वरूप यादव—मुझे इसकी सूचना नहीं है।

श्री मदन पांडेय—मंत्री जी के उत्तर में लिखा हुआ है कि पी० ए० सी० कालेज के अहाते के अन्दर नहीं भेजी गई थी बल्कि थाने पर भेजी गई थी, तो क्या जो फोर्स वहां रहता है वह इस मामले को शान्त नहीं कर सकता था ? यह निर्णय कैसे किया गया और पी०ए०सी० भेजी गई ?

श्री अध्यक्ष—सरकार से कोई ताल्लुक नहीं है। यह प्रश्न आपका गलत है।

श्री मदन पांडेय—जबकि थाना निकट था तो सरकार ने यह निर्णय कैसे किया ?

श्री अध्यक्ष—सरकार ने निर्णय नहीं किया। स्थानीय अधिकारियों ने किया होगा।

श्री मदन पांडेय—श्रीमन्, मैं यह जानना चाहता हूं कि जब थाना निकट ही था तो क्या स्कूल के अधिकारियों ने वहां से मदद मांगी थी और न मिलने पर पी० ए० सी० को बुलाना पड़ा ?

श्री रामस्वरूप यादव—वहां के प्रिंसिपल ने फ्लाइंग स्क्वाड को टेलीफोन किया था। उनके पास अपना फोर्स रहता है जिसको वह ले जा सकते हैं। इसलिये उन्होंने पी० ए० सी० को ले जाना मुनासिब समझा।

सैदपुर तहसील में लेखपालों की नियुक्ति के सम्बन्ध में हाईकोर्ट के फैसले की नकल*

राजस्व उपमंत्री (श्री महाबीर प्रसाद शुक्ल)—श्रीमन्, विधान सभा की बैठक दिनांक २३ जुलाई, १९५८ में, श्री यमुनासिंह द्वारा पूछे गये तारांकित प्रश्न संख्या १ तथा २ के संबंध में शासन ने अंतरिम उत्तर दिये थे कि वांछित सूचना एकत्रित की जा रही है। उक्त प्रश्नों के पूरक प्रश्न जिसमें श्री मोतीलाल अवस्थी ने पूछा था कि "क्या माननीय मंत्री जी यह दिसम्बर, १९५६ के हाई कोर्ट के फैसले की नकल सदन की मेज पर प्रस्तुत करेंगे" के संबंध में आश्वासन दिया गया था कि "कोई आपत्ति नहीं है।" इस आश्वासन की पूर्ति के हेतु हाई कोर्ट के निर्णय दिनांक २१ दिसम्बर, १९५६ की प्रतिलिपि आश्वासन समिति की बैठक दिनांक १२ नवम्बर, १९५९ में प्रस्तुत की गई थी परन्तु समिति ने अपनी बैठक दिनांक १० मार्च, १९६० में यह सिफारिश की कि जब तक सरकार हाई कोर्ट के निणय को सदन की मेज पर न प्रस्तुत न कर दे, आश्वासन अपूर्ण रहेगा।

अतएव, श्रीमन्, उल्लिखित आश्वासन की पूर्ति के हेतु २१ दिसम्बर, १९५६ के हाई कोर्ट के निर्णय की दो प्रतिलिपियां मैं सदन की मेज पर प्रस्तुत करता हूं।

श्री अध्यक्ष—अब यह सदन की मेज पर है। जिसको देखना हो वह देख सकेंगे।

---

*छापी नहीं गई।

लालपुरा, जिला इटावा, में छोटे दरोगा द्वारा गोली चलाये जाने से उत्पन्न परिस्थिति के सम्बन्ध में नियम ५२ के अन्तर्गत वक्तव्य की मांग

श्री अध्यक्ष—अब नियम ५२ के अनुसार जो विषय मेरे सामने ध्यान आकृष्ट करने के लिये भेजे गये उनमें मैंने एक को स्वीकार किया, भजनलाल जी का। वह इस प्रकार है:—

"गत तारीख दो या तीन सितम्बर को रात्रि में ग्राम लालपुरा, पो० अनन्तरामपुर थाना बकेवर, जिला इटावा, में थाना अगतिमल के सेकेंड आफिसर ने जाकर गोली चलायी, जिससे एक औरत और एक १५, १६ साल का बच्चा घायल हुआ है, और मरणासन्न अवस्था में इटावा अस्पताल में पड़े हैं, उनसे किसी पब्लिक के आदमी को मिलने भी नहीं दिया जाता है। पुलिस के इस कांड से सारे इटावा जिले में विशेषकर लालपुरा खास और उसके आस-पास के इलाके में घोर आतंक व असंतोष व्याप्त है, लालपुरा में तो पुलिस राज्य है। कितने ही लोगों को पुलिस पकड़-पकड़ कर पीट चुकी है, इसलिये कि वे पुलिस गवाह बनने के लिये तैयार नहीं हैं। परिणामस्वरूप लगभग ५० व्यक्ति आज तक पुलिस के आतंक से बच कर जंगलों में पड़े हैं। घरों पर खेत व उनके चौपाये नष्ट हो रहे हैं।"

इसके बाद का भाग मैंने काट दिया है, क्योंकि एक ही विषय लिया जा सकता है।

"अतः इस कांड से जिला इटावा में घोर असंतोष का वातावरण एवं विषम परिस्थिति उपस्थित हो गयी है। इससे मैं स्पष्टीकरण की मांग करता हूं।"

माननीय गृह मंत्री इस विषय पर कब वक्तव्य देंगे?

गृह उप-मंत्री (श्री रामस्वरूप यादव)—तीन-चार रोज लग जायेंगे।

श्री अध्यक्ष—तो बुधवार को दीजिये।

जिलाधीश बहराइच द्वारा अपने बंगले की चहारदीवारी में स्थित मस्जिद में नमाज पढ़ने पर रोक लगा देने से उत्पन्न परिस्थिति के सम्बन्ध में नियम ५२ के अन्तर्गत वक्तव्य

श्री अध्यक्ष—अब श्री गौरीशंकर राय जी ने जो कल प्रश्न उठाया था उसके बारे में मुख्य मंत्री जी ने कल कहा था कि आज वक्तव्य देंगे।

***मुख्य मंत्री (डाक्टर सम्पूर्णानन्द)**—अध्यक्ष महोदय, बहराइच में डिप्टी कमिश्नर की कोठी कलेक्टरी कचेहरी के बहुत पास है। दोनों में मुश्किल से ५०–६० फीट की दूरी होगी। कोठी के अहाते में एक मस्जिद है जो सन् १९२५–२६ के लगभग बनी थी। उस समय श्री मकबूल अहमद किदवाई डिप्टी कमिश्नर थे। उन्होंने अपने सुभीते के लिये मस्जिद के बनने का प्रबन्ध किया। इसमें पास की कचेहरी के कुछ अहलकार और वकील भी जा कर नमाज पढ़ लिया करते थे। मस्जिद के लिये कोई रास्ता कभी नहीं बना। कलेक्टर की कोठी से बाहर जाने के लिये सदर फाटक के अतिरिक्त एक पतला सा रास्ता है, यह जहां एक बंगले की दीवार में मिलता है वहां छोटी सी खिड़की है। कलेक्टर के नौकर और चपरासी और कभी-कभी वह स्वयं इससे काम लेते हैं। यह मस्जिद बनने के पहले से है और मस्जिद के पास जाता भी नहीं। नमाज पढ़ने वाले इसी से काम लिया करते हैं।

२० अगस्त को डिप्टी कमिश्नर टहलने जा रहे थे। उस वक्त उनकी निगाह इस चीज पर पड़ी कि कुछ कारीगर मस्जिद में कुछ नई तामीर कर रहे हैं। उन्होंने जब यह दरियाफ्त

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

किया कि सरकारी जमीन में यह सब किसके हुक्म से हो रहा है, तो कोई ठीक जवाब नहीं मिला और वह सब कारीगर भाग गये। २३ अगस्त को नजारत के अफसर इंचार्ज, श्री बी० शर्मा, ने कोतवाली में धारा ४४७ आई०पी०सी० में रिपोर्ट की। उसकी जांच हो रही है। उसी दिन शाम को एक स्थानीय वकील के मकान पर कुछ मुसलमानों की मीटिंग हुई और उस मीटिंग में यह तय हुआ कि २५ तारीख को हड़ताल की जाय और इस सिलसिले में एक मीटिंग भी की जाय। यह भी तय हुआ कि अगले शुक्रवार (ता० २६ अगस्त) को बहुत बड़ी संख्या में मस्जिद में नमाज पढ़ी जाय। इन बातों से हिन्दू जनता भी क्षुब्ध हुई। पिछले ही महीने बहराइच से ७ मील दूर गंभीरवा बाजार में एक मूर्ति तोड़ी जा चुकी थी। ऐसी परिस्थिति में डिप्टी कमिश्नर ने तारीख २३ अगस्त को दफा १४४ की नोटिस निकाली जिसके द्वारा मीटिंग का करना भी बन्द कर दिया गया। नमाज में शरीक होने के लिये लोग दूर-दूर से बुलाये जा रहे थे और काफी मुसलमान शहर में एकत्र हो गये थे। इससे हिन्दुओं में और भी उत्तेजना फैली। २५ तारीख की रात को मस्जिद में जाने की निषेध आज्ञा निकाली गयी। कुछ लोगों ने इसके विरोध में मस्जिद में जाने का विचार किया, परन्तु फिर विचार त्याग दिया गया। परिस्थिति में इतना फर्क हुआ है कि हाल में कलेक्टरी कचेहरी के कुछ अहलकारों ने डिप्टी कमिश्नर से लिख कर यह अनुरोध किया कि वह बराबर इस मस्जिद में नमाज पढ़ा करते थे, उनको यह सुविधा फिर से मिल जाय। डिप्टी कमिश्नर ने जुमा की नमाज की इजाजत दे दी है। यदि कुछ और लोग जो वहां नमाज पढ़ा करते थे ऐसी अनुमति चाहें तो इसमें डिप्टी कमिश्नर को कोई आपत्ति न होगी।

मुसलमानों के किसी नैसर्गिक अधिकार के छीनने का कोई प्रश्न नहीं उठता। किसी समय सरकार की कृपा से कुछ मुसलमानों को यह सुविधा प्रदान कर दी गयी थी, वह सुविधा उन लोगों को अब भी मिलती रहेगी, परन्तु सरकारी जमीन पर स्थित इस मस्जिद को सार्वजनिक मस्जिद नहीं माना जा सकता और किसी को इस बात का अधिकार नहीं दिया जा सकता कि वह इसका सार्वजनिक मस्जिद की तरह उपयोग करे।

श्री अब्दुल रऊफ लारी (जिला गोरखपुर)—क्या माननीय मुख्य मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि २० तारीख को जब डिप्टी कमिश्नर महोदय उस रास्ते से जा रहे थे और उन्होंने कुछ आदमियों को वहां मस्जिद में काम करते देखा तो जूता पहने हुये ही वह मस्जिद के अन्दर चले गये और उन्होंने हंटर से उन मजदूरों को मारा और जो नयी तामीर हुई थी उसे अपने हाथों से गिरा दिया?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—इसका कोई प्रमाण नहीं है कि उन्होंने किसी को मारा और वह इन्कार करते हैं। उनका कहना है कि यह झूठ बात है कि वह जूते पहने हुए मस्जिद में चले गये। जो तामीर हो रही थी वह जरूर गिराई गई।

श्री सैयद जरगाम हैदर (जिला बहराइच)—क्या सन् २५ में जब से यह मस्जिद बनी और २४ अगस्त जिस रोज कि डिप्टी कमिश्नर साहब ने पहरा बिठाया, के बीच में बराबर बगैर किसी पाबन्दी के कलेक्टरी कचेहरी के अहलकार, वकील, मुंशी और कलेक्टरी में आये हुये मुकदमें से संबंधित आदमी इस मस्जिद में नमाज पढ़ते रहे हैं?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—कलेक्टरी के अहलकार जरूर नमाज पढ़ते थे, यह बात मान ली गई है। जो वकील थे वह भी पढ़ते थे। लेकिन जो मुकदमे के सिलसिले में वहां आया करते थे वह नमाज पढ़ते थे, इसका कोई सबूत नहीं है।

श्री गौरीशंकर राय (जिला बलिया)—क्या यह सही है कि डिप्टी कमिश्नर साहब के इस बंगले को गवर्नमेंट ने कपूरथला स्टेट से खरीदा था और जिस समय यह बंगला कपूरथला स्टेट का था उस समय भी एक मस्जिद उस अहाते में थी?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द--जहां तक हमारी इत्तला है, यह बंगला सन् ५१-५२ में खरीदा गया जबकि मस्जिद सन् २५-२६ में बनी थी।

श्री गेंदा सिंह (जिला देवरिया)--नमाज पढ़ने के लिये जो कलेक्टरी के अहलकार जाते थे तो क्या कोई सरकार की तरफ से ऐसा इंतजाम था कि पहचान करके कलेक्टरी के अहलकारों को जाने दिया जाय और बाकी लोगों को न जाने दिया जाय?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द--इसकी कोई जरूरत कभी पैदा नहीं हुई।

श्री झारखंडेराय (जिला आजमगढ़)--क्या सरकर बताने की कृपा करेगी कि सरकार की सूचना के मुताबिक, उस मस्जिद के व्यक्तिगत प्रयोग के अतिरिक्त कब से पब्लिक के कुछ लोग, चाहे वह कोई भी हों, वहां नमाज पढ़ने के लिये जाने लगे थे?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द--हमारी इत्तिला तो ऐसी नहीं है।

श्री अब्दुल लतीफ नोमानी (जिला आजमगढ़)--क्या माननीय मुख्य मंत्री को मालूम है कि जब कचेहरी के कुछ वकील या अहलकार लोग उस मस्जिद में जुमा की नमाज पढ़ते थे जिसकी इजाजत अब भी उनको दे दी गई, और क्योंकि जुमा मस्जिद मुस्लिम परसनल ला के अनुसार कोई प्राइवेट मस्जिद रह ही नहीं सकती, अतः वह तो पब्लिक हो ही जाती है?

श्री अध्यक्ष--यह तो आप सूचना दे रहे हैं। मजहबी बात का जवाब वह कैसे दे सकते हैं?

श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल (जिला आगरा)--क्या माननीय मुख्य मंत्री जी बतायेंगे कि जिन लोगों के मस्जिद में जाकर नमाज पढ़ने में उन डिप्टी कमिश्नर साहब को कोई आपत्ति नहीं है उनके नामों की क्या कोई सूची बना ली गई है, या उनको आइडेंटिटी कार्ड दे दिया है? किस तरह से उनको पहचाना जाता है कि जिन व्यक्तियों को वह चाहते हैं उनके अलावा दूसरे नहीं जा रहे हैं?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द--यह तो बड़ी आसान बात है। कलेक्टरी कचेहरी में जितने लोग काम करते हैं उनकी फेहरिस्त रहती ही है और जो वकील होते हैं उनकी भी फेहरिस्त रहती है। इसलिये किसी आइडेंटिटी कार्ड की जरूरत नहीं है।

श्री दीनदयालु शर्मा (जिला बुलन्दशहर)--क्या कभी इस मस्जिद को सार्वजनिक मस्जिद घोषित किया गया है?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द--जी नहीं, कभी नहीं।

श्री नारायणदत्त तिवारी (जिला नैनीताल)--क्या माननीय मुख्य मंत्री जी कृपा कर बतायेंगे कि जैसा कि बयान में बताया गया है कि मजदूरों ने कोई ठीक उत्तर नहीं दिया तो उन्होंने डी० एस० पी० साहब को क्या उत्तर दिया?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द--इसका कोई रेकर्ड किसी ने नहीं रखा है। कारीगर डिप्टी-कमिश्नर को देखकर डर गए होंगे और उलटा-सीधा कहकर भाग गए होंगे।

श्री उग्रसेन (जिला देवरिया)--क्या माननीय मुख्य मंत्री के पास बहराइच के पांच सदस्यों का प्रतिनिधि मंडल, जिसने जिलाधीश के इस अवैधानिक कार्य की निन्दा की थी और शिकायत भी की थी, आया था? यदि हां, तो सरकार ने इस सम्बन्ध में क्या किया?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द--जी हां, कुछ लोग आये थे। सुनने के बाद मैंने समझा कि जो कुछ वह कहते हैं गलत कहते हैं। उस पर कुछ करने की जरूरत भी नहीं थी।

श्री दीपनारायणमणि त्रिपाठी (जिला देवरिया)---क्या माननीय मुख्य मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि उस शहर में आस-पास कोई दूसरी मस्जिद है या नहीं ? अगर नहीं है तो आस-पास के लोगों के लिये नमाज पढ़ने की क्या व्यवस्था है ?

श्री अध्यक्ष---यह वह कैसे बता सकते हैं ?

श्री नारायणदत्त तिवारी---क्या मुख्य मंत्री जी बतलायेंगे कि जिलाधीश ने केवल उन कारीगरों से सवाल पूछा था या नमाज पढ़ने वाले मस्जिद के अध्यक्ष या मस्जिद के मैनेजर को बुलाकर पूछा था कि यह तामीर कैसे हो रही है ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द---वह मस्जिद सरकारी जमीन पर है। उसका न कोई मालिक है और न कोई मैनेजर है।

श्री दीनदयालु शर्मा---क्या मुख्य मंत्री जी बतलायेंगे कि यह मस्जिद जो नये तरीके से बनाई जा रही थी इसकी पहले से कोई इजाजत ली गई थी ?

श्री अध्यक्ष---बगैर इजाजत वह बना रहे थे। यह वह कह रहे हैं।

श्री अब्दुल रऊफ लारी---क्या माननीय मुख्य मंत्री इस बात को बताने की कृपा करेंगे कि डी० सी० नई तामीर को गिराने के लिये जब गये तो जो मस्जिद का अहाता बना हुआ है उसके अन्दर जूता निकाल कर गये ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द---इतनी बारीकी से जांच करने की मैंने कोई जरूरत नहीं समझी और न की गई है।

श्री सैयद जरगाम हैदर---क्या मुख्य मंत्री जी बतलायेंगे कि बंगला ५२ में खरीदा और मस्जिद २५ में बनी, तो इतने दिनों तक महाराजा कपूरथला की मिल्कियत रही तो इतने दिनों तक मस्जिद में नमाज पढ़ने पर किसी किस्म की पाबन्दी थी कि सिर्फ कलेक्टरी के अहलकार ही जायंगे या वकील जायंगे, या जो चाहे वह जा सकता है ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द---किसी किस्म का कोई कंट्रोल नहीं था और न इसकी कोई जरूरत ही समझी गई। वह तो जब नई चीज बनाने की कोशिश की गई तब इस प्रकार से कंट्रोल किया गया।

श्री मुक्तिनाथ राय (जिला आजमगढ़)---यह देखते हुये कि कभी-कभी कोई हिन्दू सरकारी कर्मचारी एक मन्दिर बना देता है और उसका ट्रान्सफर हो जाता है और इसी प्रकार से एक मुस्लिम सरकारी कर्मचारी कोई मस्जिद बना देता है। वह प्रापर्टी सार्वजनिक होती है और सरकारी होती है तो उस पर ये चीज बना दी जाती है जिससे भविष्य में झगड़ा पैदा हो जाता है तो क्या सरकार इस सम्बन्ध में कोई नीति निर्धारित करेगी जिससे भविष्य में कोई झंझट न हो ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द---जी हां, यह गलत चीज है। कहीं ऐसा हो जाता है तो वह तो हो चुका। अब बड़ी कड़ाई के साथ आदेश भेजे जा रहे हैं कि सरकारी अहाते में कहीं मन्दिर या मस्जिद न बनने पाये।

श्रीमती राजेन्द्रकिशोरी (जिला बस्ती)---मन्दिर और मस्जिद में अन्तर क्या है जब राम-रहीम एक हैं ?

(कोई उत्तर नहीं दिया गया।)

श्री नारायण दत्त तिवारी---क्या मुख्य मंत्री जी कृपया बतलायेंगे कि यह कारीगर कहां से आये थे, यह कुछ जांच से पता चला ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द---गैरसरकारी सूत्र से मालूम हुआ कि वहां के कुछ मुसलिम सज्जन हैं जिनके नियुक्त किये हुये थे ।

श्री झारखंडे राय---जिस आदेश का जिक्र अभी किया गया है कि आदेश भेज दिया गया है कि सरकारी अहाते में कोई मन्दिर, मस्जिद न बने तो जिन अहातों में पहले से ही बनी हुई हैं उनका प्रयोग कैसे हो और पब्लिक उसका प्रयोग करे या नहीं इसके बारे में कोई आदेश भेजा गया है या नहीं ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द---यह देना बहुत कठिन है लेकिन इतना ही कहा जा सकता है कि जो कस्टम्स अब तक चले आ रहे हैं वह अब कम से कम बढ़ने न पायें ।

श्री गौरीशंकर राय---माननीय मुख्य मंत्री जी ने उग्रसेन जी के प्रश्न के उत्तर में कि ५ विधान सभा के सदस्यों का जो रिटेन रिप्रेजेन्टेशन मुख्य मंत्री जी को दिया गया, जिसमें इधर के बैठने वाले भी थे और उधर के बैठने वाले भी थे, उसके जवाब में उन्होंने कहा कि हमने जांच करने की जरूरत नहीं समझी, उसमें कहा गया था कि चार्जेज जिलाधीश के खिलाफ हैं और उन्हीं से जांच करायी गयी है । तो बिना जांच कराये, बिना सोचे समझे वह कैसे समझ गये कि वह बेकार है ?

श्री अध्यक्ष---मैं समझता हूं कि उन्होंने शायद यह नहीं कहा कि जांच कराने की जरूरत नहीं । उन्होंने कहा कि जो आरोप किये गये थे वह गलत थे ।

श्री गौरीशंकर राय---उन्होंने कहा कि जांच कराने की जरूरत नहीं ।

डाक्टर सम्पूर्णानन्द---मैं ऐसी बात कह ही नहीं सकता । मैंने जो कहा वह यह था कि मैंने जो जांच की उस आधार पर जो आरोप उसमें थे उन पर कोई खास कार्यवाही करने की जरूरत नहीं थी ।

श्री ऊदल (जिला वाराणसी)---जब यह बंगला १९५१-५२ में खरीदा गया तो उसके साथ मस्जिद की जमीन भी खरीद ली गयी या नहीं ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द---मस्जिद की कोई जमीन है नहीं । सारे बंगले की एक हद है और न किसी कागज में मस्जिद का जिक्र है ।

श्री सैयद जरगाम हैदर---जो बयनामा महाराजा कपूरथला की तरफ से स्टेट गवर्नमेंट को लिखा गया है उसमें इस हाते की हद दी हुई है और प्रापर्टी में मस्जिद का जिक्र नहीं है । इस तरह से मस्जिद स्टेट गवर्नमेंट की प्रापर्टी नहीं है ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द---यह तो बारीक कानूनी चीज है कि अगर हमने सारी की सारी जमीन खरीद ली और उसमें अगर एक-एक पेड़ और एक-एक चबूतरे का जिक्र नहीं है तो वह हमारी जायदाद नहीं हुए । जो थोड़ा बहुत कानून जानता है वह तो यह समझता है कि उस जमीन में जो कुछ भी था वह सब हमारा है ।

श्री नारायणदत्त तिवारी---जो आदेश जारी किये गये हैं कि कोई सरकारी इमारतों में मन्दिर व मस्जिद न बनाये जांय, तो क्या ऐसे कोई आदेश भी हैं कि जो मंदिर मस्जिद बन चुके हैं उनका प्रयोग किस प्रकार हो ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द---मैंने एक प्रश्न के उत्तर में कहा था कि उनको रोका तो नहीं जा सकता, लेकिन जो दस्तूर है उसमें वृद्धि न होने पाये इसका खयाल रखा जाय ।

श्री जगवीर सिंह (जिला बुलन्दशहर)---क्या माननीय मंत्री जी कृपा कर बतलायेंगे कि सेल डीड में मस्जिद का जिक्र है या नहीं ?

श्री अध्यक्ष---सेल डीड अगर मुख्य मंत्री जी ने देखी हो तो बतला दें ।

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—मैंने देखा तो नहीं लेकिन जरगाम हैदर साहब स्वयं कह रहे हैं और मैं समझता हूं कि ठीक ही कहते होंगे कि सेल डीड में उसका जिक्र नहीं है।

श्री अब्दुल रऊफ लारी—क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि उस सरकारी बिल्डिंग का हाता अलग है ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—उसका कोई अलग हाता नहीं है।

प्रदेश में अतिवृष्टि तथा बाढ़ से हुई क्षति के सम्बन्ध में चर्चा

श्री अध्यक्ष—अब न्याय मंत्री अतिवृष्टि के सिलसिले में अपना वक्तव्य देंगे।

न्याय मंत्री (श्री हुकुमसिंह विसेन)—माननीय अध्यक्ष महोदय, आज इस मौके पर मुझे यह एहसास हो रहा है कि जिस तरह हम रोजमर्रा प्रसन्न चित्त होकर आते हैं, वह बात आज मैं अपने में नहीं पा रहा हूं और उसका मुख्य कारण यह है कि हमारे प्रदेश में हर साल सैलाब से काफी क्षति होती है। इस साल भी कई हिस्सों में वहां के रहने वालों को तकलीफ हुई है, कुछ चन्द लोगों की मृत्युयें भी हुई हैं, तथा और दीगर किस्म के नुकसान भी हुए हैं, जिसका मेरी तबियत पर गहरा असर पड़ा है। मैं पेश्तर इसके कि इस विषय पर कुछ अर्ज करूं, उन भाइयों के साथ अपनी तरफ से और अपनी सरकार की तरफ से सहानुभूति प्रकट करना चाहता हूं।

सैलाब के फलस्वरूप जो परिस्थिति हमारे प्रदेश में उत्पन्न हुई है उसके सम्बन्ध में हमने दो स्टेटमेन्ट्स तैयार करा कर माननीय सदस्यों को बांटे हैं जिनमें एक में क्षति की मात्रा तथा सरकार ने उस पर क्या ऐक्शन लिया और दूसरे में वर्षा की पोजीशन शुरू से अब तक यानी ९ तारीख तक की दी गयी है। इसके अलावा चन्द बातें मुझे और भी कहनी हैं ताकि वस्तुस्थिति पर रोशनी पड़ सके। मैं यह भी बताना चाहता हूं कि सरकार ने इस सम्बन्ध में क्या-क्या कार्यवाहियां की हैं।

शुरू में मई के प्रारम्भ में सरकार की तरफ से सूबे के उन ३५ जिलों में जहां कि प्रति वर्ष कमोबेश सैलाब आया करते हैं, गत तजुर्बे के आधार पर, वहां के जिलाधीशों के डिस्पोजल पर पांच-पांच हजार रुपये ग्रेचुइटस रिलीफ आदि के लिये रख दिये गये। इसके अलावा ५ हजार रुपया कन्टिन्जेंसी वगैरह के लिये उनको और दिया गया। इसके अलावा ५ हजार रुपया और उनको दे रखा था ताकि वे जंगल से यदि आवश्यकता पड़े तो मकान वगैरह बनाने की सामग्री आदि खरीद सकें और उसको नो-प्राफिट-नो-लास की बेसिस पर, या कन्सेशन रेट्स पर, या मुफ्त, जैसे भी वे मुनासिब समझें और जैसी जहां पर जरूरत हो, बाढ़पीड़ित भाइयों को दे सकें। इसके अलावा जिलाधीशों को यह भी हिदायत दी गयीं कि वे फाडर का स्टाक जमा कर लें और इसके लिये कान्ट्रेक्टर्स भी मुकर्रर किये गये थे जिनका यह मुख्य कर्त्तव्य था कि वे ३ रुपये ३९ नये पैसे फी मन उसको हर जगह रेलवे स्टेशन पर पहुंचा दें। जरूरत के मुताबिक यह भूसा नो-प्राफिट-नो-लास, या कन्सेशन रेट्स पर या मुफ्त बांटने का भी प्रबन्ध किया गया। यह भी आदेश जारी कर दिये गये हैं कि अगर बाढ़ के फलस्वरूप कोई ऐसी परिस्थिति पैदा हो कि चारे की दिक्कत हो तो उन जिलों में जहां बाढ़ आई हो, वहां जंगल अगर मौजूद हैं तो उनमें मुफ्त मवेशी चरने की इजाजत दी जाय। इसके अतिरिक्त सैलाब के आने के कारण अकसर बीमारियां भी पैदा हो जाती हैं, अतः उनकी रोकथाम के लिये भी प्रबन्ध किये गये और उसके लिये आदेश जारी किये गये। इसके अतिरिक्त गांवों में गांव सभाओं को कंट्रो बोट बनाने के लिये कहा गया था। उसमें जो लागत लगे उसका ६० फीसदी हम सब्सीडाइज करते हैं और ४० फीसदी गांव सभा करती है और वह एक जायदाद गांव सभा की हो जाती है। इस तरीके पर १,०१७ कंट्रीबोट्स हमारे पास हैं और साले रवां में ३८,४०० रुपया और भी मंजूर किया गया है कि इस तरह की ८० बोट और खरीद ली जायं। २८ मोटर बोट्स और

[श्री हुकुमसिंह विसेन]

इंसपेक्शन लारीज हमारे पास मौजूद हैं और ६ और खरीदने का विचार है। जिलाधीशों को यह भी अधिकार है कि जरूरत पड़ने पर अगर प्राइवेट बोट्स हों तो उनको रिक्वीजन कर लें और रिलीफ और रेस्क्यु आपरेशंस में काम में लें। जिलाधीशों को यह भी आदेश दिया गया था कि किसी किस्म के रिलीफ वर्क में रुपये के बिना पर रुकावट न हो और उनको यह सूचना भी दे दी गयी थी कि अपनी जरूरतों को टेलिग्राफ या टेलिफोन के जरिये से भेजें और तार और टेलीफोन से मंजूरी यहां से दी जायगी। लिहाजा वैसी ही सब बातें हो रही हैं।

यह तो सभी जानते हैं कि हमारे सूबे में सैलाब हर साल कहीं न कहीं आता है। सरकार का ध्यान इस तरफ भी है कि कैसे इससे नजात मिले, लेकिन मेरा तो ऐसा खयाल है कि बिलकुल बन्द कर देना तो इस वक्त मुमकिन नहीं है, मुमकिन है बाद में कोई तरकीब निकल आये, लेकिन जहां तक इसके असरात को कम किया जा सके उसकी कोशिश सरकार ने बहुत की है, कर रही है और करेगी।

इन सब हालात के दरियाफ्त करने के बाद जो स्टेटमेंट हमने बनवाये हैं उनसे पता चलता है कि भगवान की दया से गत वर्षों के मुकाबले में अब के हानि कम हुई। हुई जरूर कुछ जिलों में बहुत ज्यादा। लेकिन आन दि होल हमारे सूबे में नुकसान कम हुआ। मैंने १९५५, १९५६, १९५७, १९५८–१९५९ में तो ड्राउट का सवाल था–और १९६० के आंकड़े मंगाये हैं; श्रीमन् की आज्ञा से मैं उन्हें पढ़ना चाहता हूं। एरिया अफेक्टेड इन एकर्स।

श्री अध्यक्ष—ये एस्टीमेटेड हैं या ऐक्चुअल्स हैं ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—डिपार्टमेंट में कलेक्टेड हैं।

श्री अध्यक्ष—ये अगर साल के अन्त में लिये गये हों तो ऐक्चुअल्स होंगे और शुरू में लिये गये तो एस्टीमेटेड होंगे।

श्री हुकुमसिंह विसन—इस साल के तो एस्टीमेटेड हैं, बाकी ऐक्चुल्स हैं :

सन्	एरिया अफेक्टेड इन एकर्स
१९५५	१,०२,०८,५१८
१९५६	६३,८७,८५३
१९५७	६७,७४,६७५
१९५८	७४,७६,३६२
१९६०	२२,०६,२२९
तादाद गांवों की	गांव
१९५५	३३,८६३
१९५६	२२,७८५
१९५७	१४,४८५
१९५८	२९,०६०
१९६०	१२,८२०
मकानात का जो नुकसान हुआ	मकान
१९५५	७,६८,२६४
१९५६	४,०३,७४६
१९५७	२,६३,१५१
१९५८	१,६०,५३०
१९६०	९०,१५२

जो मनुष्यों की जानें गईं उसका ब्योरा इस प्रकार से है : १९५५ में २३१, १९५६ में १५३, १९५७ में २०८, १९५८ में १६१ और इस साल १९६० में ८२ ।

श्री अध्यक्ष---सन् १९५९ क्यों छोड़ा गया है ?

श्री हुकुमसिंह विसेन---सन् १९५९ तो ड्राउट का साल था, सैलाब और ड्राउट में बड़ा फर्क है ।

श्री अध्यक्ष---इससे कुछ शंका पैदा हो सकती थी । स्पष्टीकरण हो गया ।

श्री हुकुमसिंह विसेन---मैंने पहले ही अर्ज कर दिया था कि वह ड्राउट का साल था ।

जो मवेशी मरे उनकी फीगर्स इस प्रकार से हैं---सन् १९५५ में ५,६९४, १९५६ में २,५९५, १९५७ में १,४४०, १९५८ में २,०१० और इस साल १९६० में ७८० । इससे मालूम होता है कि गत सालों के मुकाबले में इस साल नुकसान कम हुआ, लेकिन हुआ है और कुछ अजलाम में बहुत ज्यादा हुआ ।

गत वर्षों के मुकाबले में अगर हम इस साल देखें तो मालूम होगा कि रेन्स वाइड स्प्रेड हुईं और ज्यादा इविनली डिस्ट्रीब्यूटेड भी हैं । गत वर्षों की तरह से अतिवृष्टि भी नहीं हुई लेकिन किसी-किसी जिले में बहुत ज्यादा अतिवृष्टि हो गई । जुलाई में चन्द दिन और अगस्त में और सितम्बर के पहले वीक में अतिवृष्टि कुछ जिलों में हुई जिसके फलस्वरूप काफी सैलाब आये और वाटरलागिंग हुई । वह सैलाब वहां की जो छोटी-छोटी मुकामी दरियायें हैं उन्हों में आये जिससे काफी क्षति पहुंची । इसके अलावा इस साल के सैलाब में एक अजीब बात है कि हमारे प्रदेश की दो जो बड़ी-बड़ी नदियां हैं, गंगा और जमुना उनमें उतना सैलाब नहीं आया जितना कि गत वर्षों में आया करता था । इस बार प्रदेश की जो छोटी-छोटी नदियां और नाले हैं जैसे जालौन का नाला, उनसे बड़ा हैवक पैदा हुआ । इसका कारण यही है कि वहां इतनी ज्यादा बारिश हुई जो उनकी कैपेसिटी के बाहर था इसलिये वह पानी उनकी बैंक्स के दोनों तरफ फैल गया जिससे क्षति पहुंची । ऐसी इत्तला भी है और ऐसा खयाल भी होता है । एक आश्चर्य की बात यह है कि बहुत से जिले जिनमें हमेशा सैलाब से क्षति पहुंची थी वे बच गये और कुछ ऐसे जिलों में जहां पहले सैलाब का नाम नहीं था वहां नुकसान हुआ । जालौन और इटावा में हमने कभी नहीं सुना, और अगर किसी माननीय सदस्य ने सुना हो तो वह जानते होंगे, लेकिन हमारे रेकार्ड में नहीं है कि वहां कभी सैलाब आया हो । वाराणसी, गाजीपुर, मिर्जापुर, फैजाबाद, बदायूं, बरेली और इलाहाबाद जिलों में हर साल सैलाब आता था लेकिन अबकी साल इनमें कम है । यह भी एक नयी बात है कि जहां हमेशा सैलाब ज्यादा आता था वहां इस साल कम आया या नहीं आया और जहां नहीं आता था वहां आया । इसके अतिरिक्त आगरा, मथुरा और अलीगढ़ में भीषण वर्षा के कारण ज्यादा बाढ़ आई है । मथुरा में भी इन्दरदेव ने कृपा कर दी ।

जो स्टेटमेंट दिया गया है उसमें बहुत-सी बातें हैं और हमारे मित्रों को पढ़ने में कष्ट होगा; वह बहुत लम्बी-चौड़ी है और बहुत से खाने हैं । इसलिये उनकी सुविधा के लिये मैं डिवीजन-वाइज कुछ अर्ज किये देता हूं ।

मेरठ डिवीजन में दो बातें कहने योग्य हैं । देहरादून जिले में अतिवर्षा के कारण २६३ मवेशी मरे । मवाना तहसील में, मेरठ जिले में, एक बेली ड्रेन है । उसमें वर्षा का इतना ज्यादा पानी आ गया कि उससे मवाना तहसील में बहुत क्षति पहुंची है ।

रुहेलखन्ड डिवीजन में बिजनौर जिले में एक मिर्जापुर गांव है जिसे गंगा के कटाव से क्षति पहुंची और वहां के लोगों को बाहर निकाल कर अस्थायी ढंग से एक जगह बसा दिया गया है । मुरादाबाद में भी जुलाई और सितम्बर में सैलाब आया और वहां कुछ सड़कों पर असर पड़ा । नार्थ ईस्टर्न रेलवे ट्रैक्ट भी ब्रीच हुआ लेकिन हानि ज्यादा नहीं हुई चूंकि वहां बारिश भी नार्मल से ज्यादा नहीं है ।

[श्री हुकुमसिंह विसेन]

कुमायूं और उत्तराखंड डिवीजन में अतिवृष्टि से जुलाई के अन्तिम सप्ताह में हानि हुई है। टेहरी और गढ़वाल में नरेन्द्रनगर के इर्द-गिर्द बहुत काफी बारिश हुई। पहली और दूसरी सितम्बर को लगभग १२ इंच के बारिश हुई जबकि इसी समय में पिछले साल में १.२८ इंच बारिश हुई थी। बहुत ज्यादा बारिश होने से ऋषिकेश-टेहरी और ऋषिकेश-देवप्रयाग की सड़कों को नुकसान पहुंचा।

लखनऊ डिवीजन में ११ और १२ जुलाई को लखनऊ में बहुत ज्यादा बारिश हुई। १३ से १५ इंच तक पानी लखनऊ और मलिहाबाद तहसीलों में रेकार्ड किया गया। लखनऊ-हरदोई सड़क पर १०वें मील पर ५ फीट पानी बह रहा था और दूसरी सड़कों को भी क्षति पहुंची। ३,००० से ज्यादा मकानों को क्षति पहुंची और ४ मनुष्य और २२० मवेशियों की जानें गईं। रिलीफ आपरेशन्स की जल्दी से जल्दी व्यवस्था की गई। महापालिका अथारिटीज, दूसरी लोकल बाडीज ने और अफसरों ने सबने पूरा-पूरा सहयोग दिया और उस कठिनाई से कुछ नजात मिली।

श्री अध्यक्ष—इसमें आप छोटी छत्तर मंजिल का नुकसान भूल गये।

श्री हुकुमसिंह विसेन—जी हां, वह भी गिरी, और बहुत से मकान गिरे। बाराणसी डिवीजन में, जुलाई में जौनपुर में और अगस्त में बाराणसी में वर्षा ने काफी हानि पहुंचायी, लेकिन कोई एलार्मिंग बात नहीं है जिससे कोई पैनिक हो। गाजीपुर और बलिया में भी साधारण सैलाब आया और ज्यादा क्षति पहुंचने की बात नहीं है। बलिया जिले में ५ सितम्बर को गंगा और घाघरा खतरे के लेविल से ९ इंच नीचे थीं, लेकिन अब पानी कम हो रहा है।

इलाहाबाद डिवीजन में इटावा जिले की हालत संतोषजनक नहीं कही जा सकती। वहां काफी नुकसान हुआ है। २७ और २८ अगस्त को ३।। इंच से ६ इंच तक पानी बरसा, जिसकी वजह से मकानों को और फसल को काफी नुकसान हुआ। छोटे-छोटे दरिया उबल पड़े और इधर-उधर नुकसान उन्होंने पहुंचाया। तहसील भर्थना और तहसील इटावा में खास तौर से सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचा। ८,३३७ मकान गिरे हैं, जिनमें से १,३०० मकान इटावा शहर में गिरे हैं। १४ मनुष्यों और ३१ मवेशियों की हानि हुई है। सहायता का काम शीघ्र व्यवस्थित किया गया और ३,००० आदमी जहां पानी ज्यादा हो गया था वहां से बाहर निकाले गये। ११,००० रुपया ग्रैचुइट्स रिलीफ के लिये मंजूर किया गया और ५,००० रुपये कल ९ तारीख को भी सैंकशन करके भेजे हैं।

बुन्देलखंड डिवीजन—जालौन का जिक्र करना जरूरी है। जैसा कि मैंने पहले ही कहा कि जालौन के लिये यह पहला ही साल है कि यहां सैलाब आया है और यहां नार्मल से डबल पानी बरसा। तहसील औरैया और कोंच में सबसे ज्यादा पानी बरसा। कानूनगो सर्किल में माधोगंज में भी काफी क्षति पहुंची। सड़कें टूट गयीं और १७ हजार मकानों को नुकसान पहुंचा। १० मनुष्यों और ६२ मवेशियों की हानि हुई। एफेक्टेड एरिया में अंतरिम जिला परिषद् के जो स्कूल हैं वे ८–१० तारीख तक बंद कर दिये गये हैं और खतरे की जगहों से निकाल कर लोगों को लाया गया है और उनमें बसाया गया है। शिव शंकर सिंह जी जो माधोगंज जवार के रहने वाले हैं उन्होंने आफर किया है कि वे निजी खर्चे पर टेस्ट वर्क स्टार्ट करेंगे। उस पर २०० आदमी काम करेंगे और उनको एक रुपया फी के हिसाब से मजदूरी दी जायगी। इस प्रकार से पब्लिक रिलीफ के मेजर्स लिये जा रहे हैं और आथारिटीज सतर्क हैं।

आगरा डिवीजन—इस डिवीजन के सब जिले इफेक्टेड हैं लेकिन खास तौर से आगरा, मथुरा, अलीगढ़, और एटा का जिक्र मैं कर देना चाहता हूं। २६ और २८ अगस्त को नार्मल से ज्यादा बारिश यहां हुई और आगरा में ११ इंच वर्षा रिकार्ड हुई। सिरसा और सींगर रिवर फीरोजाबाद तहसील में तथा उटांगा केरावली तहसील में उबल पड़ीं। खनुआ और आजन बांध

जो राजस्थान में हैं वे क्रमशः १८ और २३ अगस्त को उबलने लगे। इससे तहसील किरावली में १६ गांवों को क्षति पहुंची। ३० अगस्त को राजस्थान के बार्डर पर जो सिरोही बांध है उसको आदमियों ने काट दिया और किरावली तहसील में पानी भर आया। २० हजार मकानों को नुकसान पहुंचा। १४ मनुष्यों और ४९ मवेशियों को क्षति पहुंची। रिलीफ का प्रबंध किया गया। १९ फ्लड पोस्ट कायम किये गये हैं, उनसे ही सारा प्रबंध किया जा रहा है। २,५४० मनुष्यों और १,२४९ मवेशियों को खतरे की जगह से बाहर निकाला गया है। इमकानी कोशिश पानी निकालने की की जा रही है।

फीरोजाबाद का रेलवे कलवर्ट खतरे में पड़ गया था और डर मालूम हो रहा था कि अगर वह टूट जायगा तो तमाम एरिया पानी से भर जायगा। लेकिन भगवान की कृपा से बड़ी मुश्किल से उसकी मरम्मत की जा सकी। वह अब महफूज है। मथुरा में जो बारिश हुई वह नार्मल से तिगुनी रही, तहसील मथुरा और माठ में और तहसील छाता और सादाबाद में नार्मल से दुगुनी रही। २६, २७ अगस्त को लगातार ४८ घंटे पानी बरसा, इससे वाटर लागिंग भी हुई और सैलाब भी आया और एक करवान नदी जो सादाबाद से होकर बहती है उसमें भी काफी सैलाब आया। ३,९५४ मकानों को क्षति पहुंची तथा ८ मनुष्यों और ६० मवेशियों की हानि हुई। दो गांव के लोगों को बाहर निकलना पड़ा और किसी गांव की आबादी जेरे आब नहीं हुई। वहां पर ९ फेयर प्राइस शाप्स भी खोल दी गयी हैं ताकि लोगों को गल्ला सस्ते दामों में मिले सके।

अलीगढ़ में २७–२८ अगस्त को काफी वर्षा हुई और उससे तमाम वाटर लागिंग हुई। करीब करीब कुल तहसील उससे मुतास्सिर हुये, सिर्फ अतरोली तहसील अनअफेक्टेड है। बाकी तहसीलों में ८,२२६ मकानों को और २ ह्यूमन लाइफ को क्षति पहुंची है। कमिश्नर और डिस्ट्रिक्ट आफिसर्स इस डिवीजन के सब जिलों में घूम-घूम कर देखभाल कर रहे हैं और इसका माकूल प्रबन्ध कर रहे हैं।

एटा जिले में ५ और १८ जुलाई तथा अगस्त २४ से २८ तक काफी बारिश हुई जिससे मकानों और फसलों को काफी क्षति पहुंची है। एटा, जलेसर और कासगंज में बुरी तरह से क्षति पहुंची है और ५ मनुष्य तथा ११ मवेशियों की जानों की हानि हुई है। ८,००० मकान गिरे हैं और १५,००० रुपया फिर कल सैंक्शन करके भेज दिया गया है।

फैजाबाद डिवीजन के बहराइच और गोंडा का जिक्र करना आवश्यक प्रतीत होता है। बहराइच और गोंडा में भी ३१ अगस्त से २ सितम्बर तक मुसलसल बारिश हुई जिसके फलस्वरूप सरयू नदी में काफी बाढ़ आयी। यह इत्तिला मिली है कि ३ सितम्बर से सरयू की बाढ़ कम होने लगी। गायघाट रेलवे पुल के पास कुछ मौजे की आबादी को क्षति पहुंची है और उन बेचारों को रेलवे की पटरी पर पनाह मिली है। घाघरा और राप्ती में भी सैलाब आया था लेकिन सरयू का सैलाब बहुत कठिन था और ज्यादा दुखदायी साबित हुआ। ५ मनुष्य और १२ मवेशी मरे, ३ हजार के करीब मकानात की क्षति हुई। गोंडा में भी ४ सितम्बर की सुबह राप्ती का वाटर लेविल जो ३४६·६ फीट रेलवे ब्रिज पर हाइएस्ट था ३८ में, उसके बाद तक पहुंच गया था। ५ सितम्बर की शाम से इसमें भी पानी घटने लगा। जो बंध वहां पर बने हैं उन पर २४ घंटे निगरानी है कि कहीं कोई घटना न हो जाय।

गोरखपुर डीविजन——इस डिवीजन में चारों जिले और खास तौर पर गोरखपुर और बस्ती में सैलाब का काफी असर पड़ा। गोरखपुर में आखिरी अगस्त तक करीब करीब नार्मल था बजुज इसके कि घाघरा में १३ अगस्त को कुछ पानी बढ़ गया था जिसकी वजह से बांसगांव तहसील में ५,८६० एकड़ जमीन पर वाटर लागिंग था। राप्ती नदी डेंजर लेविल क्रास कर चुकी थी। ४ सितम्बर को घाघरा और उसकी सहायक दरिया सब में सैलाब आया हुआ था। ७-९-६० को राप्ती का लेविल २४८ फीट था बजाय २४६.५ जो सन् ५८ का फ्लड लेविल था और २५०.५७ जो कि सन् १९३४ में था। परसों की खबर है कि दरिया अब भी बढ़ रहा है लेकिन बाढ़ की रफ्तार जरा कुछ धीमी हो गयी है। रोहिन रिवर भी जो एक मशहूर रिवर है, राप्ती की

[श्री हुकुमसिंह विसेन]

ट्रिब्यूटरी है काफी रकबे में उसका असर पड़ता है, वह भी बड़ी तेजी से बढ़ रही थी लेकिन उसके बढ़ाव में अब कुछ कमी आ गयी है । राप्ती और रोहिन पर कुछ बंध थे वे कुछ कट गये थे । मलानी बंध जो एक बड़ा इम्पार्टेन्ट बंध है वह अभी इंटैक्ट है और आज सुबह ७ बजे मेरी कलेक्टर से बात हुई थी फोन पर, उस समय तक की खबर यह है कि इंजीनियर ५-६ सौ आदमियों को लिये उसकी रखवाली कर रहे हैं अभी तक भगवान की दया से सेफ है ।

श्री उग्रसेन (जिला देवरिया)---यह आज की हालत है ?

श्री हुकुमसिंह विसेन---आज ७ बजे सुबह की ।

श्री उग्रसेन---राप्ती और घाघरा दोनों की ?

श्री हुकुमसिंह विसेन---सिर्फ राप्ती की । मेलोनी बांध का एक पुराना जुज है उसमें कुछ कटाव हो रहा है । बल्ली वगैरह भरकर उसको रोक दिया गया है और वह अब महफूज मालूम होता है । सामान वहां पर मुहय्या है ताकि जरूरत पड़ने पर उसको रोकथाम के लिये आसानी हो । २४ घंटे जैसा मैंने कहा कि उसकी निगरानी हो रही है और रिलीफ मेजर्स तो ७२ फ्लड लेविल पोस्ट्स कायम करके १५० बोट्स भेजकर उसके जरिये से इंतजाम किया जा रहा है । राप्ती में, आज की खबर है कि कुछ गिरावट शुरू हो गई है । कल भी मैंने मंगाया था गोरखपुर और देवरिया का जो कलेक्टर ने लिखा था कि इस साल फ्लड गोरखपुर में बहुत ज्यादा आया है और राप्ती के पहले रिकार्ड को सन् ३४ को छोड़ कर बकीया को बीट कर दिया है । कल यह बताया था कि रिवर इज स्टिल राईजिंग, हांलाकि उसका बढ़ाव का रेट बड़ा स्लो हो गया है, दिन भर में ३ इंच बढ़ा था, और कलेक्टर को यह आशा थी कि अब उसमें गिरावट शुरू हो जायगी वह आज के नोट से साबित हुआ कि आध इंच टूटा है । तो इस तरह से अब बढ़ना रुक गया है ।

एक नंदुआ गांव है गोरखपुर में, उसके सारे मकान गिर गये और इवैकुएशन भी एरेन्ज कर दिया गया । मेलोनी बांध अभी तक महफूज है, २४ घंटे काम हो रहा है, ३० हजार रुपया मांगा था, उसे भेज दिया । आज फिर सुबह मैंने कंटैक्ट किया तो मालूम हुआ कि आधा इंच राप्ती का पानी कम हो गया और पोजीशन इम्प्रूव कर रही है, लेकिन २ घंटे से लगातार पानी वहाँ बरस रहा है, और यह था कि मेलोनी बांध पर हम पूरा कंसेंट्रेशन कर रहे हैं, आदमी भी बढ़ा रहे हैं, ६०० और आदमी भेज दिये हैं, इंजीनियर मौजूद हैं साइट पर और पुलिस भी पैट्रोलिंग कर रही है । वाटर का बड़ा प्रेशर उस पर पड़ रहा है, लेकिन फिर भी भगवान की दया से अभी तक कोशिश कामयाब साबित हुई है, और उन्होंने कहा है कि कोई एलार्मिंग बात नहीं है ।

देवरिया के बारे में भी आज खबर आई कि घाघरा, बड़ी गंडक, छोटी गंडक इनका सैलाब कम हो रहा है। राप्ती और उसकी सहायक नदियां जो हैं वह धीरे-धीरे बढ़ रही हैं, लेकिन रफ्तार में कमी हो गई है । अभी तक ६५ हजार ३५४ एकड़ जमीन और २५० मवाजियात जेर आब हैं, १७ घर गिर गये हैं, कोई ह्यूमन लाइफ या कैटिल का नुकसान नहीं हुआ है, सड़क को भी कोई नुकसान नहीं हुआ, कोई इवैकुएशन की जरूरत नहीं पड़ी, कोई आबादी भी कटी नहीं है, कोई पैनिक भी नहीं हुआ है, ऐसी इत्तला ७ बजे तक की है ।

बस्ती जिले में १८ और १९ जुलाई को बहुत ज्यादा बारिश हुई जिससे गोवर्धन बांध कट गया था और उसका पानी नवगढ़ तहसील में बहुत से गांवों में चला गया जिससे कि मकानात और फसल की काफी क्षति हुई । घाघरा, राप्ती और दूसरी नदियों में दोबारा २ सितम्बर से सैलाब आ गया है और कुल तहसीलों में उसका असर पड़ा है । लेकिन यह सैलाब मीडियम और हाई के दरमियान में है और वाटर लेविल ६ तारीख से बिलकुल रुक गया है और इस बात के आसार हैं कि शायद अब कम होने लगे । फसलों को नुकसान पहुंचा है जो कि असेस किया जायगा और उसके अलावा और जिलों के मुकाबिले में कुछ बहुत ज्यादा हानि नहीं हुई ।

आजमगढ़ में भी घाघरा में ३१ जुलाई से साधारण सैलाब था और वाटर लेविल ७ सितम्बर से रुका हुआ है । आबादी को कोई खतरा नहीं है । जो लोग नशेब जमीन में बसे हैं उनको सलाह दी जा रही है कि वे वहां से हट जायं ।

इन सब बातों से अन्दाजा लगेगा कि कितना नुकसान हमारे सूबे में हुआ । इससे यह आइडिया होता है कि कुछ जिलों में तो बहुत नुकसान हुआ है । इन नुकसानात को देखते हुये जितनी इमकानी कोशिश है सरकार कर रही है । अब जो स्टेटमेंट माननीय सदस्यों को दिया है उसमें भी इसका पूरा विवरण है कि सरकार क्या-क्या कर रही है । डिस्ट्रिक्ट अथारिटीज रिलीफ मेजर्स आर्गेनाइज कर रहे हैं । हमने लगभग ६,८४,५०० रुपया ग्रेचुटस रिलीफ के लिये दिया है और लगभग ३०,००,००० रुपया डिस्ट्रिक्ट तकावी के लिये दिया है । और जैसा मैंने कहा जिलाधीशों को यह हिदायत है कि जितनी जरूरत हो आप भेजें और फौरन मन्जूर की जायगी । रुपये की कमी की वजह से इन मदद के कामों में किसी किस्म की रुकावट न हो और किसी भाई को तकलीफ भी न होने पावे । सरकार हर तरह से तन, मन, धन से कायदे के अन्दर जितनी मदद कर सकती है सब करने के लिये तैयार है । बहुत मुमकिन है कि अभी हम जितनी जरूरत हो उतनी न कर सके हों लेकिन जैसे जैसे डिमान्ड आयेगी उसको फौरन पूरा करने की कोशिश करेंगे । फसलों का जो नुकसान है उसका तखमीना किया जा रहा है । और मैं एक बात बता दूं जो बहुत जरूरी है, शायद फिर भूल जाऊं, हमने यह भी आदेश दे दिया है कि क्षतिग्रस्त जितने जिले हैं वहां की तकावी और मालगुजारी की वसूली रोक दी जाय । आपको कहने की जरूरत नहीं पड़ी, मैंने पहले ही कर दिया । जो बात होनी चाहिये अगर बिना कहे कर दी जाय तो उसमें और ग्रेस होता है । तो हम जो बात करना चाहते हैं बिंद ग्रेस करना चाहते हैं । यह आदेश जा चुके हैं, तारीख मुझे याद नहीं है । आगरा, मथुरा और अलीगढ़ में पहले ही पहुंच गये हैं, यहां भी पहुंच गये होंगे । कोई जिला नहीं कह सकता हमको सहायता नहीं दी । जहां पानी नहीं बरसा उनको तो नहीं मिलेगी । सरकार इस बात में भी सतर्क है कि जितने रिलीफ मेजर्स हम करें तो करें लेकिन यह कैलेमिटी कैसे रोकी जाय । सरकार इसकी भी पूरी कोशिश कर रही है । हमने दूसरी पंचवर्षीय योजना के दौरान में ८.४ करोड़ रुपया एप्राक्सिमेटली फ्लड कंट्रोल स्कीम्स के सिलसिले में खर्च किया है । ६० लाख रुपया मौजूदा साल में भी खर्च हो रहा है । थर्ड प्लान में भी कुछ स्कीमें ली गयी हैं जिन पर करीब ११ करोड़ रुपया खर्च होने वाला है वे स्कीमें हैं फ्लड कंट्रोल वर्क, गांवों का लेविल ऊंचा करना, जो शहर कट रहे हैं उनको प्रोटेक्शन देना और कल्वर्ट्स और ब्रिजेज को चौड़ा करना, इन्वेस्टीगेशन आफ सर्वे और फ्लड फोरकास्टिंग वगैरहः । कुछ रुपया हम ड्रेनेज इम्प्रूवमेंट के लिये और वाटरलागिंग स्कीम के लिये दे रहे हैं । लेकिन मुझे एक बात कहनी है । एक कहावत है, "मैन प्रोपोजेज, गाड डिस्पोजेज" । सैलाब का मसला हर साल हमारे यहां किसी न किसी हिस्से में हुआ करता है । उसी की रोकथाम के लिये हम और आप, सबकी कोशिश है । लेकिन चाहे हम जो भी करें फिर भी हमें इस बात के लिये तैयार रहना होगा कि बावजूद हमारी तमाम कोशिशों के पानी भी बरसेगा और कुछ न कुछ फ्लड भी आयेगा । तो उसी नुक्तेनजर से हम ये सारी चीजें कर रहे हैं ।

जैसा मैंने शुरू में कहा, मैं अपने तमाम उन भाइयों के साथ जिनको अतिवृष्टि से क्षति पहुंची है, जिनके परिवार के लोग मर चुके हैं या जिनके और तरह के नुकसानात हुये हैं, अपनी और सरकार की पूरी पूरी सहानुभूति प्रकट करता हूं और फसलों का जो नुकसान हुआ है उसका तखमीना आने पर कायदे के अन्दर जो कुछ भी हम कर सकते हैं हम भरसक करने की कोशिश करेंगे ।

एक जो स्टटमेंट मैंने माननीय सदस्यों को दिया है उसको वे तो पढ़ेंगे ही लेकिन मैं टोटल रेनफाल का परसेंटेज श्रीमन् की आज्ञा से पढ़ देना चाहता हूं ।

श्री अध्यक्ष—सभी जिलों का पढ़ेंगे ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—जी हां ।

श्री अध्यक्ष—उसमें तो मैं समझता हूं कि बहुत टाइम लगेगा। उसको सब लोग देख ही लेंगे और बहराइच का मैं देख रहा हूं कि परसेंटेज बहुत ही कम है।

श्री हुकुमसिंह विसेन—लेकिन आगरा में १८० परसेंट है, मथुरा में १८४ परसेंट, अलीगढ़ में १४७ परसेंट और इसी तरह से इटावा में १६१ परसेंट, जालौन में १६१ परसेंट, जौनपुर में १०४ परसेंट, लखनऊ में १४८ परसेंट, हरदोई में १७७ परसेंट, बहराइच में ९४.२ परसेंट है। अगर इसमें पहाड़ों का हिस्सा जोड़ लिया जाय तो नार्मल से ज्यादा हो जायगा। इतना ही, श्रीमान्, मुझे कहना था। अब हमारे माननीय सदस्य जो सुझाव देंगे उन पर हम विचार करेंगे और जो हमारी त्रुटियां होंगी उनको दूर करने की चेष्टा करेंगे।

श्री अध्यक्ष—एक बात यह है कि भाषणों के संबंध में समय निर्धारण हो जाय तो अच्छा है।

राजा वीरेन्द्रशाह (जिला जालौन)—श्रीमन्, मेरा प्रस्ताव यह है कि पार्टियों के नेताओं को १५ मिनट तथा अन्य सदस्यों के लिये ७ मिनट का समय दिया जाय।

श्री उग्रसेन—श्रीमन्, सदस्यों के लिये दस मिनट का समय रखा जाय।

श्री अध्यक्ष—मैं समझता हूं कि यह ठीक नहीं रहेगा।

श्री भजनलाल (जिला उन्नाव)—श्रीमन्, मैं यह कहूंगा कि जिन जिलों में बाढ़ आई है और जो वहां के विधायकों ने जानकारी हासिल की है, उनको प्राथमिकता दी जाय।

श्री अध्यक्ष—मैं उनको दृष्टि में रखूंगा।

श्री कल्याणचन्द मोहिले (जिला इलाहाबाद)—अध्यक्ष महोदय, अभी मंत्री जी ने जो वक्तव्य लम्बा चौड़ा दिया है उसके संबंध में यह जानना चाहता हूं कि जो आंकड़े दिये गये हैं वह जिला अधिकारियों के ही आंकड़े हैं या केबिनेट के किसी माननीय सदस्य ने भी निरिक्षण किया है?

श्री अध्यक्ष—यह तो आपको समझ लेना चाहिये कि केबिनेट के माननीय सदस्य आंकड़े स्वयं इकट्ठा नहीं करते, वह जिले से ही आया करते हैं।

श्री कल्याणचन्द मोहिले—श्रीमन्, मैं निरीक्षण की बात कहता हूं।

श्री अध्यक्ष—उससे आंकड़े नहीं मालूम होते हैं। १५ मिनट तो जो पार्टियां के नेता हैं उनको मिलेंगे और सदस्यों को सात मिनट मिलेंगे, अगर समझूंगा तो किसी को दस मिनट दे दूंगा।

श्री टीकाराम पुजारी (जिला मथुरा)—श्रीमन्, जहां पर गर्की हुई है वहां के सदस्यों को बोलने के लिये समय देने की जरूरत नहीं है?

श्री अध्यक्ष—देखिये जहां पर बाढ़ आई है वहां के कोई भी सदस्य बोलने के लिये खड़े होंगे तो मैं उनको दस मिनट दे दूंगा।

श्री मुक्तिनाथराय (जिला आजमगढ़)—अध्यक्ष महोदय, मैं जानकारी प्राप्त करना चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष—अभी मैं प्रश्नों की इजाजत नहीं दूंगा क्योंकि अभी उनका वक्तव्य हो गया है।

श्री मुक्तिनाथराय—श्रीमन्, वक्तव्य के बारे में ही मैं जानना चाहता हूं। इसमें लिखा हुआ है कि आजमगढ़ जिले में घाघरा में ७-९-६० को पुनः बाढ़ आ गई है। आज वहां क्या हालत है?

श्री अध्यक्ष—यह तो उन्होंने जानकारी दी है, आप बाद में प्रश्न कर लें।

***श्री नारायणदत्त तिवारी** (जिला नैनीताल)—श्रीमन्, हमारे लिये यह बड़े दुर्भाग्य का विषय है कि हमें आज फिर प्रदेश में बाढ़ से हुई हानि के सम्बन्ध में विवाद करना पड़ रहा है। यह कोई प्रसन्नता का विषय नहीं है और मैं इस सम्बन्ध में माननीय माल मंत्री जी से सहमत हूं कि हम सभी को चाहे किसी भी पार्टी के हों, बाढ़ पीड़ितों के प्रति जो प्रदेश के विभिन्न जिलों में बाढ़ से क्षतिग्रस्त हुये हैं या जो हताहत हुये हैं या जिनकी अन्य प्रकार से क्षति हुई है पूर्ण सहानुभूति व्यक्त करनी चाहिये।

माननीय मंत्री जी ने अपने लम्बे चौड़े भाषण में कुछ तथ्य हमारे सामने रखे हैं और एक लम्बा चौड़ा विवरण-पत्र भी हमारे सामने रखा है। अच्छा होता अगर यह विवरण-पत्र माननीय सदस्यों को कल मिल गया होता। आज तो उसका अध्ययन करना और दूसरी ओर माननीय मंत्री जी का भाषण सुनना, म समझता हूं कि यह सभी माननीय सदस्यों के लिये कठिन विषय रहा होगा। फिर भी जो आंकड़े मंत्री जी ने पेश किये हैं, उनका हम अवलोकन करते हैं और अध्ययन करते हैं तो हम पाते ह कि उनमें भी त्रुटियां हैं। माल मंत्री जी ने अपने भाषण में बताया कि २,८२० गांवों को क्षति पहुंची है। जो स्टेटमेंट हम लोगों को मिला है उसमें २,९६४ दिये हुये हैं। इसी प्रकार से जो प्रभावित क्षेत्र है उसमें भी भारी फर्क है, जो आंकड़े अभी बंटे हैं और जो मंत्री ने पढ़े हैं, फर्क उनमें भी मिलता है और मृत्यु की संख्या में भी मिलता है। अगर हम थोड़ी देर के लिये आंकड़ों को सही भी मान लें जो माननीय मंत्री जी ने दिये हैं तो जो सहायता दी गयी है वह कितनी नाकाफी है, इसकी ओर भी आप का ध्यान दिलाऊंगा। आप देखें कि २२ लाख १३ हजार एकड़ जमीन क्षतिग्रस्त हुई है, और जो इस समय भी बाढ़ से प्रभावित है वह जमीन १२ लाख ८१ हजार एकड़ है। जो सहायता दी गयी है वह कुल ६ लाख ८४ हजार ५ सौ रुपये है सारे प्रदेश में। यह अहेतुक सहायता है। तकावी २९ लाख ११ हजार रुपये की है। अगर आप इसका हिसाब लगायें तो आप देखेंगे कि जो औसत पड़ता है, वह अगर कृषि क्षेत्र को हम लें तो ३३ नये पैसे प्रति एकड़ पड़ता है। अगर मकानों की संख्या ली जाय तो ९० हजार १५२ मकान क्षतिग्रस्त हुये हैं, तो ७ रु० फी एकड़ पड़ता है और अगर कृषि क्षेत्र के हिसाब से लगाया जाय तो सवा रुपये प्रति एकड़ पड़ता है।

मैं जानता हूं कि सरकार की अपनी सीमायें हैं। ऐसा नहीं हो सकता कि सारी क्षति की पूर्ति सरकार पूरी कर दे। यह बिलकुल नाम मात्र की सहायता है, जहां ९० हजार घर समाप्त हुये हों, वहां ६ लाख रुपये की सहायता ७ रुपया फी घर पड़ती है। इससे क्या सहायता मिलने वाली है? इस सम्बन्ध में हमें बतलाया गया है कि एक फेमिन रिलीफ फंड होता है, जिसमें कम से कम ६० लाख रुपये की धनराशि प्रतिवर्ष कानून द्वारा स्वीकृत है, इसीलिये कि अगर अकाल पड़े तो उस रुपये का प्रयोग किया जा सके। जब मैंने यह कहा था कि फेमिन रिलीफ फंड का नाम बदल कर नैचुरल कैलेमिटीज रिलीफ फंड कर दिया जाय तो भूतपूर्व माल मंत्री श्री चरण सिंह ने कहा था कि नियमों के अनुसार फेमिन में नैचुरल कैलेमिटीज भी आती हैं। जब ६० लाख रुपया इस सदन द्वारा निश्चित कर दिया गया है कि प्राकृतिक आपदाओं का सामने करने के लिये यह धनराशि सदैव उपलब्ध रहे तो कोई कारण नहीं समझ में आता कि कुल ६ लाख ८४ हजार रुपया अहेतुक सहायता के लिये जिलाधीशों को दिया जाय, और, श्रीमन्, आप ध्यान रखें कि इस धनराशि में वह जिले भी शामिल हैं जिनमें बाढ़ नहीं आयी है, दस हजार रुपया प्रत्येक जिलाधीश के पास रख दिया गया है। ३८ जिलों में नुक्सान हुआ है। ३८ जिलों का अगर टोटल किया जाय तो ४ लाख रुपया पड़ता है। जिससे और भी कम अनुपात पड़ता है। फिर आप देखें कि जो सहायता दी गयी है उसमें कोई तारतम्य नहीं है। जिलाधीश महोदयों को जो डिस्क्रिशन है उसके पीछे ऐसा नियम होना चाहिये जो प्रदेश भर में लागू हो। मैं मिसाल देना चाहता हूं कि लखनऊ जिले में पूड़ी और आटा बांटा गया। यहां बाढ़ कम थी। मैं यह नहीं कहता कि पूड़ियां नहीं बांटी जानी चाहिए। बस्ती में चावल, दूध और नमक बांटा गया, जहां माननीय मंत्री जी ने बताया कि बाढ़ कम आयी। आगरे में केवल

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री नारायणदत्त तिवारी]

भुना चना और गुड़ बांटा गया, जहां सबसे ज्यादा क्षति है। तो किसी प्रकार का वितरण का नियम नहीं है। इसी प्रकार आप देखें कि अलीगढ़ जिले में २ लाख ६९ हजार एकड़ जमीन डूबी हुई है। ९२१ गांव प्रभावित हुए हैं और ८,२२६ घर क्षतिग्रस्त हुये हैं। उसमें गुड़ दिया गया है। यहां २ आने से १२ आने तक फसल बरबाद हुई है। यहां कुल ८५ हजार रुपया तकावी दी गयी है। मथुरा में कुल २६ हजार एकड़ कृषि क्षेत्र प्रभावित हुआ है, या आंकड़े गलत हैं। क्योंकि मथुरा में भी बाढ़ उतनी ही आयी है, वर्षा करीबकरीब उतनी ही है। लेकिन जब कि अलीगढ़ में २ लाख ६९ हजार एकड़ कृषि क्षेत्र प्रभावित हुआ है और आगरे में १ लाख ५१ हजार ८७६ एकड़ प्रभावित है और २ लाख ५४ हजार एकड़ अभी भी पानी से घिरा हुआ है तो यह बात समझ में आई नहीं कि तकावी के लिये मथुरा में तो १ लाख ६५ हजार रुपया आपने दिया है और अलीगढ़ में ८५ हजार रुपया तथा आगरा में केवल ४५ हजार रुपया। तो यह किस हिसाब से दिया गया है? उनके मकान ज्यादा क्षतिग्रस्त हैं, जमीन ज्यादा क्षतिग्रस्त है लेकिन तकावी की रकम करीब एक चौथाई रखी गई है। तो इसका क्या सिद्धांत है? कोई सिद्धांत हमें इसमें नजर नहीं आता कि सरकार की तरफ से कोई भी सिद्धांत हानि के अनुसार या उसके प्रतिशत के अनुसार सहायता देने में बरता गया हो। इन आंकड़ों के देखने से कोई भी सिद्धांत इसमें नजर नहीं आता।

अब, श्रीमन्, इन आंकड़ों को देखने से एक बात और भी स्पष्ट होती है कि यह अधूरे आंकड़े हैं और स्पष्ट भी नहीं हैं। यह चारे की कमी के सिलसिले में जहां कुछ तहसीलों के बारे में कहा गया कि जहां चारे की कमी है, चारे की कमी की आशंका है वहां बिलकुल उन्हीं से मिली-जुली तहसीलों के बारे में कह दिया जाय कि चारे की स्थिति सन्तोषजनक है, तो यह किसी प्रकार सही नहीं हो सकता और खासकर मथुरा और आगरा जिले के बारे में किसी प्रकार ऐसा नहीं कहा जा सकता कि स्थिति सन्तोषजनक है।

तो मेरा यह सुझाव है कि भविष्य के लिये सभी जिलाधीशों को यह निश्चित रूप से बता देना चाहिये कि वह किस प्रकार से जो अहेतुक सहायता हेतु धन दिया जाता है उसको दें। दूसरी बात, तकावी के पीछे कुछ सिद्धान्त होना चाहिये कि कहां कितना नुकसान हुआ और उसके हिसाब से तकावी दी जानी चाहिये।

अब जहां तक योजनाओं का सम्बन्ध है श्रीमन्, आप देखेंगे कि प्रथम पंचवर्षीय योजना में इस सम्बन्ध में बहुत कम ध्यान दिया गया, इस बात को माननीय मंत्री जी भी मानेंगे। दूसरी पंचवर्षीय योजना में कुछ कार्य अवश्य हुआ। गांव ऊंचे किये गये कुछ फ्लड प्रोटेक्शन स्कीम्स बनाई गईं, यह सही है। लेकिन सारी बात तो यह है कि केवल योजना विभाग प्रदेश का चाहे जितनी भी चेष्टा करे सेन्ट्रल प्लानिंग कमीशन बाढ़ नियंत्रण सम्बन्धी योजनाओं को या बाढ़ प्रतिरोध योजनाओं को योजना का अंग मानने के लिये आज भी तैयार नहीं है। यह सबसे बड़ी कमी है। जब तक हम प्लानिंग कमीशन को और अपने राज्य के प्लानिंग करने वालों को यह नहीं मनवा लेंगे कि बाढ़ नियंत्रण और बाढ़ प्रतिरोध योजनायें, हमारी योजना में बड़ा महत्व-पूर्ण स्थान रखती हैं तब तक कभी यह कठिनाई दूर होने वाली नहीं है। इसका दूसरा सबसे बड़ा कारण यह है कि सरकार स्वयं इस बात को महसूस नहीं करती। द्वितीय पंचवर्षीय योजना में जब १० करोड़ रुपया हम खर्च कर रहे हैं तो तृतीय पंचवर्षीय योजना में कुल १० करोड़ ९६ लाख रुपया इसमें रखा गया है। कुल ९६ लाख रुपया की वृद्धि उसमें करने जा रहे हैं। इससे यह स्पष्ट होता है कि आज इस सरकार के भी जो नियोजक अंग हैं वह बाढ़ नियंत्रण और बाढ़ निरोधक योजनाओं को कोई प्राथमिकता देने के लिये तैयार नहीं हैं। वह इस बात को मानने के लिये तैयार नहीं हैं कि आज जो खरीफ और रबी आन्दोलन चलाकर कृषि उत्पादन में वृद्धि की योजनायें चलायी जा रही है उसमें बाढ़ की समस्या और वाटर लागिंग की समस्या से यह सभी आन्दोलन असफल हो जायेंगे। इस बात

को जानते हुये भी वह योजना में इसे प्रथम स्थान देने को तैयार नहीं है। आज कारण क्या है कि अलीगढ़ में, मथुरा में, बुलन्दशहर में, आगरा में हम वाटर लागिंग की योजनायें चला रहे हैं और १ करोड़ के करीब पया हमने पिछले वर्ष खर्च किया लेकिन उन्हीं जिलों में और उन्हीं तहसीलों में जहां कि पया खर्च हुआ, आज हम देख रहे हैं कि वाटर लागिंग की समस्या बनी हुई है और कहीं-कहीं दो-दो तीन-तीन लाख एकड़ जमीन पानी से डूबी हुई है। मैं नहीं जानता कि कारण क्या है ? अगर हमारे इंजीनियरिंग विभाग की कैपेसिटी नहीं है तो उसकी कैपेसिटी क्यों नहीं बढ़ाई जाती क्योंकि मुझे एक दिक्कत यह भी मालूम होती है कि हम पया मंजूर कर देते हैं लेकिन हमारे पास इतने टेक्निकल आदमी नहीं हैं कि हम उस रुपये को खर्च कर सकें। सर्वे डिवीजन्स कम हैं और कोई योजना ठीक से बन नहीं पाती है। ब्लू प्रिंट तो हम लखनऊ में बैठकर बना लेते हैं लेकिन मौके पर जहां गांवों और शहरों को बचाने का प्रश्न आता है वह योजनायें अधूरी रह जाती हैं। उस पये को हम खर्च नहीं कर पाते। श्रीमन्, आपको व्यक्तिगत जानकारी है सम्भवतः भारत सेवक समाज के सूत्रों से या अन्य सूत्रों से कि पूर्वी जिलों में गांवों को ऊंचा करने की योजनाएं चलाई गई। इसमें अधिकांश गांवों की जो स्थिति पूर्ववत थी वह वैसी की वैसी ही है। जो मिट्टी डाली गई था वह बह गई। इस प्रकार की योजना हमारे पूर्वी जिलों में चलाई जाती हैं। माननीय सदस्य पीछे से मुझे सही कर रहे हैं कि बाज जगह मिट्टी डाली ही नहीं गई और गाजीपुर के एक गांव का तो मुझे भी इल्म है कि वहां पर मिट्टी डाली ही नहीं गई और कह दिया गया कि वहां पर मिट्टी डाली गई।

यह सही है कि पूर्वी जिलों में एक नदी के लिये यह कहा जाता है कि इसकी हम योजना बनायेंगे का काम लेकिन बड़ी गंडक, नारायणी, राप्ती और घाघरा जो नदियां हैं इनके लिये जब तक फ्लड कंट्रोल का काम ठीक नहीं किया जायगा तब तक समस्या हल नहीं होगी। हमारे माननीय माल मंत्री, बहराइच से आते हैं। बहराइच में वर्षा केवल ९४.२, देवरिया में ९४.४ फीसदी हुई जो औसत से कम है। गोंडा में ९३.६ फीसदी वर्षा हुई है जो औसत से कम हुई है। वहां पर बाढ़ से २ लाख एकड़ जमीन पानी में डूबी हुई है। ऊपर पहाड़ों से पानी आया तो जमीन डूब गई। इस तरह से लाखों एकड़ जमीन डूबी हुई है। इसका क्या कारण है ? इसका कारण यह है कि कोई प्लानिंग का प्रोग्राम नहीं है। तीसरी पंचवर्षीय योजना में आपने ड्राफ्ट रखा होगा लेकिन प्रश्न यह है कि उसको आप कोई प्राथमिकता देते हैं या नहीं।

इसी प्रकार से मुख्य समस्या यह है कि पिछले वर्ष जो बाढ़ पीड़ित जिले हैं जिनकी जमीन कट चुकी और जिनके मकान नष्ट हो चुके उनके पुनर्वास की समस्या आज तक बनी हुई है। मैं माल मंत्री जी से जनना चाहता हूं, वह अपने उत्तर में बतायें कि जो उन्होंने जिक्र किया कि १ करोड़ एकड़ जमीन डूबी थी या ९० लाख या ६० लाख एकड़ डूबी थी तो उन मकानों और जमीन नष्ट होने वाले लोगों के बसाने के लिये आज तक उनको दोबारा जमीन दी है या नहीं ? हमको इसके आंकड़े चाहिये। सहायता दो प्रकार की हुआ करती है—एक तो तुरन्त सहायता और दूसरी पुनर्वास की सहायता। तो जिनकी जमीन कट गई चाहे वह प्रदेश के किसी भी कोने में रहते हों उनके लिये स्थायी पुनर्वास का कोई रास्ता निकाला गया ? इसके हमको आंकड़े चाहिये।

एक बात और है। जो इसी प्रकार से कन्ट्री को बनाने की बात थी, मैं चाहता हूं कि माल मंत्री जी इस ओर ध्यान दें। नदियों में यातायात के साधन बनाने के लिये सरकार कोई कार्यवाही करे चाहे वह रिवर ट्रान्सपोर्ट बोर्ड बनाकर या रिवर ट्रान्सपोर्ट आर्गनाइजेशन बनाकर। इसके साथ ही किसी भी जिले में जो नेचुरल कैलेमिटीज का सामना करने के लिये रिलीफ कमेटी बनी हुई है उनको सक्रिय होना चाहिये। पिछले वर्षों में प्राकृतिक आपदा का सामना करने के लिये समिति बनी थी। मेरी जानकारी में उसकी मीटिंग ही कोई नहीं हुई। वह कमेटी कागज पर ही लिखी रह गई। कुछ जिलों में उसकी मीटिंग हुई होंगी लेकिन मेरी जानकारी में ज्यादातर उसकी मीटिंग नहीं हुई।

[श्री नारायणदत्त तिवारी]

इसके साथ ही एक मोबाइल स्क्वैड बनाया जाय जो इस प्रकार का सामान लेकर बाढ़ पीड़ित क्षेत्रों में घूमता रहे। जितने भी बाढ़ग्रस्त जिले हैं वहां पर एक मोबाइल स्क्वैड की स्थापना होनी चाहिये जो हर प्रकार की सहायता बाढ़ पीड़ित गांवों को पहुंचा सके।

जहां तक लगान के माफ किये जाने का सम्बन्ध है इसकी माल मंत्री जी ने घोषणा की। मुझे आशा है कि निकट भविष्य में जहां असेसमेंट पूरा हो जायगा, माल मंत्री जी घोषणा करेंगे कि इस प्रकार की सहायता वहां पर कर रहे हैं और लगान पूर्णरूपेण माफ कर दिया गया। मुझे आशा है कि अगले वर्ष इस प्रकार का विवाद करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी और अगर आवश्यकता पड़ी और इन्द्रदेव ने हुकुमसिंह जी के हुकुम को नहीं माना और हमें इस प्रकार की आपदा का सामना करना पड़ा तो कम से कम मानवोचित उनके त्राण हेतु जो सहायता हम कर सकते हैं, वह हम करेंगे, ऐसी मुझे आशा है।

श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल (जिला आगरा)—माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय माल मंत्री जी ने पीड़ित मानवों के दुख से जो सहानुभूति प्रकट किया, मैं उनकी इस सहृदयता के लिये उन्हें धन्यवाद देता हूं और उन्होंने जो थोड़ी बहुत चाहे कितनी भी नाकाफी हो और उसके नाकाफी होने में संदेह नहीं है सहायता दी, उसके लिये भी मैं उनका कृतज्ञ हूं। लेकिन कुछ बातों की ओर इस माननीय सदन का और मंत्रि परिषद् का ध्यान दिलाना चाहता हूं और इस संबंध में सब से पहली बात यह है कि सरकार का दृष्टिकोण इस विषय में दूषित है, कुत्सित है, त्रुटिपूर्ण है, योजनाओं तथा दूसरी खराबियों की जो बात माननीय तिवारी जी ने कही है उसका कारण भी यही है।

(इस समय १२ बजकर ५७ मिनट पर श्री अध्यक्ष चले गये और अधिष्ठाता, श्री मलखान सिंह, पीठासीन हुये।)

माननीय अधिष्ठाता जी, यह बात तो आपको मालूम है कि अतिवृष्टि, बाढ़ और गरकी की समस्या गांव की समस्या है और सच्ची बात यह है कि हमारे योजना आयोजकों ने और हमारी सरकार ने गांव की तरफ बहुत कम ध्यान दिया है, गांव के साथ सौतेला व्यवहार किया है और अपना पूरा ध्यान और शक्ति शहरों की भलाई की ओर ही लगा दी है। पहली पंचवर्षीय योजना में तो सच बात यह है कि जिस समय वह बनी थी संत विनोबा ने कह दिया था कि वह बेकार है क्योंकि उसमें बेकारी को दूर करने का कोई प्रबन्ध नहीं किया गया है और यह भी आपको, हमको, सब को मालूम है कि उस योजना को बानने के साल, डेढ़ साल बाद आगरा में जब अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की बैठक हुई थी तो उसमें पंडित नेहरू, हमारे प्रधान मंत्री महोदय, ने एक प्रस्ताव पेश किया था कि बेकारी की बात को तो हम भूल ही गये हैं। तो पहली योजना में बेकारी की बात याद नहीं रही और कृषि को प्राथमिकता देने की बात भी याद नहीं रही। दूसरी योजना में कृषि को प्राथमिकता देने की बात याद नहीं रही। अब तीसरी योजना में १० वर्ष बाद यह याद आया है कि गांव भी है, खाद्य समस्या भी है, किसान भी हैं और उनके लिये कुछ होना चाहिये और इस तीसरी योजना में उनको प्राथमिकता दी गयी है। हमारे संस्कृत वांङ्मय में एक चीज है "ईतिभीति"। जिसे आजकल प्रचलित भाषा में प्राकृतिक प्रकोप कहा जाता है, यह कोई नई बात नहीं है। माननीय मंत्री जी ने अपने भाषण में कहा है कि यह अक्सर होता रहता है और आगे भी होंगे, हमेशा के लिये इनको हम रोक दें ऐसी हमें आशा नहीं है। तब यह सवाल पैदा होता है कि जब ऐसे प्राकृतिक प्रकोप सदा से होते रहे हैं और मैं, अधिष्ठाता महोदय, आपको याद दिलाऊं कि १९३७ में कांग्रेस मंत्रिमंडल ने बाढ़ों की समस्या के संबंध में एक कमेटी बैठाई थी और तब से यह समस्या इस सरकार के सामने है। तब से लेकर आज तक, २३ साल में हम इस समस्या को हल नहीं कर पाये हैं और उस हल के नजदीक भी नहीं पहुंच पाये हैं। बाढ़ पीड़ितों के लिये, गांवों को ऊंचा करने के लिये कुछ किया गया, कुछ रुपया सहायता में बढ़ाया गया, योजनाओं में कुछ काम किया गया, लेकिन उसके बाद भी बाढ़ आयी है और काफी आयी है। कागजों में बहुत काम हुआ है, लेकिन जो रुपया खर्च हुआ है उसके माने ही यह नहीं है कि काम हो गया। रुपया तो बेकार भी जा सकता है। उन्होंने यह नहीं बतलाया कि जो

रुपया खर्च हुआ है उसके मुताबिक काम भी हुआ है ? या क्या जितना काम हुआ है वह जितना होना चाहिये उसके सौवें भाग के भी बराबर है ? यह बात हमारे सामने नहीं आयी ।

इसी तरह से गरकी की समस्या पश्चिमी जिलों में है । वाटर लागिंग, ड्रेनेज, पानी की निकासी की समस्या है । इसके लिये पारसाल से पहले सरकार को याद नहीं था कि यह भी समस्या है । पिछले साल सरकार ने यह सोचा कि कुछ नाले बनाने के लिये हमें कार्य करना चाहिये । इस कार्य के लिये कितना रुपया रखा गया और कितना खर्च हुआ, अगर इसका जवाब माननीय मंत्री जी से पूछा जाय तो उसको बताते उन्हें खुद भी लज्जा आयेगी और लज्जा को भी लज्जा आयेगी । जितना रुपया रखा गया वह एक तरह से हास्यास्पद ही कहा जायगा । आगरे जिले में पिछले साल बहुत बाढ़ आई । आगरे जिले में खैरागढ़ तहसील में एक नाला बनाया गया और बहुत कोशिश करने के बाद वह बना । किन्तु उसके बाद यह मालूम हुआ कि उसको इतना कम गहरा खोदा गया था कि इस साल जो पानी बरसा उससे वह नाला बिलकुल बेकार हो गया । मैंने जब माननीय मंत्री जी का ध्यान इस ओर दिलाया तो उन्होंने कहा कि जब पानी सूख जायगा तब नाला गहरा किया जायगा । तो इस तरह से नाले बनाये जाते हैं, जो बनने के तुरन्त बाद ही बेकार हो जाते हैं । उसकी समस्या वैसी ही बनी हुई है ।

अब जो अहेतुक सहायता की बात कही गयी है, उसकी सच्चाई तो माननीय तिवारी जी ने बता ही दी है कि वह इतनी कम है कि वह जलते तवे पर एक बूंद के बराबर भी नहीं है । केवल राउंड फिगर्स दे देने से ही कि हमने इतनी सहायता दी, कुछ काम नहीं चलता । वह देखने में जरूर बड़ी मालूम होती है, लेकिन जब यह हिसाब लगाया जाता है कि कितने करोड़ व्यक्तियों को सहायता दी गयी तो ऐसा मालूम पड़ता है कि फी व्यक्ति ४ आने भी नहीं पड़े । तो इस तरह की सहायता देकर तो मजाक ही किया जाता है । यह कोई सहायता नहीं की जाती ।

यह कहा जाता है कि रुपया नहीं है । रुपये की कमी बतलायी जाती है । किन्तु देखना यह होगा कि आप किस चीज को महत्व देते हैं, आप किस चीज को प्राथमिकता देते हैं ? आपके पास अरबों रुपया बांध बनाने के लिये है ? आज आपकी मनोवृत्ति बिलकुल पुराने धनिकों की तरह है जो यह चाहते हैं कि हम कोई धर्मशाला बनवा दें, या मंदिर बनवा दें या कोई ऐसी चीज बनवा दें जिससे उनका नाम चलता रहे । यही मनोवृत्ति इस सरकार की भी है कि वह बड़े-बड़े बांध वगैरह बनवा कर तैयार करा दे जिससे उसका नाम हो । किन्तु आज गरीब जनता क्या चाहती है, इस ओर हमारा ध्यान नहीं है ।

एक उदाहरण देकर मैं बताना चाहता हूं कि सरकार की नीति ही दोषपूर्ण है । दूसरी पंचवर्षीय योजना में ११० करोड़ रुपया हाउसिंग स्कीम के लिये रखा गया था । इसमें से आप देखें कि १०० करोड़ यानी एक अरब रुपया शहरों में मकान बनाने के लिये रखा गया और केवल १० करोड़ रुपया देहातों के लिये, जहां गांव की संख्या ७ लाख है, मकान बनाने के लिये रखा गया । तो यह १० करोड़ रुपया ५ वर्ष में गांवों में मकान बनाने के लिये जो रखा गया है इसके क्या मानी हैं यह हमारी समझ में कतई नहीं आता ? तो पग पग पर हमें यह दिखाई देता है कि असल समस्या और बात रुपये की नहीं है, असली समस्या सरकार के दूषित, कुत्सित दृष्टिकोण की है, गांव के प्रति अन्यायपूर्ण दृष्टिकोण की है, गांव वालों की तरफ ध्यान न देने की है । रुपये की कमी नहीं है । ११० करोड़ में से ८० करोड़ गांव के लिए और ३० करोड़ शहर के लिए रखा जाना चाहिए था । तो सवाल रुपये की कमी का नहीं है । सवाल यह है कि आप किस चीज का महत्व ज्यादा समझते हैं और गांव के प्रति भी कर्तव्य का पालन करने के लिए तैयार हैं या नहीं ?

इसी तरह से मैं यह कहूं कि आंकड़ों में देखिये कि मकान बनाने के लिये अहेतुक सहायता जो दी गयी है वह चना गुड़ बांटने के लिये भी है और दूध और पूरियां खिलाने के लिये भी है और मकान बनाने के लिए भी है और शायद ५ रुपये में मकान मंत्रिपरिषद् के सदस्यों के बन जाया करते होंगे । वह इस योजना को बतायें जनता को कि ५ रुपये में कौन से मकान बन सकते हैं तो जनता को बहुत लाभ हो और हम उनके बहुत कृतज्ञ हों । तो सही बात यह है कि दूषित दृष्टिकोण है, इसलिये ध्यान नहीं दिया जाता ।

[श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल]

गांव के मकानों के सम्बन्ध में मैंने पिछली मर्तबा मंत्री महोदय से कहा था और उनकी सहायता के लिये ३-४ साल पहले जब चौधरी चरण सिंह जी माल मंत्री थे, तो उन्होंने कहा था कि हमारे नियमों में जिन काश्तकारों के मकान गिर जांय उनकी सहायता देने के लिये कोई विधान नहीं है। तो मैंने माल मंत्री से इस मर्तबा इसी सदन में अभी कुछ दिन पहले यह प्रार्थना की थी कि नियमों में परिवर्तन कर दीजिये। जो नियम इतने बुरे हैं कि मानवता की पीड़ा की तरफ ध्यान नहीं देते उन नियमों को हम धार्मिक अनुष्ठान नहीं मान सकते। वेदों के बारे में आज हम शंकाएं करते हैं, बाइबिल के बारे में शंकाएं करते हैं, कुरान शरीफ के बारें में तर्क करते हैं, लेकिन क्या ये नियम वेदों, बाइबिल और कुरान शरीफ से भी पवित्र हैं कि उनका परिवर्तन नहीं हो सकता, चाहे मनुष्य मरे या जीये। यह अच्छा दृष्टिकोण नहीं है। माननीय मंत्री महोदय ने यह भी कहा था कि परिवर्तन करने में देर लगेगी। मेरा निवेदन यह है कि मानव की पीड़ा के लिये आवश्यकता हो और परिवर्तन करने में देर लगे तो जिन आर्डिनेंस से दमन करने के लिये आप काम लेते हैं, क्या मानव की सेवा करने के लिये उनसे काम नहीं ले सकते। अध्यादेश क्यों नहीं कर देते ? मैं इसी लिये बार-बार जोर देता हूं कि सच्ची बात यह है कि दृष्टिकोण सही नहीं है, दूषित और कुत्सित है और इसीलिये गांव की समस्याओं को हल करने के लिये ध्यान नहीं दिया जाता।

एक बात बार-बार कही गयी कि शहरों में बात-बात पर इंश्योरेंस है---एम्पलायमेंट इंश्योरेंस है, सिकनेस इंश्योरेंस है। सही बात है, होनी चाहिये, लेकिन गांव में क्राप इंश्योरेंस नहीं है, फसल का बीमा नहीं है, गांव में मवेशियों का बीमा नहीं है। पूरी फसल का बीमा न हो सके तो अतिवृष्टि से, बाढ़ से, गरकी से जो नुक्सान हो उसका तो बीमा, सीमित ही, सरकार करे। माननीय अधिष्ठाता जी आज से २ साल पहले मैंने फसल के बीमे का सुझाव दिया था तो मुख्य मंत्री जी ने कहा था कि बड़ा अच्छा सुझाव है, हम विचार करेंगे, लेकिन आज तक, अभीतक कुछ नहीं किया गया। पंजाब में यह क्राप इंश्योरेंस लागू हो गया है और हमारा प्रदेश ऐसे मामलों में पिछड़ा हुआ रहता है और पिछड़ा हुआ है। इसलिये मेरा कहना है कि अगर सरकार को कुछ करना है तो मकानों की सहायता के लिये अध्यादेश निकाल कर सहायता पहुंचावे और क्राप इंश्योरेंस और मवेशी इनश्योरेंस को चालू करे। नियमों के परिवर्तन की आवश्यकता हो तो करे और अपने दृष्टिकोण को सही रखे। यह भी सोचे गांव में मनुष्य रहते हैं, वह भी नागरिक हैं, उनके प्रति भी हमारा कुछ कर्त्तव्य है और अगर सरकार सहायता नहीं करती है तो मैं यह कहता हूं कि वह अपने कर्त्तव्य का पालन नहीं करती।

श्री उग्रसेन—माननीय अधिष्ठाता जी, माननीय मंत्री जी ने जो सारे प्रदेश की बाढ़ की रिपोर्ट इस आदरणीय सदन के समक्ष रखी है, मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ कि उसमें एक आंकड़ा माननीय मंत्री जी ने नहीं रखा। श्रीमन्, माननीय मंत्री जी ने यह नहीं बताया कि प्रदेश के कितने लोग इस बाढ़ की विभीषिका से इस बार जुलाई, अगस्त, सितम्बर मास में प्रभावित हुए हैं, इसका कोई आंकड़ा नहीं दिया और मुझे खयाल है कि जब दूसरे साल इसी बाढ़ के विषय पर आंकड़े दिये थे तो उनमें प्रदेश में कितने लोग बाढ़ से प्रभावित हैं वह दिये गये थे और मैं दावे से कहता हूं कि इस बात की विभीषिका से समूचे प्रदेश में २ करोड़ से ज्यादा लोग प्रभावित हैं।

मैं इन आंकड़ों की पूरी छानबीन तो जल्दी में नहीं कर पाया मगर गोरखपुर डिवीजन के जिलों के जो आंकड़े दिये गये हैं वह आंकड़े बिलकुल नाकाफी हैं। गोरखपुर, बस्ती, आजमगढ़ देवरिया, इन जिलों के जो आंकड़े दिये गये हैं वह बिलकुल नाकाफी हैं। अभी कल के अखबार में छपा था कि तमाम तार गोरखपुर से आ रहे हैं। वहां के जिलाधीश ने अखबारों को बयान दिया था कि हमारे यहां ग्यारह सौ से ज्यादा गांव प्रभावित हैं, ढाई लाख एकड़ जमीन में पानी हो गया है और ढाई लाख लोग प्रभावित हैं। एक दर्जन बांध टूट गये हैं। श्रीमन्, मेरे पास एक तार आया है कि "राप्ती, आमी, घाघरा, की बाढ़ से बांस गांव तहसील में भीषण बरबादी। भौवापार बेला बांध मंगलवार प्रातः टूट गया। १४ हजार गांव, ३० हजार एकड़ फसल

बरबाद। सैकड़ों मकान गिरे। कुछ जानें गईं। कर्नल मजगांवां बांध की हालत खतरनाक। टूटने से लाखों की सम्पत्ति नष्ट हो गई।" देवरिया जिले में, इसमें दिखाया गया है कि तीन साढ़े तीन सौ गांव प्रभावित हैं। घाघरा देवरिया में पानी खतरे से एक इंच ऊपर पानी चला गया है और राप्ती गोरखपुर में २४६ इंच पहले था और अभी कल की खबर है कि २४९.३ फिट पर पानी चला गया है जबकि मंत्री जी ने बताया २४७ पर ही गया है। फिर भी जिला अधिकारी कह रहे हैं कि पानी धीमी गति से बढ़ रहा है। सन् १९३४ में लेविल का हायस्ट रिकर्ड २५०.५७ था, आज उससे सिर्फ एक फिट नीचे रह गया है। लेकिन कहा जाता है कि वहां राप्ती में बाढ़ नहीं आई। बस्ती की हालत अखबारों में छपी है लेकिन वह आंकड़े बहुत कम हैं। १० हजार मकान गिरे हैं। ५०० गांव पानी में फंसे हैं। गोबर्धन बांध टूट गया है। मलौनी बांध के नदुआ गांव में १२ फिट पानी है। चांपा गांव, जहां कैंची बांध है वहां दो फिट पानी बह रहा है। जिला अधिकारियों ने बयान दिया कि पानी धीरे-धीरे बढ़ रहा है और मलौन बांध में कोई खास खतरा नहीं है, पांचवें और ११वें मील पर खतरा है। हमारे यहां पूर्वी जनपद में डेढ़ करोड़ लोगों में कम से कम २०–३० लाख आदमी प्रभावित हैं। देवरिया जनपद में कुल ९४ नावें हैं। रुद्रपुर से डा० सीताराम और शाह साहब आते हैं वहां पर १८९ गांव पानी में डूबे हैं। नदुवा गांव को बांध से खतरा है। गांव का अस्तित्व ही मिट गया है। मंत्री जी ने कहा कि दूसरी योजना में बाढ़ के लिये दस करोड़ रुपया दिया। मैं पूछना चाहता हूं कि आखिर यह कैसी ढोल में पोल है। मैं मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि उस दस करोड़ में ढाई करोड़ रुपया वाराणसी के घाटों पर क्यों खर्च किया गया। मैं, श्रीमन्, वाराणसी गया था वहां घाट भी धंस रहे हैं। तो वह हमारा ढाई करोड़ रुपया इस प्रकार से चला गया। गांवों को ऊंचा करने के लिये जो पटाई की गई वह मिट्टी भी बह गई। इसका नतीजा होगा कि फिर गांव पाटे जांय। थर्ड प्लान में गांवों की पटाई की फिर योजना है। जबतक ड्रेनेज नहीं बनेंगी तबतक पटाई से कुछ समस्या का हल नहीं होने वाला है। इससे अच्छा तो यही है कि पटाई का काम छोड़ दिया जाय। आपके इंजीनियर बांध बनाते हैं। कहां बनाते हैं? जिला सोशलिस्ट पार्टी के अश्विनी कुमार की चिट्ठी मेरे पास आयी है। उन्होंने लिखा है कि बांध टूट रहा था और बांसगांव के एस० डी० एम० को सूचना दी गयी कि बांध टूट रहा है, उसकी देखभाल करा दीजिये लेकिन उसकी कोई चिन्ता नहीं की गयी। हां, तो आप बांध बनाते हैं नदी के पेटे में जब कि टैक्नीकल ओपीनियन है कि नदी के पेटे से एक फर्लांग दूर बांध बनानी चाहिये। यह है आपके इंजीनियरों की योग्यता। कर्नलगंज का बांध दूर बंधा है इसलिये बचा रहता है लेकिन गोरखपुर और देवरिया के बांध नदी के पेटे में बंधे हैं जो बार-बार टूट जाते हैं। वहां के लोग परेशानी में पड़ते हैं और इंजीनियर लोग मौज करते हैं।

उत्तर प्रदेश सरकार ने फ्लड कमेटी बनायी थी। पहले उसके सभापति माननीय हुकुमसिंह जी थे फिर माननीय चरण सिंह हो गये। इसका दफ्तर लखनऊ में ३ महीने खुला। आल इंडिया रेडियो से ब्राडकास्ट की बात कही गयी, २० रेडियो सेट्स दिये गये। उस कमेटी की सिफारिशों की ओर सरकार ने कोई विशेष ध्यान नहीं दिया। जगह-जगह वाटर लागिंग है। सन् ४८ में यह कमेटी बनी थी लेकिन उसकी एक भी सिफारिश को सरकार ने नहीं माना। अगर आप वाकई बाढ़ों की समस्या को हल करना चाहते हैं तो सरयू और गंडक की योजनाओं को शीघ्र पूरा कीजिये, नैपाल बांध को बनाइये और भी जो आपकी योजनायें हैं उनको शीघ्रता से पूरा कीजिये। श्रीमन्, मैं चाहता हूं कि सरकार बाढ़ कमेटी की रिपोर्ट को कार्यान्वित करे और उसको माने, तभी बाढ़ें बंद हो सकती हैं। दो आने की दियासलाई और मिट्टी का तेल दे देने से समस्या हल नहीं हो सकती।

श्री मिहरबानसिंह (जिला इटावा)—माननीय अधिष्ठाता महोदय, यह हमारे प्रदेश का दुर्भाग्य है कि कभी अतिवृष्टि और कभी अनावृष्टि से हम लोगों को कष्ट उठाना पड़ता है। काफी अरसे से यह समस्या हमारे प्रदेश में चल रही है। वैसे तो सरकार की तरफ से जो सूचना दी गयी है, उसको देखने से मालूम होता है कि प्रदेश के ज्यादातर जिले इस समस्या से प्रभावित हुए हैं। लेकिन अधिष्ठाता महोदय, मैं अपने जिले की बाबत सरकार से निवेदन करूंगा कि जो हालत वहां की हुई है, सरकार उस पर विशेष रूप से ध्यान दे।

[श्री मिहरबान सिंह]

मेरे जिला इटावा में २७–२८ अगस्त को ३६ घंटे लगातार बारिश हुई और वहां के लोगों को एक महाप्रलय का दृश्य देखना पड़ा। जैसा कि मंत्री महोदय ने बताया कि उससे पहले कभी ऐसी समस्या वहां नहीं दिखायी पड़ी जैसी समस्या कि इस साल वहां उत्पन्न हो गयी। हजारों किसान और मजदूर उससे प्रभावित हुए। तमाम जिले में जल ही जल दिखाई पड़ रहा है। निकासी का प्रबंध हो रहा है लेकिन बहुत कम। मैं आपके द्वारा सरकार से कहूंगा कि सरकार एक योजना बनाती है और उसको कार्यान्वित भी करना चाहती है लेकिन उसमें बहुत ढील रहती है। हमारे जिले में भर्थना तहसील में अक्सर जल भर जाता है और हजारों एकड़ जमीन हर साल जल में डूबी रहती है जोकि अच्छी जमीन है और जहां कि काश्त में अच्छी पैदावार हो सकती है। उसके लिये सरकार की तरफ से योजना बनायी गयी थी कि अगर यहां से नाला निकाल दिया जाय तो यहां पर हजारों एकड़ जमीन निकल सकती है। नाले का प्रबन्ध किया गया, पी० आर० डी० का कैम्प लगा तो ढाई मील का एक नाला खोदा गया, इसके बाद काम बन्द कर दिया गया। बाद को फिर मैनपुरी, इटावा और फर्रुखाबाद इन तीन जिलों के लिये एक नयी स्कीम बनायी गयी। एक बड़े नाले की स्कीम बनी और यह तय हुआ कि १९ मील का नाला यहां बनेगा जो नदी में जाकर गिरेगा जिससे इन जिलों की समस्या, पानी की अधिकता की समस्या हल होगी। श्रीमन्, उसपर दो तीन वर्ष से काम चल रहा है और करीब ४, ५ मील खुदाई मैनपुरी तथा इटावा जिले में हो गयी है। उसके आगे काम बन्द पड़ा है और उसे कोई सुनने वाला नहीं है। सिंचाई विभाग की तरफ से एक्जीक्यूटिव इंजीनियर उसका इन्तजाम कर रहे हैं। इधर नाले के आने से मैनपुरी जिले का पानी और जिलों में आकर ठहर जाता है, उसके आगे निकलने का कोई प्रबन्ध नहीं है। इससे समस्या और बढ़ गई—अभी मैं आपसे प्रार्थना कर रहा था कि मेरे जिले की ऐसी हालत है कि जिले के जितने सार्वजनिक कार्यकर्त्ता हैं तथा जिले के अधिकारी हैं उन्होंने दिलचस्पी ली और काम भी किया। लेकिन वह तो बहुत ही मामूली समस्या है। जैसा कि अभी हमारे और साथियों ने कहा, बहुत ही आवश्यक समस्यायें सुलझाने को बाकी पड़ी हैं। मैं तो सरकार से प्रार्थना करता हूं कि इस वक्त सबसे अधिक आवश्यकता इस बात की है—ये जो आंकड़े दिये गये हैं उसमें है कि इटावा जिले में बाढ़ से ४५४ ग्राम प्रभावित हुए हैं लेकिन, अधिष्ठाता महोदय, मेरा ऐसा विचार है कि वहां कम से कम ८, ९ सौ ग्राम ऐसे हैं जो बाढ़ से प्रभावित हैं। हो सकता है कि आंकड़े जल्दी में सही न आ सके हों लेकिन मेरा ऐसा विचार है कि इन ग्रामों को जल्दी से मदद दी जाय। जो रुपया सरकार ने मंजूर किया है वह बहुत ही नाकाफी है। इस सम्बन्ध में मेरा पहला सुझाव यह है कि जो लोग गृहविहीन हैं और सड़कों के किनारे पड़े हुए हैं, उनका प्रबन्ध किया जाय और इसके लिये मैं सरकार से कहूंगा कि इस वक्त उनको सबसे अधिक आवश्यकता चादरों की है। जो चादर इस वक्त सरकार के पास हैं वे ज्यादा से ज्यादा उनको दी जांय। इस वक्त दूसरों को परमिट बन्द कर दें जो बाढ़ पीड़ित हैं उनको ही चादरें दी जांय।

दूसरी समस्या जैसा कि अभी ठाकुर साहब ने कहा कि ताकावी और मालगुजारी की वसूली रोक दी है लेकिन आबपाशी का उन्होंने कोई जिक्र नहीं किया, तो मैं उनसे प्रार्थना करूंगा कि जो ग्राम बाढ़ पीड़ित हैं उनकी तकावी, उनकी मालगुजारी और उनकी आबपाशी की वसूली यह तो कतई रोक दी जायं और जो उनके लिये तकावी देने का प्रबन्ध किया गया है उस तकावी में भी वृद्धि की जाय और उनको आर्थिक सहायता दी जाय। मेरी आपके द्वारा सरकार से यह प्रार्थना है कि वैसे तो यहां पर पूर्वी जिलों और पश्चिमी जिलों की बात ज्यादातर चलती रही है, मैं सन् ५२ से इस सदन का सदस्य हूं, मैं अक्सर सुनता रहा हूं कि हमारे पूर्वी जिलों की तरक्की की जाय, हमारे पश्चिमी जिलों की तरक्की की जाय, लेकिन मेरा जिला न तो पूर्व में है और न पश्चिम में है। इसलिये मेरे जिले का नाम शायद कभी आता हो, यह तो मैं नहीं समझ पाता हूं कि सरकार की क्या कृपा दृष्टि इटावा जिले पर है? मैं तो सरकार से प्रार्थना करता हूं कि जो जिले बीच में हैं कम से कम सरकार उनकी समस्याओं को भी हल करने की कोशिश करे। मेरी यही प्रार्थना है।

*श्री भुवनेशभूषण शर्मा (जिला इटावा)—आदरणीय अधिष्ठाता महोदय, आज दुख के साथ इस सदन में जो पश्चिमी जिलों में बाढ़ आयी है उस पर सभी माननीय सदस्य अपने विचार व्यक्त कर रहे हैं। मान्यवर, यह दुर्भाग्य है कि आज हमारे प्रदेश में जहां अन्य नाना प्रकार की विपत्तियां आती जा रही हैं वहां यह प्राकृतिक प्रकोप भी आया जिसकी हम आशा भी नहीं करते थे। २७ और २८ अगस्त के बीच में उस इलाके में इतनी जोरों से वर्षा हुई जिससे आगरा, मथुरा, अलीगढ़ आदि जिले तो प्रभावित हुये ही हमारे जिला इटावा में जो कभी भी जैसा कि माननीय मंत्री जी ने कहा क्षतिग्रस्त नहीं हुआ, जहां न कभी कोई मनुष्य बाढ़ में मरा और न कभी वहां इतना कृषि क्षेत्र बरबाद हुआ, मान्यवर, यह हमारा दुर्भाग्य है कि इतनी बड़ी क्षति वहां हुई। मैंने उस जिले में क्षेत्रों में घूम-घूम कर देखा है और जो मैं कहता हूं वह यदि सही हो तो सरकार उस पर ध्यान दे कि इस नुकसान की जिम्मेदार हमारी सरकार की मशीनरी है। मान्यवर, पानी बरसता है और नदियों में चला जाता है। हम मानते हैं कि जब पानी बरसता है तो उनके कारण नदियां बढ़ती हैं, कटाव होता है और उस क्षेत्र में जहां बाढ़ का भी कोई प्रश्न नहीं है वहां पर भी स्वयं मैंने देखा है कि वाटरलागिंग हो जाती है। इसके लिये हमारे जिले में १४, १४ और १५, १५ सालों से स्कीमें वहां से नाला खोदने की चल रही हैं परन्तु वह खुदा नहीं और अगर खुदा भी तो ठीक नहीं और जैसा कि हमारे मित्र मिहरबान सिंह जी, जो हमारे इटावा जिले के माननीय सदस्य हैं, ने कहा है कि एक दो जगह खुदे भी हैं तो अधूरे पड़े हैं। मान्यवर, एक नाला, डंगुरी नाला जो सैंगुर तक जाने के लिये भर्थना तहसील में, जहां से मिहरबान सिंह जी चुनकर आये हैं, है इसके लिये स्कीम १४ सालों से सरकारी कागजों में पड़ी हुई है, न जाने कितनी बार उसका सर्वे भी हुआ लेकिन उसके खुदने की नौबत नहीं आयी। अगर यह नाला खुद जाता तो यह दो, ढाई सौ घर जो प्रभावित हुये हैं न हुये होते। भर्थना तहसील के सैकड़ों गांव जिनको यह आशा नहीं थी कि बरबाद हो जायेंगे बरबाद हो गये और लोग दर-दर की ठोकरें खाते हुये सड़कों पर पड़े हुये हैं। एक नाला है यह जिसके कारण यह दर्दनाक दृश्य देखने को मिल रहा है। बराबर इसके लिये प्रयास होता है और हमेशा उसके लिये प्रयत्न किया जाता है लेकिन वह कार्य ठीक से नहीं होता है।

दूसरे, करीब तीन चार साल में इटावा जिले में जसवन्तनगर में सरसों नदी ऐसा भंयकर रूप धारण करती है कि लाखों बीघा जमीन और उसके आस-पास मीलों तक के गांव खत्म हो गये। जसवन्तनगर इटावा जिले का एक ऐतिहासिक कसबा है और वहां से ठीक ६ फर्लांग पर स्टेशन है और उस कसबे से लगा हुआ सरसों नदी पर एक पुल है। पानी इतनी जोरों से बरस रहा है कि कस्बे में पानी हर साल गांठ गांठ तक जमा हो जाता है। यहां पर कितनी बार माननीय सदस्यों ने इस विषय को उठाया लेकिन हमारी सरकार ने उसके लिये कोई उपाय नहीं किया और यही एकमात्र कारण है कि दिन पर दिन इस प्रकार से तबाही आती गयी। अभी तक कोई व्यवस्था नहीं हुई। पता नहीं क्या बात है कि माननीय मंत्री जी ने कोई कदम नहीं उठाया। तीन चार साल से हर साल बाढ़ वहां आती है। मान्यवर, हम इटावा जिले के लोग इसके आदी नहीं थे, इसलिये कि वहां कभी इस तरह की मुसीबतें नहीं आयी थीं जैसा माननीय मंत्री जी ने कहा लेकिन अनायास ऐसा पानी बरसा कि वाटरलागिंग हुआ। चूंकि इधर उधर नहरें काफी हैं इसलिये बीच के हिस्से में पानी भर गया लेकिन इतना पानी भरने के बाद भी हमारे नाले खोदे जाने की कोई कार्यवाही नहीं हुई।

कठपुरा जलालपुर एक नाला है वह नाला वहां से आकर ईशानगर, बाबा—का नगला जैसे तमाम गांवों को लेता हुआ मीलों दूर जाकर सैंगर में मिलता है। मैं नहीं समझता कि नाला किस तरह खोदा गया कि पानी को ढाल की तरफ नहीं डाला गया, उल्टा डाला गया। परिणाम यह होता है कि नाले का पानी उस जगह हमेशा भर जाता है। इस तरह की इंजीनियरिंग है। श्रीमन्, जिस वक्त नाला वगैरह खोदा जाता है। पक्षपात किया जाता है। अगर

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री भुवनेशभूषण शर्मा]

गांव का कोई प्रभावी आदमी है और उधर से नाला निकलता है तो वह अधिकारियों से मिलकर उसे नहीं खुदने देता है। मान्यवर, यदि नाला ठीक प्रकार से खोदा जाता, यह नाला जो सेंगर नदी में डाला गया है, ठीक ६ फर्लांग पर यमुना नदी थी, यदि यमुना नदी में डाला जाता तो ये क्षेत्र हरगिज नहीं पीड़ित होते और जमीन तथा घर बरबाद न होता। एक बात और कहनी है कि नाले की सफ़ाई आदि नहीं होती। उसका कारण यह है कि कभी वहां बाढ़ नहीं आती। जैसे नहरों आदि की सफाई होती है अगर उसी तरह से सीजनल सफाई होती तो मैं समझता हूं कि जरूर पानी निकल जाता और नुकसान न होता।

मान्यवर, जैसा कि यह चार्ट है, आपने देखा होगा कि इटावा जिले में सबसे अधिक मौतें हुई। केवल आगरा में हुई और कहीं इतनी नहीं हुई। कितनी खरीफ की फसल नष्ट हो गई है? बारह आने तक का इसमें बताया गया है। मकान करीब-करीब ९ हजार गिरे हैं। ४ हजार के करीब व्यक्ति गृहविहीन हुए और १८ हजार रुपया वहां बांटने के लिये दिया गया। श्रीमन्, सरकार के आंकड़े ही सही माने जांय तो आप देखेंगे कि प्रति व्यक्ति दो रुपया तो उनके लिये पड़ता है जो निराश्रित हो गये हैं। मैं समझ नहीं सकता कि इस तरह की कृपा से क्या लाभ हो पायेगा। मान्यवर, वहां कोई ऐसे साधन नहीं थे, कहीं ऐसी कोई चीज नहीं थी कि व्यक्ति यहां से वहां तक पार होते। श्रीमन्, हृदय फटा जाता है, कढ़ाई डाल डाल कर अपने बच्चों को पार करके लोग पार उतरे हैं। सोते में अचानक पानी बरसा और घरों में घुस गया। ऐसी अस्तव्यस्तता हो गई कि व्यक्ति समझ न सके। और सरकार ने कुल ५० हजार तकावी के लिये रखा है। ऐसी भयानक स्थिति और कुल ५० हजार रुपया? माननीय मंत्री जी ने कहा कि जो भी जिलाधीश मांगेंगे वह देंगे, तो मैं नहीं समझता कि वहां के अधिकारियों ने कम मांगा। मैंने अधिकारियों से सम्बन्ध स्थापित किया था, उन्होंने कहा कि एक लाख रुपया मांगा था। माननीय मंत्री जी ने कहा था कि हम ज्यादा देंगे, तो जब एक लाख मांगा था तो वह क्यों नहीं मिलता है जबकि माननीय मंत्री जी कहते हैं कि जो मांगें वह देंगे और अधिक देंगे। तो, श्रीमन्, तकावी के लिये अधिक से अधिक रुपया पहुंचना चाहिये।

दूसरी बात इस चार्ट से यह जाहिर होती है कि और जगह सस्ते गले की दूकानें खोल दी गईं लेकिन इटावा जिले को ऐसा सौभाग्य प्राप्त नहीं हुआ कि वहां देहात में एक भी सस्ते गल्ले की दूकान खोली जाती। उन्होंने दुःख महसूस किया, लेकिन वहां कोई सस्ते गल्ले की दूकान नहीं खोली। ये आकड़े हैं मैं कहता हूं यह निश्चित रूप से गलत है। यह कहा गया कि पानी से आस-पास कोई गांव नहीं घिरे, माननीय मंत्री जी वहां चलें और देखें कि कितने अभी तक घिरे हैं और जहां ठीक प्रकार से सरकारी अधिकारियों ने अपना सम्बन्ध स्थापित नहीं कर पाया। मान्यवर, बकेवर से भर्थना वाली सड़क पर, जिस पर कभी भी पानी पहुंचने की सम्भावना नहीं थी, जब मैं आया ६ और ७ तारीख को घुटने घुटने पानी चल रहा था और आगे के गांवों में घबड़ाहट हो रही थी, सड़कें पाटी जा रही थीं, बम्बे कट रहे थे जिसका नतीजा यह था कि पानी इधर का उधर चल रहा था। अतः मैं चाहूंगा कि बाढ़ ग्रस्त क्षेत्रों में सस्ते गल्ले की दूकानें खोली जांय। टीन की व्यवस्था भी जल्दी की जाय, चलते फिरते अस्पताल खोले जांय। जानवरों में इतने जोर की बीमारी फैली है कि किसान की जमीन डूबने के बाद जो पशु धन था वह भी समाप्त हो रहा है, २०, २५ जानवर प्रत्येक गांव में रोज मर रहे हैं बांढ़ की घास को खाने से जिसके कारण उनके गले में बीमारी हो जाती है। मंत्री जी बड़े सजग हैं लेकिन फिर भी मैं चाहूंगा कि अपने हेल्थ विभाग को कसें ताकि देहातों में चलते फिरते अस्पताल के रूप में काम करें वरना दूसरी आपत्ति यह आने वाली है कि सैकड़ों आदमी मरेंगे।

मुझे यह कहते हुए दुख है कि बाढ़ का मामला ऐसा है जिसका सम्बन्ध प्रत्येक मिनिस्टर से होता है लेकिन कोई भी मंत्री इस समय सदन में मौजूद नहीं है। मालूम होता है उनके हृदय में दर्द नहीं है। हर मिनिस्टर को यहां उपस्थित रह कर अपने-अपने विभाग से

सम्बन्धित समस्याओं को नोट करना चाहिये था । मैं निवेदन करूंगा कि बेकारी बहुत बढ़ गई है इसलिये इटावे में जल्दी से जल्दी कोयला भेजा जाय ताकि कोआपरेटिव सोसायटीज या व्यक्तिगत लोग भट्टे लगायें जिससे लोगों को मजदूरी मिले और मकान जो गिर पड़े हैं शीघ्र बन सकें। मंत्री जी ने जो वसूली रोक दी है इसके लिये धन्यवाद है । लेकिन जो तकावी मिलती है वह उन्हीं को मिलती है जिनक पास अच्छी जायदाद होती ह गरीबों को नहीं मिलती ह । अतः इन नियमों में संशोधन होना चाहिये और युद्ध –स्तर पर मदद होनी चाहिये । माननीय पालीवाल जी ने जो सुझाव दिया है कि इनका बीमा होना चाहिये वह उचित है । सरकार को शहर के अलावा गांवों की तरफ भी उचित ध्यान देना चाहिये । यदि किसान की जमीन और पशु का बीमा करने की व्यवस्था हो तो गरीब आदमी तसल्ली करेगा कि उसे कुछ मदद मिल सकती है । अतः मैं चाहूंगा कि जैसा मंत्री जी ने और जिलों के लिये कहा है कि जिलाधिकारी जो सहायता मांगेंगे वह देंगे तो इटावा के लिये कम से कम १,००,००० रु० दें तब वहां का काम चल सकता ह । साथ साथ अपने विभाग की मशनरी को भी कसें ।

श्री गौरीराम गुप्त (जिला गोरखपुर)—माननीय अधिष्ठाता महोदय, गोरखपुर जिले में सबसे अधिक बाढ़ आती है। वहां दर्जनों नदियां हैं, घाघरा, राप्ती, बूढ़ी, कुआनो, आदि, जिनमें हर साल बाढ़ आती है । लगातार बाढ़ से किसान की कमर टूट गई है और माली हालत भी खराब होती चली जा रही है । गोरखपुर जिला की तरफ विशेषकर सरकार को ध्यान दना चाहिये तभी लोगों की हालत सुधरेगी।

ऐसा मालूम होता है कि इस साल की बाढ़ और सालों की बाढ़ से अधिक है। इस छुट्टी के दरमियान हम लोग गये थे तो देखा कि राप्ती, घाघरा, रोहिन आदि नदियां तेजी से बढ़ रही थीं और जैसे किसी आदमी के जवान बेटे मर जाते हैं वैसी ही किसानों के लहलहाते हुये खेतों को, जो कुछ ही दिनों बाद कटन वाले थ, बाढ़ न बरबाद कर दिया। मैं निवेदन करूंगा कि बाढ़ एरिया के विद्यार्थियों की सितम्बर से मार्च तक की फीस माफ की जाय और गरीबों को मुफ्त में खाना दिया जाय और राप्ती नदी के बेलसर से रिगौली, पनघटियाघाट से करमैनी घाट, नगवा बांध, लहड़ा बांध और इलाहाबाद जिले के पास में घोंघी नदी के किनारे और अदरौना इलाके के शिवपुर, दुर्गापुर विशुनपुर में घोंघी के किनारे बांधों को बनाया जाय और जो दौलतपुर का बांध राप्ती नदी के किनारे पर है जो मेरे क्षेत्र के पास एक तरफ बांध बना दिया गया है और इस पार के और राप्ती नदी के दोनों तरफ के लिये, जो मेरे क्षेत्र में है, टेंडर भी पड़ चुके थे और ठेकेदारों ने नेशनल सर्टिफिकेट खरीद कर एक-एक हजार रुपये की जमानत जमा कर दी थी और काम होने वाला था लेकिन सुनने में आया कि केंद्रीय सरकार ने १८ करोड़ रुपये इन सब कामों के लिये देने का वायदा किया था मगर सिर्फ ८ करोड़ ही दिये, १० करोड़ रुपया न देने की वजह से ये बांध रुक गये। अब मैं मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि इन बांधों को जल्दी से जल्दी बनवा दें ताकि वहां के किसानों के घरों और खेतों की बचत हो सके ।

इसके अलावा बाढ़ एरिया में जहां चर्खे से सूत तैयार होता है वहां दो आने फी गुन्डी सहायता दी जाय । परसाल मेरे जिले में छूट नहीं दी गयी थी जबकि गोंडा, देवरिया बस्ती और आजमगढ़ जिलों को दो आने गुन्डी की सहायता दी गयी थी। इसके अलावा टेस्ट वर्क का काम जारी रखा जाय। जो तकावी गोरखपुर जिले में दी गयी है वह बहुत ही कम है । आज की लिस्ट में मैंने देखा कि गाजीपुर, आजमगढ़, देवरिया जिलों में, जहां कम बाढ़ आती है, ज्यादा तकावी दी गयी है और हमारे गोरखपुर में जहां हर साल बाढ़ आती है बहुत कम तकावी दी गयी है। इसलिये वहां और ज्यादा तकावी दी जानी चाहिये। इसके अलावा जो गांव ऊंचे करने से अधूरे रह गये हैं उनको मिट्टी डाल कर ऊंचा करा दिया जाय बाढ़ एरिया के गांवों में एक गांव से दूसरे गांव में आने जाने का कोई साधन नहीं है, इसलिये उन सड़कों को ऊंचा करा दिया जाय।

[श्री गौरीराम गुप्त]

रबी के बीज के लिये अभी से इन्तजाम करा दिया जाय नहीं तो बीज बहुत देर से मिलता है। उसके लिये गोरखपुर जिले को अभी से आर्डर भेज दिया जाय।

एक निवेदन यह भी है कि बाढ़ एरिया में टेस्ट वर्क की मजदूरी बहुत कम दी जाती है हमारे यहां ७ रुपये हजार घन फिट मिट्टी की मजदूरी दी जाती है और देवरिया में १० आने, ८ आने और ६ आने जो मजदूरी दी जाती है तो मेरे यहां वहां से ढाई गुना काम हुआ है। इसलिये मैं चाहता हूं कि गोरखपुर में टेस्ट वर्क की मजदूरी बढ़ा दी जाय।

इसके अलावा बाढ़ एरिया में जो छाया ब्लाक्स हैं, अभी ब्लाक के रूप में नहीं आये हैं उनको सरकार ब्लाक के रूप में बदल दे। और बाढ़ एरिया में गरीबों को मुफ्त में कम्बल, वस्त्र आदि की सहायता दी जाय और बाढ़ एरिया में गांव समाजों को जिनकी हालत ठीक नहीं है उनको सहायता दी जाय। जब सारे सूबे में बाढ़ आ गई है तो मैं यह भी निवेदन करूंगा कि एक आध हफ्ते के लिये सदन की कार्यवाही बन्द कर दी जाय तो अच्छा होगा। जब पूर्वी जिलों में बाढ़ आती थी तो पश्चिम के लोग हमारे पूर्वी जिलों की मखौल उड़ाते थे और कहते थे कि पूर्वी जिले के लोग ही सारा रुपया खा जाते हैं। लेकिन अब उनको भी मुसीबत का सामना करना पड़ रहा है तो वह भी समझ लेंगे हैं कि बाढ़ से लोगों को तकलीफ होती है। मैं यह भी निवेदन करूंगा कि जहां बाढ़ आ जाती है वहां तमाम बीमारियां फैलती हैं जैसे मलेरिया, हैजा आदि और फसल की बीमारियां भी फैलती हैं। इसलिये सरकार की तरफ से इंतजाम होना चाहिये।

श्री सूर्यबली पांडेय (जिला देवरिया)—अधिष्ठाता महोदय, मैं सर्व प्रथम आपको धन्यवाद देना चाहता हूं कि आपने मुझे इस पर बोलने का अवसर दिया है। आज बाढ़ के संबंध में हमारे पूर्व वक्ताओं ने जिन बातों को बताया है उनको मैंने बड़े ध्यान से सुना है और मंत्री जी ने जो रिपोर्ट दी है उसको भी मैंने बड़े ध्यानपूर्वक देखा है। इसमें कोई संदेह नहीं है कि जो आंकड़े दिये गये हैं वह सभी ठीक नहीं हैं। इसलिये मुझे आशा है कि मंत्री जी फिर से उनकी जांच कराकर सही आंकड़े सदन के सामने रखेंगे और उसके लिये जो हो सकेगा उसकी व्यवस्था करेंगे।

अब मैं देवरिया जिले की ओर माननीय सदस्यों का ध्यान दिलाना चाहता हूं। यह वह जिला है जहां हमेशा बाढ़ आती रहती है। इसका एक मुख्य भाग रुद्रपुर का इलाका है जिसमें राप्ती नदी का खास तौर से प्रभाव पड़ता है। इसके साथ ही साथ गुर्रा नदी का भी बहुत कुछ प्रभाव पड़ता है। गुर्रा और राप्ती नदियों के बीच का क्षेत्र तबाह होता चला जा रहा है। इनके अलावा बथुआ और छोटे छोटे नाले हैं जैसे कुरना वगैरह उनसे भी बहुत से गांव प्रभावित होते हैं। १५० गांवों के करीब रुद्रपुर में प्रभावित हैं। इसके संबंध में बांध बांधने का प्रयत्न किया गया है। कुछ भाग में बना है और कुछ में नहीं बना है। इस बात को आप जानते हैं कि राप्ती नदी गोरखपुर और देवरिया के बीच में होकर बहती है। गोरखपुर के पश्चिम की तरफ एक छोर से दूसरे छोर तक बांध बना है। और देवरिया में नहीं बना है।

मैं सरकार का ध्यान दिलाना चाहता हूं कि गुर्रा नदी जहां राप्ती से जो सरमोहना नाला से होकर निकलती है वहां पर और जहां गुर्रा नदी राप्ती में गिरती है यानी सचवली पटवनिया तक दोनों किनारे में बांध बना दिया जाय जैसे गोरखपुर में बंधा हुआ है। यदि ऐसा हो जाय तो बहुत से गांव बच जायेंगे। इसके अतिरिक्त मैं यह सुझाव देना चाहता हूं कि गुर्रा नदी जहां राप्ती से सरमोहना नाला होकर निकलती है और जहां यह नदी गिरती है यानी सचवली पटवनिया में रेगूलेटर लगा दिया जाय। जब जरूरत हो उसको खोला जाय तो उसका पानी राप्ती नदी में होकर फिर घाघरा में चला जायगा। यदि इस तरह की व्यवस्था हो जायगी तो देवरिया और गोरखपुर जिले के लगभग ४५० गांव बच जायेंगे। इससे बहुत कुछ काम हो जायगा।

इसके अतिरिक्त मुझे आप महानुभाव से यह कहना है कि इन गांवों के लिये यह बाढ़ तो आकृतिक वस्तु है। यह बराबर आती रहती है। इससे उधर मनुष्यों का कोई विशेष नुकसान नहीं हुआ है, यह वहां का अब तक का इतिहास है। वहां फसल की क्षति होती है। उसको बचाने के लिये यह आवश्यक है कि वहां पर कुछ अरली क्राप तैयार की जायं ताकि लोगों का उससे जीवन यापन हो सके और जो चिल्लाहट मचती है, और सरकार को तकावी देनी पड़ती है जिसकी वसूली में इतनी परेशानी उठानी पड़ती है, उससे सरकार बच सकती है। सरकार जो वहां बाढ़ पर रुपया लगाती है, अगर वहां सिंचाई की योजना कायम करना चाहे तो वहां गुर्रा नदी को रिजरवायर बना सकती है। गुर्रा नदी में पंपिंग सेट लगा कर और छोटी छोटी नालियां बना कर किसान अरली क्राप तैयार कर सकते हैं या दूसरी चीजों का उत्पादन कर सकते हैं। इस बहस में जो बताया गया है और जो हमने आंकड़ा पढ़ा है, वह यह है कि चार आने की क्षति हुई है। वहां पर सबसे अधिक फसर अरहर की होती है। वह बिलकुल नष्टप्राय हो गयी है। चार दिन के बाद अरहर की फसल नहीं मिल सकती है। अब तक जो फसल बची हुई है उसके संबंध में अगर जल्दी से बाढ़ कम हो जाय, तो शायद किसानों को कुछ मिल सके। इसलिये मेरा सुझाव है कि नगवा रोड को कम्प्लीट कर दिया जाय, तो एक शेल्टर का स्थान बाढ़ पीड़ितों के लिये हो जायगा, अगर वह ऊंचा कर दिया जाय तो वहां के लोगों को बाहर जाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। अपने पशुओं को लेकर दो, चार दिन के लिये निवास कर लेंगे। द्रपुर क्षेत्र में, जो बाढ़ पीड़ित क्षेत्र है, फुल फ्लेज्ड ब्लाक हो चुका है। यदि वहां के अधिकारियों को आदेश दिया जाय, कि वे कोआपरेटिव सोसाइटीज को कायम करके, अच्छे अच्छे बीज के वितरण की व्यवस्था करें तो इससे अरली क्राप, सब्जी और दूसरी चीजें पैदा हो सकती हैं जिसके जरिये लोगों को अपना जीवन यापन करने की बड़े मजे से सुविधा हो जायगी।

इन शब्दों के साथ में अपने वक्तव्य को समाप्त करता हूं क्योंकि अब समय नहीं है।

श्री टीकाराम पुजारी (जिला मथुरा)——श्रीमन्, काफी कसरत करता रहा लेकिन मौका तो मिला। चल रही है बाढ़, सैलाब, अभी यह भी नहीं जानते हैं कि बाढ़ किसे कहते हैं, और सैलाब किसे कहते हैं? सैलाब को नहीं जानते। सैलाब को मैं बताऊंगा। श्रीमन्, पांच मिनट ज्यादा देने पड़ेंगे। आज से पांच हजार वर्ष पहले हमारे यहां कृष्ण जी हुये थे। वर्षा हुई थी तो गोवर्द्धन को उठाया था। तब व्रज को बचाया। लेकिन आज व्रज वाले मिनिस्टर का पता भी नहीं है। व्रज डूबा जा रहा है और आचार्य जी जाने कहां गये हैं? ऐसी चीजों से काम नहीं चलेगा? माठ, सादाबाद, छाता, मथुरा, चारों तहसीलों में वह हालत है जो महाप्रलय में होती है। महाप्रलय कब होता है, जब अन्याय होता है अन्याय कब होता है, जब नीचे से ऊपर तक सरकार का आंवा का आंवा खराब हो जाता है। अतिशय वेग धर्म की हानी, परम पुनीत धरा अकुलानी। पृथ्वी अकुला गयी है। सच बात कहने का मौका नहीं मिलता है। जो खेती करने वाला है उसको तो बना दिया डाक्टर और डाक्टरी करने वाले से कह रहे हैं कि हल जोतो।

तो, श्रीमन्, यह कैसे हो सकता है, क्या डाक्टर हल जोत सकता है? और क्या किसान डाक्टरी कर सकता है? गेहूं की बाल तक जो जानते नहीं, उनको मिनिस्टर बना दिया। अब कोई रूस भाग रहा है, कोई अमेरिका भाग रहा है? कोई घोड़ी का दूध पी रहा है, कोई गधी का दूध पी रहा है। इस तरह से देश का उद्धार हो रहा है। ऐसा होता है, श्रीमन्,

घोड़े मर जायं जहान में, जब गधे राज पाते हैं,
घोड़े और गधे में भाई, बस इतनी पहचान बताई,
मौके और मैदान में गधे पीछे रह जाते हैं।

तो घोड़ी और गधी का दूध पीने से देश में रामराज्य आयेगा? घोड़ी और गधी का दूध पीने से खच्चर पैदा होता है। तो खच्चर मिनिस्टर जब होंगे तो उससे खच्चर ही पैदा होंगे।

[श्री टीकाराम पुजारी]

मैं उसी पर आ रहा हूं, श्रीमन्, बाढ़ पर ही आ रहा हूं। आज मथुरा में क्या हो रहा है ? पानी उमड़ रहा है, कुयें जो होते हैं उनमें से पानी चल रहा है। ऊपर से बरसने की जरूरत नहीं है। अब तो जमीन उमड़ने लगी। माट में जमीन उमड़ रही है। माट तहसील की मातायें और बहनें नहर की पटरियों पर पड़ी हैं। एसे तो कंजर पड़े रहत हैं। लेकिन आज कंजरों से भी बुरी हालत में बिना भोजन कपड़े के वह नहर की पटरियों पर पड़े हुये हैं। उनके मवेशियों के लिये चारा नहीं है, खुद खाली पेट पड़े हैं। आगरे में, अलीगढ़ में, मथुरा में इटावा में, मनपुरी में सब जगह यही हालत ह। यह सलाब होता क्या ह ? मैं आपको बताता हूं। सोपा खेरा से लेकर पचावर तक जो माट ब्रांच नहर है उसका एक फर्लांग सैलाब से डूब गया। वहां अब कुछ भी नहीं होता। सब रेती और गर्द हो गया। कहीं घास भी नहीं जमती है। इसका कारण क्या है ? इसका कारण है नाले का निकालना और फिर नाले का अधूरा रह जाना। मानिकपुर से सादाबाद तहसील में नाला निकाला गया। वह अधूरा रह गया। ऊपर से पानी अलीगढ़ से आ रहा है। कोंकना, रसगवां, बीमनगर, सेदरिया, आदि गांवों में हजारों बीघे जमीन में पानी भरा है। उस पानी को निकालने का उपाय तब होगा जब अधूरे नाले को खुदवा दिया जाय और जलेसर के पास नदी में उसको छोड़ दिया जाय। जाबरा, पचावर, बघेंटा, झरौंटा, सौख, मगुर्रा नन्दगांव, छाता कोसी, नीमगांव, और इधर जिला आगरे किरावली, सरसा, अकोला, आदि गांवों में पानी भरा हुआ है।

श्रीमन्, इस सरकार को जनता ने बनाया है। बनाने वाले माता और पिता होते हैं और जो बनता है वह पुत्र होता है। पुत्र का फर्ज होता है कि वह माता और पिता की सेवा करे। उसको खाने पीने को दे, मकान दे, चारपाई दे, हर तरह का आराम उनको दे। जो पुत्र माता पिता को दुख देता है उसको निकम्मा कहते हैं। इस सरकार को किसानों और मजदूरों ने बनाया है। लेकिन आज यह सरकार उलटे उन्हीं किसानों और मजदूरों की भक्षक बन गई है।

सैलाब आ रहा है। गर्की आ रही है। बाढ़ आ रही है। सब तरफ त्राहि त्राहि हो रही है। पच्छिमी जिलों में लोग भूखे मर रहे हैं। अगर उनको एक छटांक खाने को दे दिया जाता है तो उससे पेट में और आग लग जाती है। वहां पर त्राहि त्राहि मची हुई है। खरीफ की फसल खत्म हो गई और रबी की फसल की तो आशा नहीं है। अगर वहां पर नाले को सुधारा जाय और उसको जमुना में डाल दिया जाय तो जो पानी वहां पर जाता है, वह नहीं भरेगा। वह पानी उस नाले से निकल जायगा। मानिकपुर में जो नाला है उसको अगर जलेसर तहसील में नदी में डाल दिया जाय तो इधर उधर जो पानी भरा हुआ है वह सब निकल जायगा। किसानों की रबी की फसल हो जायगी और वहां के किसान जिन्दा रह सकेंगे। इसलिये मैं अपने माल मंत्री महोदय से निवेदन करता हूं कि जो हमारे यहां मवेशी मर रहे हैं सड़े हुये चारे को खाकर उनका भी कुछ इंतजाम किया जाय।

प्रदेश की जनता सन् ६२ का इंतजार देख रही है। इस सरकार से जनता को बहुत आशा थी और वह समझती थी कि उसकी बहुत मदद की जायगी, लेकिन जो जनता की सहायता की गई यह जनता ने अच्छी तरह से देख लिया है। बहराइच में जब १५ दिन के बाद बाढ़ आयेगी तो वहां पर सवाल उठेगा। वहां पर मथुरा की तरह से जबरदस्त बाढ़ आयेगी। मैं मंत्री जी से फिर जोर देकर कहता हूं कि अगर उन्होंने व्रज की पूरी तरह से मदद नहीं की और वहां के लोगों को नहीं बचाया तो याद रखिये कि जो किसानों की खबर तुम मंत्री लोगे नहीं, हम तो मर ही जायेंगे पर याद यह रखना जनाब, हम अगर होंगे नहीं तो आप भी होंगे नहीं।

*श्री रामलखन मिश्र (जिला बस्ती)—आदरणीय अधिष्ठाता महोदय, बाढ़ के संबंध में प्रति वर्ष मई के महीने में जब जिलाधीश अपनी कमेटी बुलाते हैं तो वहां पर बाढ़ की भीषणता को रोकने के लिये तब एक बार चर्चा करने का हमको अवसर मिलता है। एक बार फ्लड कमेटी बैठती है तो हमको विचार करने का अवसर मिलता है लेकिन सरकार द्वारा प्राप्त सीमित साधनों से हम जितना कर पाते हैं उतना करते हैं और उसके पश्चात् बाढ़ की भीषणता के संबंध में हमें यहां पर विचार करना पड़ता है।

अधिष्ठाता महोदय, मैं आपके द्वारा माननीय मंत्री जी को धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने अपनी शुभ कामना और उनको सहायता देने का विचार प्रकट किया है लेकिन इस संबंध में बहुत ठंढे दिल से उनका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं सुझाव के रूप में। मैं बस्ती जिले की विशेषकर नौगढ़ तहसील और डुमरियागंज तहसील की चर्चा करके उनका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं और उसके पश्चात् सारे जिलों के ऊपर ध्यान दिलाऊंगा। जो पत्र वहां से बनकर आया है उसके संबंध में मंत्री महोदय और जांच करायें तो यह सही प्रयत्न होगा। यह बाढ़ की भीषणता, जो बस्ती जिले में है, उससे क्षति हुई है और हो रही है। अभी जड़हन की खेती जो बैठाई थी, और जिसको चावल का सेंटर कहा जाता है, वह पानी भर जाने से बरबाद हो गई। यह मंत्री जी को जब वहां से पूरा नक्शा आयेगा तब मालूम होगा। जब वहां पर कुसमय बाढ़ आई तो उससे बांसी से जोगिया उदयपार और कठेला से परसा स्टेशन तक ३,४ कोस की सब भूमि जलमग्न थी। ६,७ रोज हुये मैं वहां पर गया था। रोडवेज बस वहां पर बन्द है। मैं गोरखपुर गया। वहां के काश्तकार पहुंचे। वहां पर तहसील में एक तहसीलदार, एक नायब तहसीलदार और जो बी०डी०ओ० हैं उनको भी सरकार ने अधिकार दे रखा है और वह फ्लड अफसर का काम करते हैं। यह सरकार की ओर से वहां पर व्यवस्था है कि जहां गांव का सभापति आधा खर्चा दे दे तो आधा खर्चा सरकार उनको किश्ती बनाने के लिये दे देगी। तो उससे कहीं बनी और कहीं पर नहीं बन सकी। जब मैं उस्का पहुंचा तो रात हो चुकी थी, नायब तहसीलदार दो किश्ती के लिये कह रहे थे कि ले चली जायं। किश्ती ठीक हालत में नहीं थीं और जो सामग्री ले जानी थी वह भी कहीं दूर थी और इस वजह से हम वहां नहीं जा सके। जो बाढ़ की भीषणता है उसे भगवान ही निपटा सकते हैं। सीमित साधनों से कोई भी इस भीषण बाढ़ में सहायता नहीं पहुंचा सकता। गोवर्धन बांध वहां है। नदी के किनारे करीब १०,१५ मील तक बांध था। बाढ़ जो आयी तो दूसरी ओर उसने न मालूम कितने गांव बरबाद कर दिये हैं। गोरखपुर के कमिश्नर ने अपनी रिपोर्ट में बतलाया है कि कितनी क्षति उस ओर हुई है। लेकिन गोरखपुर के दक्षिणी हिस्से की ओर सरकार का ध्यान नहीं गया। मैं वहां हाकिम परगना, तहसीलदार और नायब तहसीलदार से मिला और कहा कि संभव हो तो गश्त लगा कर देखें कि कठेला से ले कर परसा स्टेशन तक क्या है। वहां कोई साधन नहीं है और हो भी नहीं सकता। जो छोटी-मोटी किश्तियां थीं वह दूसरी जगह पर थीं। जो फ्लड पोस्ट था उस तक हम पहुंच नहीं सकते थे।

(इस समय २ बजकर ९ मिनट पर उपाध्यक्ष, श्री रामनारायण त्रिपाठी, पीठासीन हुये।)

तो इस ओर मैं सरकार का ध्यान दिलाना चाहता हूं और लिख कर भी दे दूंगा। ग्राम गुलरी, बरगदवा और सिमरहवा में पहाड़ी बालू इस कदर आ गयी है कि वहां अब कुछ नहीं हो सकता है और मैं समझता हूं कि माननीय मंत्री जी को वहां का सर्किल रेट रिवाइज करा देना चाहिये। चकबन्दी में वैसे ही वहां का १,३०० की जगह लगान २,६०० हो गया है गांव वालों की गलती से। एक की भूमिधरी पर दूसरा जोतता था तो वह सीरदार हो गया और सीरदारी का लगान बढ़ गया। तो लगान में इस तरह की वृद्धि हो गयी और बाढ़ ने बालू ला कर भर दी। यह एक समस्या उत्पन्न हो गयी है और कानूनन कैसे हम लगान ठीक करायें,

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री रामलखन मिश्र]

इस ओर हमारी दृष्टि नहीं जाती। इस बालू को हटाने के लिये कौन से उपाय अपनाये जायं, यह भी समझ में नहीं आता। (लाल बत्ती जलने पर) माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं तीन मिनट और चाहता हूं।

श्री उपाध्यक्ष——आज समय की बहुत कमी है। आप मेहरबानी करें। मैं आज कोई रियायत नहीं कर सकूंगा।

श्री रामलखन मिश्र——माननीय मंत्री जी से यह भी निवेदन है कि वहां पर चकबन्दी की वसूली इस कदर हो रही है कि कुछ कहा नहीं जा सकता। मंत्री जी ने तकावी का चर्चा तो किया, लेकिन चकबन्दी की वसूली भी वह कम से कम दो महीने के लिये रुकवा दें तो ठीक होगा। इसमें सख्ती का कारण एक यह भी है कि अगर वसूली नहीं होती तो अमीनों को तनख्वाह नहीं मिलती जबकि नक्शे और नदियों से प्रभावित क्षेत्र का नकशा लेखपाल बनाते हैं और इसलिये वह सही चित्र स्थिति का नहीं देते और इसलिये कितनी ही प्रकार के संकट आते हैं। जिलाधीश तो ईमानदारी से जांच करवाता है, लेकिन नीचे, जहां से कागज चलता है वहां गड़बड़ हो जाती है। इसलिये माननीय मंत्री जी से प्रार्थना है कि वे मेहरबानी करें और कम से कम यह वसूली दो महीने के लिये मुल्तवी करा दें। इसके अतिरिक्त मुल्तवी तो हो जाती है लेकिन उसके बाद जब एक साथ सब मिल कर वसूली होने लगती है तो किसान के सामने एक भीषण समस्या आ जाती है। इसलिये मैं सुझाव देना चाहता हूं कि आप अपने कार्यालय से इस प्रकार के आदेश भेजने की कृपा करें कि थोड़ी-थोड़ी वसूली हो।

श्री उपाध्यक्ष——समय समाप्त।

***श्री रामकुमार वैद्य** (जिला मुरादाबाद)——उपाध्यक्ष महोदय, सरकार की अदूरदर्शिता और विरोधी दलों की विवशता के परिणामस्वरूप प्रत्येक वर्ष इस प्रदेश को प्राकृतिक प्रकोप सहन करने पड़ते हैं। यह भी एक रिवाज बन गया है कि प्रति वर्ष हम सदन में एक दिन बाढ़ के मसलों पर बहस करते हैं और स्थिति का यहां पर चित्र खींचते हैं। किन्तु मैं यह कहूंगा कि जो बहस यहां पर आज के दिन बाढ़ संबंधित मसले पर हो रही है उससे हम किसी खास परिणाम पर नहीं पहुंच पाते। माननीय मंत्री जी ने जो वक्तव्य दिया, उसमें कुछ तो उन्होंने जो साहित्य बांटा उसमें से पढ़ा और कुछ अपने श्रीमुख से भी बातें कहीं। उनके भाषण से हमें इस प्रकार दृश्य देखने को मिला कि किस साल कहां-कहां पर बाढ़ आई, वाटर लार्गिंग हुआ, जमीन जलमग्न हो गयी, फसलें नष्ट हो गयीं, कितने व्यक्ति मारे गये, और क्या-क्या सहायता दी गयी। किन्तु हमें उनके भाषण में कहीं यह बात देखने को नहीं मिली जिसमें पिछले साल के अनुभवों के आधार पर इस तरह के प्रयास किये गये हों जिससे हम यह कह सकें कि भविष्य में बाढ़ से प्रदेश के कम से कम भाग प्रभावित हों। कहीं इस तरह का प्रयास नहीं किया जा रहा है।

श्रीमन्, इस प्रदेश में, हम जिसे बाढ़ कहते हैं, उनका रूप भिन्न-भिन्न जगह भिन्न-भिन्न प्रकार का होता है। कहीं फसलें जलमग्न हो जाती हैं और नष्ट हो जाती हैं, इतनी अधिक वर्षा होती है, कहीं ऐसा होता है कि वर्षा तो दूसरे प्रदेशों में अधिक होती है, लेकिन जब उसका बहाव हमारे प्रदेश में होता है तो तमाम गांव जलमग्न हो जाते हैं और उससे इस प्रदेश को महान क्षति पहुंचती है। तो हमें इस समस्या का भी समाधान करना होगा।

अभी हमारे एक आदरणीय मित्र ने, जो बाढ़ के इलाके के सज्जन हैं, कहा कि पहले जब पूर्व के इलाकों में बाढ़ आती थी तो पश्चिम वाले प्रसन्न हुआ करते थे। मैं उन्हें विश्वास दिलाना चाहता हूं कि यह बात गलत है। पश्चिम की तरफ भी बाढ़ का काफी प्रकोप रहता है। इस वर्ष भी पश्चिम की तरफ काफी बाढ़ आई हुई है।

"जमाले हममशी दरमन असरकर्द।"

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

आखिर हम भी इसी प्रदेश के रहने वाले हैं, हम पर भी वही प्रभाव उसका पड़ता है जितना कि उन लोगों पर। इसमें कोई प्रसन्न होने वाली बात नहीं है। आज पश्चिम की तरफ भी बाढ़ आई हुई है और लाखों एकड़ भूमि जल मग्न हो गयी है, फसलें नष्ट हो गयी हैं और अनेकों बाधायें हमारे सामने खड़ी हो गयी हैं जिसके कारण हम दूसरी फसल की तैयारी भी नहीं कर सकते हैं। इसलिये आवश्यकता इस बात की है कि हम अपने नियोजन में ऐसी योजनायें बनायें जिससे जो बाढ़ का पानी है उसकी निकासी हो सके।

एक बात मैं स्पष्ट बता दूं, हमारे यहां जैसे-जैसे नियोजन संबंधी योजनाओं का प्रसार होता जायेगा, तैसे-तैसे यह समस्या बढ़ती जायेगी। हमने हजारों मील लम्बी सड़कें बनायीं, रेलवें लाइन बनायीं, नलकूप इत्यादि भी बनायें, त्यों-त्यों भूमि ऊंची-नीची होती चली गयी। आज नहरों के बन जाने से और सड़कों के बन जाने से भूमि का विभाजन होता चला गया है, भूमि समतल नहीं है, कहीं ऊंची है, कहीं नीची है, इसका असर यह होता है कि पानी वहीं भरा रह जाता है और उसकी निकासी नहीं हो पाती। पानी जब वहीं जमा रहता है, तो उससे हमको काफी क्षति होती है। आज आवश्यकता इस बात की है कि ज्यों-ज्यों हमारी योजनाओं का प्रसार हो, उसके साथ-साथ पानी की निकासी का पूर्ण रूप से प्रबन्ध हो। हम प्रति दिन देखते हैं कि सूर्य के ताप से बचने के लिये, उसकी धूप से बचने के लिये, कहीं छाते का सहारा लेते हैं, कहीं रक्षा हेतु मकान बनाते हैं, क्योंकि उसकी धूप असहनीय होती है। तो जब प्रदेशीय स्तर पर यह प्रश्न आता है कि बड़ी-बड़ी योजनायें हों, तो उसके साथ-साथ हमें इस ओर भी ध्यान देने की आवश्यकता है कि बाढ़ का पानी कहीं जमा न होने पाये। इसके लिये सेन्ट्रल फ्लड कन्ट्रोल बोर्ड है, और भी संस्थायें हैं, जिनका जिक्र यहां किया गया है, उन सभी को पानी की निकासी की छोटी-छोटी योजनाओं की ओर ध्यान देना चाहिये और जगह की बात मैं नहीं कहता, मैं अपने जिले का ही उदाहरण देना चाहता हूं। मेरे जिले में आठ नदियां बहती हैं, कोसी, ढेला, गंगा, रामगंगा, बांध, दांगन, कडला और अरिला। जब पानी बरसता है तो इनमें बाढ़ आ जाती है और सारी भूमि जलमग्न हो जाती है। वैसे मुरादाबाद में औसत से अधिक वर्षा नहीं होती। मैं जहां तक जानता हूं, पश्चिमी जिलों में पहले अधिक वर्षा का प्रश्न नहीं था और अब इसे प्रकृति का प्रकोप कहें, आकस्मिक चेंज कहें, पश्चिमी जिलों में भी अधिक वर्षा होने लगी है। अब वहां यह प्रश्न है कि जो पानी दूसरे जिलों से या आकाश से आता है उसको किस प्रकार प्रभावित किया जाय। जो नदियां हैं वह सिल्ट हो रही हैं, लेकिन सरकार की इस ओर कोई व्यवस्था नहीं है। जो बड़ी गूलें, लम्बी गूलें बनी हैं उनके नीचे कहीं तीन फीट उसके अन्दर पुलिया बनी हुई है और मीलों वर्ग का पानी होता है जिसको निकालना होता है। तो यह सरकार की अदूरदर्शिता और विभिन्न विभागों में कोआर्डिनेशन न होने का परिणाम है। इन सब विषयों पर, विशेषतया बाढ़ के प्रश्न पर, सामूहिक रूप से विचार करने की आवश्यकता है, लेकिन यह बताकर कि इतनी नावें और इतना पैसा प्रति व्यक्ति हमने दे दिया, इससे सरकार की अपने कर्त्तव्य के प्रति उपेक्षा प्रकट होती है। इसलिए प्रादेशिक स्तर पर गम्भीरतापूर्वक इस पर विचार किया जाय। एक-एक, दो-दो वर्ष में २-२, ५-५ जिलों को भी अगर हम बाढ़ विमुक्त कर सकें और पानी की निकासी के सहज और सरल उपाय कर दिये जायं तभी बहस करना सार्थक होगा और वही किसानों की सच्ची सेवा होगी जिनकी कि धन और जन की क्षति होती है।

श्री प्रभुदयाल (जिला बस्ती)—माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपका कृतज्ञ हूं कि मुझे इस विषय पर आपने बोलने का अवसर दिया है। बस्ती में ऐसी भीषण बाढ़ आयी है जैसी सन् ३४ में आयी थी। इस भीषण प्रकोप की तरफ स्थानीय अधिकारियों का ध्यान नहीं गया। ४-५ तारीख को मुझे वहां जाने का अवसर मिला और वहां के स्थानीय अधिकारियों का ध्यान खींचा, लेकिन कोई दवा, सहायता इत्यादि नहीं पहुंची। २०० गांव बरबाद हो गये और वहां चिराग जलाने के लिए मिट्टी का तेल भी नहीं था, उसको भी अधिकारी लोग पहुंचाने में असमर्थ रहे सतवाड़ी, ककरही गांव कटकर नदी में गिर गये लेकिन कोई ध्यान नहीं दिया गया। बस्ती

[श्री प्रभुदयाल]

जिले से जितने आंकड़े मिले हैं वह बहुत कम हैं। २ तारीख को जो बाढ़ आयी है उससे बस्ती जिले में करीब-करीब १२ लाख आदमी प्रभावित हैं। इससे आप कल्पना कर सकते हैं कि १९३४ की बाढ़ में और इस बाढ़ में कोई अन्तर नहीं है। इससे बस्ती, गोरखपुर, देवरिया तबाह हो जायंगे। अगर आप चाहते हैं कि वहां मनुष्य जिन्दा रहें तो इन जिलों की ओर विशेष रूप से ध्यान देना पड़ेगा क्योंकि जो पानी वहां दिखाई देता है, मालूम होता है कि अरब सागर लहरा रहा है।

श्री हुकुमसिंह विसेन---आगरा, अलीगढ़, मथुरा की तरफ नहीं ?

श्री प्रभुदयाल---उधर भी, वैसे तो सारे प्रदेश की तरफ ध्यान देने की आवश्यकता है, लेकिन मेरठ की बात वहां के सदस्य कहेंगे, इटावा के कहेंगे, बुलन्दशहर के कहेंगे। मैं तो बस्ती, देवरिया, गोरखपुर की बात कह रहा हूं जहां १९३४ के बाद जो बाढ़ आयी है उसकी तरफ ध्यान खींचना चाहता हूं। अगर वहां के लिए बीज, दवा-दारू, लड़कों की पढ़ाई, खाद्य व्यवस्था की तरफ ध्यान नहीं देंगे तो एक बड़ी आबादी के हिस्से में कोहराम मच जायगा। क्योंकि मैंने स्वयं उनके खेतों में जाकर देखा है, पंचायत इंस्पेक्टर मेरे साथ थे, वहां ६-७ फीट पानी खरीफ की फसल में भरा हुआ है और रुकना मुश्किल था। जब तक हम फौजी तरीके से सहायता की तरफ कटिबद्ध नहीं होंगे तो पूर्वी जिले बिल्कुल तबाह हो जायंगे। इसलिए मैं चाहता हूं कि आप उनकी खाद्य समस्या की तरफ ध्यान रखें। जहां यातायात के साधन टूट गये हैं उनको ठीक करें। बांधों की तरफ मैं ध्यान नहीं खींचूंगा। एक प्रश्न के उत्तर में कहा गया है कि बड़े बड़े प्रयोग बांधों के सम्बन्ध में किये जा रहे हैं, वह असफल होते जा रहे हैं। बाढ़ क्षेत्र के गांवों को ऊंची भूमि पर बसाने की कोशिश की जाय और ऊंची जगह पर सेन्टर बनाकर उनको लघु-उद्योगों के द्वारा काम में लगाया जाय ताकि बरसात में उस स्थान पर बैठकर वह उस काम को कर सकें। आप बांध बनाते हैं लेकिन वह टूट जाते हैं और फिर कोहराम मचता है। इसलिये अच्छा यह है कि आप उनको ऊंची जमीन पर बसायें और काम धंधों में लगायें। इसके अतिरिक्त आप कुछ ऐसी फसलों को ईजाद करें जो कि मई, जून, जुलाई महीने के पहले पैदा हो जायं। बाढ़ पीड़ितों में कुछ तकावी बांट देने से इस समस्या का स्थायी तौर पर हल नहीं हो सकता। चाहे पूरब के जिले हों या पश्चिम के जिले हों, उनकी समस्या को आप स्थायी तौर पर हल करें। आप उनको खादी, बर्तन, इस प्रकार के बहुत से उद्योगों में लगा सकते हैं। स्विटजरलैंड में जो काम हो सकते हैं उससे अच्छा काम बाढ़ क्षेत्र के निवासी कर सकते हैं यदि आप उनको साधन मुहइया करके उनकी मदद कर सकें। इसलिये मेरा सुझाव है कि सरकार एक ऐसा विभाग कायम करे जो कि इन बातों का सर्वे करे। अगर आप इस दृष्टिकोण से इस पर विचार करेंगे तो उनकी समस्या हल हो सकेगी वरना तकावी दे देने से उनकी समस्या हल नहीं हो सकेगी। जिस प्रकार से कुछ पैसे, रोटी या कपड़े दे देने से भिखमंगों की समस्या का हल नहीं होता उसी प्रकार बाढ़ पीड़ितों को कुछ पैसा दे देने से उनकी समस्या का हल नहीं हो सकता। मैं नहीं चाहता कि आप उनमें तकावी बांट दें। गांधी जी का यह उसूल था कि बिना काम लिये किसी को सहायता न दी जाय, काम लेकर ही सहायता दी जाय। केवल उद्योगों में ही लगाकर आप उनकी समस्या और इस प्रदेश की समस्या को हल कर सकेंगे और तभी यह प्रदेश समृद्धशाली बन सकेगा। अन्त में मैं पुनः सरकार का ध्यान इस ओर आकृष्ट करूंगा कि उनको टेक्निकल काम सिखाये जायं, उद्योग-धंधों की शिक्षा दी जाय ताकि उनकी समस्या स्थायी तौर पर हल हो सके।

***श्री गोविन्दनारायण तिवारी** (जिला जालौन)---माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इस सदन में माननीय न्याय मंत्री ने इस प्रदेश में आई हुई बाढ़ के सम्बन्ध में स्टेटमेन्ट दिया। हमको इस बात के कहने में संकोच नहीं है कि उससे बहुत बड़ी निराशा हुई और दुख हुआ। सदन

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

महज यह नहीं ऐक्सपेक्ट करता था कि कहां क्या नुकसान हुआ इसकी फीगर्स शासन की ओर से या मंत्रिमंडल की ओर से यहां पेश कर दी जायं। बल्कि इस प्रदेश की तीन करोड़ जनता जो इस विपत्ति में इन्वाल्व्ड है वह यह आशा करती थी कि मंत्रिमंडल के स्तर पर इतनी बड़ी कैलेमिटी के बारे में डिस्कशन हुआ होगा और कोई योजना बनाई गई होगी जो कि इस फ्लड डिबेट के अवसर पर मंत्रिमंडल की ओर से यहां अनफोल्ड की जायगी। हम आशा करते थे कि सरकार की ओर से बताया जायगा कि किस तरह से यह फ्लड की समस्या जो प्रति वर्ष आया करती है उसका निराकरण किया जाय, कोई ऐसी तरकीब की जायगी जिससे यहां ईश्वरी प्रकोप से जनता को परेशानी न हो। इस दृष्टिकोण से माननीय माल मंत्री जी के स्टेटमेन्ट पर गौर किया जाय। तो मुझे इस बात के कहने में कोई संकोच नहीं है कि मंत्री महोदय ने इस समस्या पर ठीक से विचार नहीं किया। यह इतनी बड़ी समस्या है जिसमें करोड़ों रुपये की हानि हुई है। क्या बाढ़ की वजह से सड़कों की समस्या पैदा नहीं हुई? क्या बाढ़ की वजह से खाद्य और कृषि की या शिक्षा की और दूसरी समस्यायें नहीं पैदा हुईं? आश्चर्य इस बात का है कि इतनी बड़ी समस्या को सोचने के लिये इस समय मंत्रिमंडल के लोग और विभागों के लोग मौजूद नहीं हैं। इससे स्पष्ट है कि मंत्रिमंडल इस समस्या को ठीक तरह से हल नहीं करना चाहता है।

मंत्री जी ने जो फीगर्स दी हैं उनके देखने से पता चलेगा कि जिला जालौन में जहां कुल ८०० गांव हैं, उनमें से ७०० गांव प्रभावित बताये जाते हैं। इस प्रकार जालौन का सारा का सारा जिला डूब गया। १७,००० मकानों को वहां नुकसान हुआ है। जिला जालौन को कुल १५,००० रुपया दिया गया। हमने जिलाधीश से बात की तो उन्होंने कहा कि भाई, हम १५ या २० रुपया फी मकान देंगे। तो क्या कहीं २० रुपये में फिर से मकान बन सकता है? १७,००० मकान जहां ध्वस्त हुये हैं और १५,००० रुपया कुल दिया जा रहा है, तो फी मकान कुल १३ आने या १२ आने हुये। यह उस जिले के लिये है जहां १० आदमी भी साथ में मर गये हैं। इस स्टेटमेंट में अलीगढ़, मथुरा, बहराइच और दूसरे जिलों को जहां से मंत्रिगण आते हैं उन्हें ज्यादा रुपया दिया गया है। दूसरे जिलों में कम रुपया, नहीं के बराबर, दिया गया। इस प्रकार सरकार कैसे सफल हो सकती है?

मेरे जिले में एक बड़ा भारी क्षेत्र है जिसमें २०० गांव इनवाल्व्ड हैं। वह वाटर-लागिंग का क्षेत्र है। वहां इस वाटर-लागिंग के कारण जानवरों और स्त्रियों में प्रिमैच्योर मृत्युओं और एबार्शन के बहुत केस होते हैं। वहां की मेडिकल समस्या बड़ी भारी है। हम आज की डिबेट के जरिये मंत्री महोदय से मांग करते हैं कि रुपया पैसा दें या न दें और चाहे थोड़ा दें या ज्यादा दें, लेकिन जिला जालौन की सबसे बड़ी समस्या हल करने के लिये एक एक्सपर्ट्स कमेटी कायम कर दें जो यह देखें कि वाटर-लागिंग क्यों होता है वरना वहां की हालत हर साल खराब होती चली जायगी। वहां पिछले १०, २० वर्ष से हर साल यही होता है। अब यह उन २०० गांवों तक ही सीमित नहीं रहा है, बल्कि प्रत्येक वर्ष १०, २० गांव और बढ़ जाते हैं। माधोगढ़ के सारे के सारे एरिया में जिन्दा रहना मुश्किल है। वहां की सब फसल खराब हो गई है और कोई मकान में बैठकर खाना नहीं बना सकता है चूंकि हर मकान से पानी निकल रहा है। उसके लिये एक मुस्तकिल हल ढूंढने के लिये मैं चाहूंगा कि मंत्री जी एक्सपर्ट्स की एक कमेटी बनावें और उसके जरिये से सारे एरिया का सर्वे करावें।

एक बात और है। वहां के लोगों का यह निश्चित मत है कि जो नहर वहां बनाई गई है और जो बनी हुई हैं उनके कारण यह वाटर-लागिंग की समस्या वहां पैदा हुई है। जो सड़कें वहां हैं उनकी हालत इतनी खराब हो जाती है कि एक गांव से दूसरे गांव में जाना असम्भव हो जाता है। इन समस्याओं का हल तब तक नहीं होगा जब तक कि इनका सर्वे न किया जाय, तब तक जिला जालौन का कल्याण किसी तरह से नहीं हो सकता है।

*श्रीमती राजेन्द्रकिशोरी (जिला बस्ती)—माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आभारी हूं कि आपने मुझे भी बोलने का अवसर दिया है।

मेरा क्षेत्र तहसील डुमरियागंज राप्ती नदी में हर साल बाढ़ आने के कारण धनहीन होता जा रहा है। उनके पास कोई खाना या जानवरों के लिये चारा नहीं रह जाता है। सब बाढ़ में नष्ट हो जाता है। मैं मानती हूं कि हमारी सरकार बहुत कुछ मदद करती है। लेकिन जैसे होठ चाटने से प्यास नहीं जा सकती है वैसे ही वह मदद होती है। तकावी सरकार ने बंटवा दी और जब उसके वसूल करने की बात होती है तो लोगों को कष्ट होता है। इसी तरह से सरकार ने मालगुजारी भी माफ कर दी और बाद में १ के २ वसूल किये जाते हैं। हमारे यहां २, ३ स्थान ऐसे हैं जहां की खेती-बाड़ी सब जलमग्न होकर नष्ट हो जाती है। वहां नवखान को बंधवाने के लिये मंत्री जी कृपा करें। ऐसी आशा मैं करती हूं। इससे बहुत-सी भूमि सैलाब से बच जायगी। जो आंकड़े मंत्री जी ने दिये हैं, मैं माफी के साथ कहना चाहती हूं कि १४५६ मकान गिरे हैं और बहुत थोड़े की मरम्मत के लिये रुपया दिया गया है। मैं चाहती हूं कि और ज्यादा सहायता दी जाय।

जब बाढ़ आती है तो हमारे यहां बहुत से गांवों के चारों ओर पानी भर जाता है। ऐसे समय में डिलीवरी वगैरह होती है तो लोगों को बहुत दिक्कत होती है। उनके लिये ब्लाक वालों से हिदायत कर दी जाय कि इस अवसर पर वह जनता की सहायता करें। जो गल्ला बांटा जाता है तो वह ऐसा होता है कि शायद उसे घोड़े भी नहीं खाते हैं। तीसरे साल मैंने अपनी आंखों देखकर तहसीलदार से कहकर दूसरा गल्ला मंगवा कर बंटवाया। नमक ऐसा होता है कि जो मुर्चा लगा हुआ होता है और जिसे शायद गाय भी नहीं खा सकती है। ऐसा नमक बांटने के लिये दिया गया था। जितनी मदद हमारी सरकार करती है उतनी कर्मचारी लोग नहीं करते हैं। हमारे मंत्री जी जितने दुखी हैं, मैं दावे के साथ कहती हूं कि अगर उतने दुखी जिले वाले और तहसीलवाले हों तो हमारी जनता को काफी राहत मिले और इतनी तकलीफ उनको न होने पावे।

मंत्री जी तहसील डुमरियागंज की तरफ ध्यान देकर बताने की कृपा करें कि कितने मकान वहां ऐसे गिर गये हैं कि जिनकी फिर से बनवाने की जरूरत है। यह जिलेवार दिया गया है। मैं तहसील डुमरियागंज का जानना चाहती हूं ताकि मैं प्रार्थना कर सकूं। मैं मंत्री जी से आशा करती हूं कि वह उस पिछड़े हुये क्षेत्र की ओर ध्यान देंगे।

कम से कम जब बाढ़ आती है तो तकावी दी जाती है। फिर टैस्ट वर्क खोलने का काम होता है, जिनसे सड़कों पर मिट्टी डलवाई जाती है और पानी बरसने पर मिट्टी बह जाती है उस समय ऐसे टैस्ट वर्क खोले जायं जिनमें पोखरे कुएं आदि बनाये जायं जो हमेशा के लिये हमारे काम की चीज हो जायं और जनता को भी राहत मिले।

तीसरी बात यह है कि जहां भी बाढ़ एरिया हो वहां पर लोगों को अपने पैरों पर खड़ा होने के लिये योजनायें बनायी जायं ताकि जो हर साल सरकार के सामने वे भिखमंगों की भांति हाथ फैलाते हैं, वे न फैलायें और अपने पैरों पर खड़े हो सकें।

श्री लक्ष्मीनारायण बंसल (जिला आगरा)—उपाध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री जी का आभारी हूं कि आज उन्होंने बाढ़ के सम्बन्ध में विस्तृत जानकारी देकर हम लोगों को इस प्रान्त की स्थिति से भिज्ञ कराया। बाढ़ की समस्या बड़ी जटिल समस्या है जिसका सामना करने के लिये हमें बड़े भारी साधनों और समय की आवश्यकता है, इसमें कोई दो रायें नहीं हो सकतीं, जो स्टेटमेंट माननीय माल मंत्री जी ने सहायता की तादाद का दिया है, उसको देख कर कुछ रिएक्शन भी हमारे दिमाग में हुआ। दो जिले—मथुरा और आगरा में बताया गया कि बाढ़ से बड़ी तबाही हुई। मथुरा में २४७ गांव और आगरा में ३८३ गांव प्रभा-

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

वित हुए और २६ हजार एकड़ जमीन मथुरा में और आगरा में १,५१,८७६ एकड़ जमीन पर बाढ़ आयी। लेकिन मथुरा जिले में ४० हजार रुपया अहेतुक सहायता दी गयी है और आगरा में ४५ हजार दी गयी है। इसके अलावा मथुरा में तकावी १ लाख ६५ हजार दी गयी है और आगरा में केवल ४५ हजार दी गई है। मैं समझता हूं कि इस बारे में अवश्य ही ऐसे नियम होंगे कि जिस हिसाब से क्षति हो उस हिसाब से सहायता दी जाय। लेकिन आगरा और मथुरा दो जिले ऐसे हैं कि अगर वहां के आंकड़ों को देखा जाय तो मालूम होगा कि या तो शायद किसी अधिकारी से ऐसी गलती हो गयी है या उसने अपने मालिक को खुश करने के लिये ऐसा काम किया है। मैं समझता हूं कि हमारे जिले में जो बाढ़ से तबाही हुई है वह इस साल किसी से कम नहीं है बल्कि अगर यह कहा जाय कि सब से ज्यादा है तो अतिशयोक्ति न होगी। आगरा जिले में जो बाढ़ आयी है और यह क्षति हुई है उसके दो हिस्से हैं—एक तो नदियों के कारण बाढ़ आयी—जैसे कि खैरागढ़, किरावली और फिरोजाबाद तहसीलों में हुआ है। दूसरी तहसीलों में पानी के निकास की व्यवस्था न होने की वजह से वाटरलागिंग हुआ। इस तरह से भी वहां हजारों एकड़ भूमि जलमग्न हो गयी है। वहां की समस्या यह है कि अगर वह पानी समय से नहीं निकाला जा सका तो न केवल खरीफ की फसल ही नष्ट होगी वरन् रबी की काश्त भी खत्म हो जायगी। मैं जिस जिले से आता हूं उसमें फतिहाबाद क्षेत्र तीन ओर नदियों से घिरा हुआ है। वहां पर नदियां इतनी नीची हैं कि बाढ़ के रूप में कभी भी नदियों का पानी नहीं आ पाता। वहां पर दो बड़े नाले ककुवा ड्रेन व रोहता ड्रेन वहां के पानी को ड्रेन करते हैं और नहर में डाल देते हैं जब इन दोनों में ज्यादा पानी आता है तो वे नहरों को ओवरफ्लो कर देते हैं जिससे हजारों बीघा काश्त को नुक्सान हो जाता है। मुझे मालूम हुआ कि सरकार ने इसके लिये कुछ जलौन भी एक्वायर की थी लेकिन अभी तक पता नहीं कि इन नहरों को ठीक करने के लिये क्या हो रहा है जिससे हजारों बीघा खेती पर असर पड़ता है। आशा है मंत्री जी उसको शीघ्र बनवाने की कृपा करेंगे ताकि उनका पानी ओवरफ्लो न करने पावे।

इसी प्रकार से गंगौरा नाला है जिससे गंगौरा, बसई, रामगढ़, भोजपुर, कुतुबपुर, गढ़ी, उदैराज, सारंगपुर इत्यादि बहुत से गांव प्रभावित होते हैं। सन १९५७ में वहां वाटर लागिंग हुआ था। नहर के इंजीनियर और एस० डी० एम० भी देखने के लिये गये थे। वहां दो पुलियां बनी हुई हैं जिनसे वहां का पानी पूरी तरह से ड्रेन नहीं हो पाता। उन्होंने इस बात से ऐग्री किया कि उनसे पूरा पानी ड्रेन नहीं हो सकता। लेकिन उसके बारे में कुछ नहीं किया गया। मैंने जब पता लगाया तो मालूम हुआ कि सरकार की तरफ़ से रुपया मंजूर हो चुका है लेकिन उसकी टेक्नीकल सैंक्शन नहीं मिली है, इस कारण से नाला नहीं बन पाया। अब मेरी समझ में नहीं आता कि जब रुपया मौजूद है, सारा स्टाफ मौजूद है तो क्यों नहीं वह नाला समय से पूर्व बन पाया। अगर वह वर्षा से पहले ही बना दिया गया होता तो आज यह दशा न हुई होती कि वहां चारों ओर पानी भरा हुआ है और हजारों एकड़ भूमि जलमग्न है। तो हमारे इस क्षेत्र में जो ये दो नाले हैं, वे ऐसे हैं कि जिनको ठीक करने से इस क्षेत्र का बहुत बड़ा भाग उपजाऊ और कृषि के योग्य हो जायगा। माननीय मंत्री महोदय ने जो एलान किया कि वे मालगुजारी में छूट देंगे, मैं उसका स्वागत करता हूं। मैं साथ ही उनसे प्रार्थना करता हूं कि वे इरीगेशन ड्यूज में भी छूट दें क्योंकि इस वक्त काश्तकार के पास इरीगेशन ड्यूज देने के लिये भी पैसा नहीं है। प्रेक्युइट्स रिलीफ जो ५, ७ और १० रु० की दी जाती है उसको हमारे यहां के आदमी लेने को तैयार नहीं हैं। वहां मकान काफी तादाद में गिरे हुए हैं जिनको बनाने के लिये लोगों को बांस, बल्ली, फूस, टीन और सीमेंट की जरूरत है। सरकार को इस वक्त उनकी मदद करनी चाहिये जो बेघर-बार हो कर अपने खेतों पर पड़े हुए हैं, ऊंची जमीन पर पड़े हुये हैं, नहरों की पटरियों पर पड़े हुये हैं, जिनकी कि छत आसमान है और जमीन का फर्श है ऐसे लोगों की सहायता देना सरकार का फर्ज हो जाता है। और यह ५, ७, १० रुपये की मदद से पूरा नहीं हो सकेगा। लोगों को पर्याप्त रूप से तकावी की रकम दी जाय ताकि वे अपने रहने लायक मकान बना सकें। और जो पानी इस वक्त भरा हुआ है उसको निकालने की व्यवस्था की जाय। मंत्री महोदय ने कहा कि जहां-जहां पानी भरा हुआ है उस को हम निकालने की कोशिश कर रहे हैं। मैं समझता

[श्री लक्ष्मीनारायण बंसल]

हूं कि अभी तक उनकी वह कोशिश हमारे जिले तक नहीं पहुंच पायी है। जगह-जगह नहर के साइफन ऊंचे हो गये हैं। आज जरूरत इस बात की है कि नहर के साइफनों को नीचा किया जाय, जो नाले ठीक नहीं हैं उनको ठीक किया जाय और ऐसा इन्तजाम किया जाय ताकि आइन्दा और बारिश हो तो वाटरलांगिग न हो। मैं इन शब्दों के साथ माननीय मंत्री जी का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं कि वे इस क्षेत्र की जनता के लिये जो कुछ सहायता पहुंचा सकें, वह शीघ्र ही पहुंचाने का प्रबन्ध करें।

श्री लखमीसिंह (जिला अलीगढ़)—श्रीमान् उपाध्यक्ष महोदय, मैं समालोचना या आलोचना करना नहीं चाहता हूं। इसलिये मैं केवल उतनी ही बात माननीय मंत्री जी के सामने रखना चाहता हूं जो कि मेरी तहसील से सम्बन्धित है। मेरी तहसील इगलास अलीगढ़ की सब तहसीलों में छोटी तहसील है और वह आर्थिकता की नजर से भी सब से कमजोर है। करवान नदी और ५, ६ नाले ऐसे हैं जिनके पानी और बारिश के पानी की वजह से बहुत से गांवों का खरीफ की फसल हर साल बर्बाद हो जाती है और सन् १९५७–५८ से श्री लक्ष्मीरमण आचार्य ने एक नाला और बना कर इन पर और कृपा कर दी है।

श्री उपाध्यक्ष—मथुरा से आया होगा तो वह और पवित्र होगा!

श्री लखमीसिंह—करवान नदी के ऊपर एक नहर, हाथरस ब्रांच निकाली गई है। इसके लिये नदी में जो पुल बनाया गया है उसमें केवल चार दर हैं जिनसे पूरा पानी नहीं निकल पाता है और तलेसर, दिगसारी, मधुपुर आदि ८, १० गांव ऐसे हैं जिनमें बरसात का पानी सब आकर रुक जाता है जिससे इन गांवों की खरीफ की फसल हर साल नष्ट हो जाती है। इस नदी में करीब ४० नाले और आकर पड़ते हैं जिसकी वजह से तीन-चार मील भरा रहता है। उस पानी को नदी बहुत धीरे-धीरे खींचती है जिससे फसल को बड़ा नुकसान होता है। बहुत से पोखरे नाले ऐसे हैं जो बराबर पानी से भरे रहते हैं जिनकी वजह से हर मकान में लोनी लग जाती है और वे बरसात के मौसम में बैठ जाया करते हैं। बहुत से मकानों की तरी तो जेठ में जाकर सूख पाती है। वहां पर कई ड्रेन हैं, उसकी वजह से भी वहां बाढ़ आ जाती है। इसको जो सरवन नदी में निकाला भी गया है उसको भी गहरा और चौड़ा नहीं किया गया है। इसलिये वहां ३४, ३५ गांवों में हर वर्षा में बाढ़ आ जाती है। इसमें तीन चार ड्रेनेज हैं और इसके पास ही एक नाला ईखा है जो बालमगढ़ से हो कर जाता है; वहां ५ ऐसे गांव हैं जहां नाला आ जाता है। वहां भी हमारे पंडित जी की दया है क्योंकि पंडितों की दया तो हम पर हमेशा रहती है।

श्री हुकुमसिंह विसेन—वे आप पर बड़े दयालु हैं!

श्री लखमीसिंह—जी हां, ऐसे दयालु हैं कि कहीं बरबादी हो तो सब से ज्यादा अलीगढ़ जिले में और अगर रुपये तकावी वगैरह के मिलें तो आचार्य महोदय के जिले में मिलें। पहले उन्होंने ४० हजार रुपया लिया बाद में १ लाख ६५ हजार रुपया उनको मिला जब कि उनके यहां केवल २४७ गांवों पर असर हुआ था लेकिन हमारे यहां ९२१ गांवों की बुरी हालत है तो हमें ३८ हजार पहले और ८५ हजार रुपये बाद में मिले। हम कहें तो कहा जाता है कि बाद में विचार किया जायगा। यह तो सरकार की बात है सरकार ही जाने लेकिन जो कुछ किया जा रहा है वह मैं कह रहा हूं जो न्याय है वह मैं कह रहा हूं कि क्या है। मैं तो यही कहूंगा कि जो ४ नाले हैं सोमनाथ ड्रेन, रुदाइन तारापुर ड्रेन, तोछीगढ़ ड्रेन, जहरौली ड्रेन उनको दुरुस्त कराया जाय। बिना उसके काम वहां का बनने वाला नहीं है और सरवन नदी के पुल को ठीक करवाया जाय उसी से काम चल सकता है।

***राजा वीरेन्द्रशाह**—माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आज उत्तर प्रदेश बाढ़ के के कार्यों पर इस भवन में बहस हो रही है। मैं भी, श्रीमन्, ६ से ९ तारीख तक अपने जिले जालौन में घूमकर

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

आया हूं और उस दृश्य को श्रीमान मंत्री जी के सम्मुख रखना चाहता हूं। पहले तो मैं सरकार का बहुत आभारी हूं कि उन्होंने हर जिले के जिलाधीशों को लिखकर भेज दिया है कि जहां-जहां वर्षा हो वहां फौरन सहायता पहुंचायी जाय। मैं अपने जिले की कहता हूं। हमारे जिले के जिलाधीश महोदय ने और वहां के सरकारी कर्मचारियों ने पूरा प्रयत्न किया जनता की सहायता करने का और मैं उनके कार्यों की सराहना करता हूं। हां, साथ-साथ इतना निवेदन है कि हमारे यहां ७ या ८ सौ गांव ऐसे हैं जिनमें मकान वगैरह पूरे के पूरे नष्ट हो गये और वह दृश्य ऐसा है जिसका यहां बयान नहीं किया जा सकता जिस तरह से हमारे सूखे इलाके में गोरखपुर का दृश्य दिखलाई देता है। तो मेरा सरकार से निवेदन है कि वहां आपने जो १५ हजार रुपए दिये हैं वह ठीक तरह से खर्च नहीं हुए। हमारे यहां ओगा क्षेत्र जो माधोगढ़ एरिया में है वहां २ सौ के करीब गांवों में पानी बढ़ता चला आ रहा है और वह गांव जलमग्न हैं। तो मैं आप के द्वारा सरकार से यह कहना चाहता हूं कि एक एक्सपर्ट कमेटी बैठाएं। वह इस बात को देखे कि जिस तरीके से गोरखपुर और ईस्टर्न साइड के क्षेत्रों में जहां हर साल बाढ़ आती है, वहां सेन्टर से एक्सपर्ट कमेटी बैठी है, उसी तरह से एक छोटी एक्सपर्ट कमेटी बैठाई जाय। तो अभी ५-७ लाख रुपये से काम चल सकता है। देखिये कि कहां से वाटर-लागिंग होता है। वह इलाका ठीक हो जाय तो बड़ी भारी समस्या दूर हो जाएगी।

दूसरी अर्ज यह करनी है कि मकान बनाने के लिये सहकारिता की योजना सरकार ने बनाई है। हम सरकार से कहना चाहते हैं कि अगर आप देहाती क्षेत्र में न दें—जैसे कि तमाम लोगों ने कहा कि उससे देहातवासियों को कोई फायदे की आशा नहीं है—तो हमारे उसी क्षेत्र में एक माधवगढ़ टाउन एरिया है, उसी में वह लागू कर दें, तो कम से कम उसके मकान बन जाएंगे।

तीसरी बात यातायात की मुझे कहनी है। पहली पंचवर्षीय योजना में माधोगढ़ की सड़क बनाई गई है, लेकिन आज तक कमप्लीट नहीं हुई। वह सड़क अगर बनी होती तो बहुत कम नुक्सान होता। तो जो अधूरे कार्य हैं उनको शीघ्रता से पूरे कराएं।

चौथी बात, इस पानी से बीमारी का बहुत भय है। ५ अस्पताल देहाती क्षेत्र में हमारे यहां हैं, जहां एक भी डाक्टर नहीं हैं। तो कम से कम ६ महीने के लिये उन क्षेत्रों में अवश्य भेज दिये जायं।

जालौन जिले में और बुन्देलखंड में जो पानी से नुक्सान हुआ, हम नहीं समझते थे कि इतना नुक्सान हो सकता है। ऐसे-ऐसे गांव हैं जिनमें अन्न का एक दाना नहीं है और एक छप्पर नहीं है, एक इंच जमीन ढकी हुई नहीं है। हम लोगों के मकान उनके लिये हैं, लेकिन उनमें कहां तक रखें? मंत्री जी ने कहा कि छूट देंगे। हमारे यहां १६ आने तक की सरकारी रिपोर्ट है। हम मन्त्री जी से चाहेंगे कि वहां की मालगुजारी को फौरन माफ करने के लिये कह दिया जाय और तकावी बढ़ा दी जाय ताकि लोगों की अधिक से अधिक सहायता हो सके।

अन्त में मैं यह कहूंगा कि इस साल अधिक पानी बरसने से और जब से अन्तरिम जिला परिषद् का झगड़ा आया तब से कच्ची सड़कों की कोई मरम्मत नहीं हो पाई। आप एल० एस० जी० डिपार्टमेन्ट को स्पेशल ग्रान्ट दिलाएं। इस साल अतिवृष्टि से सारी सड़कें नष्ट हो गई हैं। उनको कुछ रुपया दे दें ताकि वे बन जायं और सुविधा हो सके। मैं आशा करता हूं कि मंत्री जी इस पर अवश्य ध्यान देंगे।

*श्री शिवशरणलाल श्रीवास्तव (जिला बहराइच)—उपाध्यक्ष महोदय, कब्ल इसके कि मैं इस महत्वपूर्ण विषय पर आपके द्वारा माननीय मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करूं, पहले म उनको धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने बाढ़-ग्रस्त क्षेत्रों में लगान और तकावी की वसूली रोकने की घोषणा की और साथ ही साथ उन्होंने यह भी आश्वासन दिया कि जो भी सहायता बाढ़-ग्रस्त क्षेत्रों की हो सकती है वह यथा-साध्य सरकार करने का प्रयास करेगी।

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री शिवशरणलाल श्रीवास्तव]

अभी-अभी, मान्यवर, हमारे एक साथी श्री गोविन्द नारायण तिवारी जी ने कुछ आक्षेप किया था और वह इस तरह का आक्षेप था कि बहराइच जिले के चूंकि मंत्री जी रहने वाले हैं लिहाजा उस तरफ मंत्री जी ने काफी ध्यान दिया जब कि आज इस सदन में मैं बिलकुल उलटा कहने वाला था कि मंत्री जी अपने जिले को धीरे-धीरे भूलते जा रहे हैं। मैं गोविन्द नारायण तिवारी जी को दावत देता हूं कि मेरे जिले की हालत को आ कर देखें। जिस जिले के अन्दर घाघरा ऐसी विशाल नदी हो, सरजू, राप्ती ऐसी नदियां हों उस जिले का क्या हाल होगा जबकि तीनों नदियां एक बारगी उबल पड़ी हों कि मैं यदि यह कहूं ! जालौन में शायद कोई नाला उबल पड़ा होगा तो अनुचित न होगा। जरा मेरे यहां चल करके देखें कि राप्ती और भकला नदियों के बीच का इलाका बिलकुल पानी में डूब गया है। मैं मंत्री जी से कहूंगा कि जो आंकड़े आप के पास आये हैं वह सही हैं, जितने आंकड़े उपलब्ध हो सके हैं वही भेजे हैं। लेकिन अभी बहुत सा हिस्सा ऐसा है जहां ऐक्सेस ही नहीं हो पायी है, लिहाजा वहां के आंकड़े आने का प्रश्न ही नहीं उठता। वह दोआब का एरिया है। अभी राजा वीरेन्द्रशाह कह रहे थे कि घर बह गया है, छप्पर बह गया है। मैं नाम लेता हूं कि हस्तिनापुर और चुरवाडीह गांव ऐसे हैं जिनका नामोनिशां नहीं रह गया। यह वहां की दशा है। जब बाढ़ आयी वहां की यह हालत थी कि लोग स्कूल की छतों पर बैठ करके अपनी रात गुजारे हैं। आज जो लोग उस क्षेत्र के सम्पन्न थे वह निर्धन हो गये हैं और निर्धन तो मरने के बराबर है। जो सहायता मंत्री जी ने दी है, मैं फिर कहूंगा गोविन्द नारायण तिवारी जी के जिले को ज्यादा से ज्यादा सहायता दें, साथ-साथ बहराइच जिले की ओर ध्यान आकर्षित करूंगा, और विशेषकर इनकी कांस्टीटुएंसी में दरिया घाघरा ने अपना रुख कर लिया है और जो लाखों रुपया लगा करके पुल बनवाया गया था उसकी दशा को आज जरा देखें। सारा ट्रैफ़िक डिसलोकेट हो गया है और भी कई ऐसी जगहें हैं जहां पर जा कर देखने ही से बाढ़ की भीषणता का अन्दाज लगाया जा सकता है। हमारे जिले में सबसे ज्यादा जो पीड़ित इलाका है वह है नानपारा तहसील, गायघाट से लेकर मिहिन-पुरवा क्षेत्र और राप्ती और भकला के दोआब का सारा इलाका बिलकुल बरबाद हो गया है। फसल के ऊपर दरिया ने रेत छोड़ दी है, खाने को एक दाना भी नहीं रह गया है। हां, जरूर एक शिकायत गोविन्द नारायण तिवारी जी ने की; उसके लिये विशेष रूप से मंत्री जी से प्रार्थना करूंगा कि ध्यान दें। जालौन में अबारशन्स बहुत होते हैं; वहां लेटी डाक्टर भेज कर सहायता करें। यह शिकायत हमारे यहां नहीं है। बहरहाल, बीमारियां फैल रही हैं, उसके चिन्ह दिखाई दे रहे हैं। मैं कुछ मलेरिया के लिये कहना चाहता हूं क्योंकि उसके चिन्ह अब दिखाई देने लगे हैं, जो कि काफ़ी खत्म हो चुका है। जो दवा पहले छिड़की गई थी वह फ्लश आउट हो गई है, लिहाजा स्पेशल यूनिट की व्यवस्था मंत्री जी जरूर करें ताकि जिस बीमारी की रोकथाम पहले की गई थी वह फिर न फैलने पावे।

ज्यादा नावों की व्यवस्था होनी चाहिये। इसके अलावा एक बात और विशेष रूप से कहना चाहता हूं। मुझे एक चीज का अजीब तजुर्बा सा हो रहा है। पहले जब कभी बाढ़ आया करती थी तो तमाम नान-आफिशियल आर्गेनाइजेशन्स पड़ाव डालतीं थीं, तमाम नान-आफ़िशियल सहायता पहुंचती थी, कितनी सेवा समितियां काम करती थीं, आज वह नान-आफ़िशियल संस्थायें कहां हैं ? यह सही है कि हर कैलैमिटी में सरकार यथासाध्य सहायता करती है लेकिन सरकार की भी शक्ति सीमित है। इसलिये जब तक जनता और सरकार दोनों मिल कर इसका मुकाबला नहीं करेंगे तब तक बाढ़ और उससे पैदा होने वाली तकलीफों की समाप्ति नामुमकिन है।

इसके अतिरिक्त मैं मंत्री महोदय का ध्यान जंगल की ओर आकर्षित करूंगा। जहां-जहां बाढ़ पीड़ित क्षेत्र में गया और जो गांव कट गये हैं और समाप्त हो गये हैं वहां की पहली मांग है कि लकड़ी दो। लेकिन जंगल का कुछ ऐसा कानून बन गया है जिसके कारण जंगल के अधिकारी अपनी विवशता दिखलाते हैं, जिससे जनता को बड़ी परेशानी हो रही है। इसलिये मैं

मंत्री महोदय से निवेदन करूंगा कि जो उनके साथी मंत्री जंगल विभाग के हैं उनसे कह कर जो चीजें जनता के काम में आ सकती हैं उनको दिलवाने की कृपा करें ताकि जिनके घर उजड़ गये हैं वे फिर से अपने घरों को बना सकें।

इसके अतिरिक्त जो और सहायता आपने दी है वह बहराइच जिले की बाढ़ को देखते हुये नहीं के बराबर है। इसलिये आप मेहरबानी कर के माननीय गोविन्दनारायण तिवारी की बातों में न आयें और जितनी सहायता वहां के लिये आवश्यक है उसको देने की कृपा करें।

श्री मदन पांडेय (जिला गोरखपुर)—उपाध्यक्ष महोदय, चूंकि समय थोड़ा है इसलिये मैं पहले ही निवेदन कर दूं कि यदि दो, तीन मिनट की और आवश्यकता हो तो मेहरबानी करियेगा।

श्री उपाध्यक्ष—आज यह रिआयत किसी को नहीं दी जायगी।

श्री मदन पांडेय—मैं मंत्री जी का काम हल्का करने के लिये अपने सुझाव पहले देना चाहता हूं और उसके बाद किस वजह से वे सुझाव हैं वह बाद को बताऊंगा। पहले तो मुझे यह कहना है कि सरकारी वसूलियों को फौरन रोक दिया जाय। जैसा कि उनके एलान के बाद भी रामलक्षण जी ने उनसे कहा कि दो प्रकार की वसूलियों को रोकने की बात मन्त्री जी ने कही, लेकिन और वसूलियां हो रही हैं इसलिये मेरा निवेदन है कि हर प्रकार की वसूलियां फौरन रोक दी जायं।

श्री हुकुमसिंह विसेन—तकावी की कास्ट के बारे में हमें कानून बता दीजिये।

श्री मदन पांडेय—समय नहीं है, मैं उस सम्बन्ध में रूल्स निकाल कर बता दूंगा, वह बाद की बात है, लेकिन मैं पहली मांग करता हूं कि सरकार से संबंधित जितनी वसूलियां मंत्री जी रोक सकते हैं उन्हें फौरन् रोक दें। इसके अलावा आर्डर पहुंचने में कितनी देरी होती है इसका उदाहरण मैं दूंगा। दूसरी बात यह है कि जिन स्थानों पर टेस्ट वर्क खोला जा सकता है वहां फौरन खोलने का आदेश दिया जाय। तीसरे, जितने सहायता कार्य किये जा रहे हैं उनके सम्बन्ध में एक दरख्वास्त गोरखपुर जिले के लक्ष्मीपुर गांव से आयी है जो ब्लाक से ६ मील की दूरी पर है। वहां के गांव वालों ने लिखा है कि २८–२९ तारीख को ही बाढ़ आ गयी थी और २ तारीख को रिपोर्ट किया, ६ तारीख की यह दरख्वास्त चली हुई है मगर इस वक्त तक कोई सहायता उनको नहीं पहुंची है और न कोई लेखपाल ही पूछने गया। इसलिये फौजी स्तर पर काम करने की आवश्यकता है। विधान सभा का अधिवेशन एक हफ्ते के लिये बन्द किया जाय और जितने माननीय मन्त्री लोग हैं और माननीय शिवशरणलाल जी ऐसे लोग हैं उनको एक हफ्ते की छुट्टी दी जाय और फिर देखा जाय कि ये कितना काम बाढ़ की रोकथाम के लिये करते हैं। बड़े पैमाने पर तकावी बांटी जाय। गोरखपुर में जहां २२–२३ लाख आदमी रहते हैं वहां पर ढाई लाख आदमी इससे प्रभावित हुये हैं और दो ढाई लाख एकड़ जमीन प्रभावित हुई है और वहां तकावी के लिये केवल ४० हजार रुपया दिया गया है। मैंने इसलिये गोरखपुर का नाम लिया है कि मैंने इसके फिगर्स को अच्छी तरह से देखा है। इसके अलावा राज्य स्तर पर कितनी सहायता दी गई है इसके ऊपर माननीय सदस्यों ने काफी प्रकाश डाला है।

दूसरे, श्रीमन्, मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि विद्यार्थियों की पढ़ाई का मामला रुक रहा है क्योंकि जब लोगों के पास खाने को नहीं है तो फीस के लिये पैसा कहां से लायें? इसलिये उनकी फीस माफ करने का हुक्म जल्द से जल्द जारी किया जाय। इसके अलावा, श्रीमन्, मुझे राज्य स्तर पर और जिला स्तर पर यह शिकायत सुनने को मिली है कि जो सहायता की जा रही है उसमें राजनीतिकता बरती जा रही है। इसलिये मैं यह कहना चाहता हूं कि माननीय मंत्री जी जिलाधीशों को ऐसे आदेश फौरन दें कि जितनी राजनीतिक पार्टियां हों उन सभी को बुला कर सर्वदलीय स्तर के ऊपर एक कमेटी बनाई जाय और उसके द्वारा सहायता दी जाय।

[श्री मदन पांडेय]

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके द्वारा माननीय मंत्री जी का ध्यान दिलाना चाहता हूं कि आपकी जो जल निकास योजना है उसको जरा देखें । आपके लखनऊ में ही एक सिंगारनगर हाउसिंग सोसाइटी है । उसकी जमीन एलाट हो गई है और टाउन प्लानर ने जो सजेशन दिया है उसको पूरा नहीं किया गया है, इससे आज वहां क्या हालत है ? उनके घरों में पानी दिखाई पड़ता है । देहातों की हालत तो बहुत ही ज्यादा खराब है और वह किसी से छिपी हुई नहीं है । एक नदुवा गांव है, वहां पर १२ फीट की पानी की धारा बह रही है और बहुत से घर गिर चुके हैं । यदि इस तरह की चीज हो रही है और उसके संबंध में आदेश पहुंचने में देरी हो रही है तो उसकी ओर विशेष रूप से माननीय मंत्री जी को ध्यान देना चाहिये और दिये के नीचे अंधेरा नहीं रहना चाहिये ।

अब मैं आपसे यह कहना चाहता हूं कि जो आपको फौरी दवा करना है उसके संबंध में मैंने आपको सुझाव दे दिये हैं । लेकिन वास्तव में सही बात यह है कि जो मर्ज है वह फौरी दवा से ठीक होने वाला नहीं है । यह तो क्रोनिक डिजीज हो गई है । अभी जो हम लोगों को प्लानिंग के संबंध में प्रारूप दिया गया है उसमें आपने स्वयं कहा है कि हमारे प्रदेश की ६३ लाख एकड़ जमीन पानी में आ जाती है । इससे सारी फसल बरबाद हो जाती है । अब देखने की बात यह है कि यह कितना बड़ा नुकसान है । अगर १०० रुपये प्रति एकड़ के हिसाब से नुकसान लगाया जाय तो ६३ करोड़ रुपये की फसल हर साल बरबाद हो जाती है । अगर हम किसी तरह से अपने यहां बाढ़ को रोकने में कामयाब हो जाते हैं तो लगभग इतनी ही आमदनी हम अपने प्रदेश की बिना किसी तरद्दुद बढ़ा सकते हैं । लेकिन इसके लिये जो उचित स्कीम होनी चाहिये उसको नहीं किया जा रहा है । हमको सरजू नदी की १० करोड़ ७७ लाख रुपये की योजना बताई गई है । लेकिन ऐसी छुट-पुट स्कीमों से कुछ होने वाला नहीं है । भले ही हमारे मंत्री जी बहराइच के लोगों को खुश कर लें । वह वहां के मिनिस्टर हैं । लेकिन सही माने में जब तक घाघरा और राप्ती नदियों की योजना द्वारा १२–१४ जिलों के आदमियों को मुक्त करने का प्रयास नहीं करेंगे तब तक कल्याण नहीं होगा । इसमें करीब दो अरब रुपये का खर्चा है । दो लाख एकड़ जमीन महज गोरखपुर में पानी में गर्क हुई है । इस तरह से १२–१४ जिले हैं । अगर हम दो लाख एकड़ न समझकर डेढ़ लाख ही समझ लें तब भी हम समझते हैं और १०० रुपया प्रति एकड़ नुकसान जोड़ें तो भी १५ करोड़ रुपये का नुकसान होता है । यदि दस वर्ष तक नदी घाटी योजना को तैयार करें तो १०–१५ करोड़ रुपया प्रति वर्ष खर्च करना पड़ेगा । इस प्रकार से दस वर्ष में अपने प्रदेश की आमदनी दुगनी बढ़ जायगी और ढाई करोड़ आदमियों को आप नर्क से उठाकर स्वर्ग में रख देंगे । यह स्थायी रूप से दवा करना है ।

मैं आपसे यह भी कहना चाहता हूं कि कुछ भाइयों ने इस मामले में पूर्व और पश्चिम की बात उठानी चाही । न इसमें पूर्व का सवाल है, न पश्चिम का । जहां पहले बाढ़ नहीं आती थी वहां भी बाढ़ आ रही है । अलीगढ़ और मथुरा जहां बाढ़ नहीं आती थी वह भी डूब गये हैं । इसलिए यह पूर्व और पश्चिम की बात नहीं है । सदन के सब माननीय सदस्य बैठ कर सोचें । मैं सबको दावत देता हूं कि माननीय मंत्री जी का दिमाग दुरुस्त करें । प्लानिंग कमीशन के सामने हमारा रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए और हमारे साथियों की वायस उसके सामने जानी चाहिए कि दामोदर रिवर वैली प्रोजेक्ट की तरह से बाढ़ और सिंचाई की समस्याओं को हल करने के लिए हमारे यहां भी नदी घाटी योजना होनी चाहिए । इन शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं ।

श्री नन्दकुमारदेव वाशिष्ठ (जिला अलीगढ़)—माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं इस समय अलीगढ़ जिले में जो वर्षा हुई है, उसकी समस्या आपके सामने प्रस्तुत करने खड़ा हुआ हूं, विशेष रूप से इसलिए भी कि १९५७ के पहले तक अलीगढ़ में कभी भी बाढ़ नहीं आती थी । मैं सबसे पहले उन कारणों को बतलाना चाहता हूं कि जिनसे पश्चिमी जिलों में बाढ़ बढ़ती जा रही है ।

सबसे पहली बात यह है कि उत्तर प्रदेश में जो पानी के प्राकृतिक बहाव का ढाल है वह सदैव से इस प्रकार का था कि पहाड़ों से जो पानी बहकर गंगा और यमुना और रामगंगा आदि नदियों में आता था पहले वह उत्तर से दक्षिण की ओर आता था, फिर पूर्व की ओर बह जाता था । इस प्रकार पानी का बहाव अर्धवृत्ताकार पूर्व की ओर बह जाता था । लेकिन P. W. D. द्वारा नये बनाए गए नालों का बहाव तथा प्लानिंग विभाग द्वारा बनाये गये नालों का बहाव बजाय पूर्व के पश्चिम की तरफ यमुना और करवन नदी की ओर ले जाया गया । छोटे-छोटे नाले जो बनाये गये, वह भी उन्हीं में गिरे । सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, मेरठ, बुलन्दशहर का जो पानी आया उसी के लिये अलीगढ़ में नये ड्रेन बनाये गये । इन्हीं वजहों से पश्चिमी इलाकों में बाढ़ आने लगी ।

दूसरी बात मैं यह कहना चाहता हूं कि १९५८ में जब अधिक वर्षा हुई तब एक करोड़ चालीस लाख अट्ठासी हजार चार रुपये की योजना बनायी गयी थी । अलीगढ़ जिले में पानी को निकालने की योजना पर मैं समझता हूं कि निश्चित रकम का दसवां हिस्सा भी खर्च नहीं हो सका है । वहां २९ ड्रेन बनाना निश्चित हुआ था । वहां जो नाले बनाये गये उनमें से कई नाले ऐसे बनाये गये कि जिनका बहाव ढाल के बजाय चढ़ाव की ओर ले जाया गया । उन पर लाखों रुपया खर्च किया गया और सब बेकार हो गया । उस १९५८ में हाथरस तहसील में अजीत एहन, बेरगांव, बन्दीपुर, लाखून, सूरजपुर, राइक, काशी नगला, पतुआ नगला, शेखपुर अजीत, लहरा, बसगोई, मिश्री नगला, नगला अड़ू, नगला तजना आदि १५-१६ गांव बिलकुल डूब गये थे और खैर तहसील में भी पानी से २२ गांव टप्पल क्षेत्र में डूब गये थे । इस वर्षा में करीब डेढ़ सौ गांव पानी के अन्दर आ गये हैं, जिनकी फसल ७५ से १०० फी सदी तक नष्ट हो गई है । उस वक्त यह योजना बनायी गयी थी कि वहां पानी को निकालने के लिए नाले, नालियां तैयार की जायं । लेकिन वह जो गांव पहले डूबे थे वहीं गांव आज डूबे हैं । इस वक्त जिले में करीब साढ़े चार सौ गांव तो बिलकुल ऐसे हैं जहां से बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं है । उसमें से तेरह गांव हाथरस तहसील में ऐसे हैं जहां कुछ भी नहीं रहा है । लोग मैदान में बैठे हैं या मकानों की छत पर आसन लगा कर उस पर बैठे हुए हैं, कितने ही लोग सड़कों की पटरियों पर पड़े हुए हैं, हमारे सामने जो आंकड़ों की रिपोर्ट पेश की गयी है, माननीय मंत्री जी ने उस पर काफी परिश्रम किया है । उसके लिए वे अवश्य धन्यवाद के पात्र हैं और उन्होंने सहायता के लिये जो आश्वासन दिया है वह संतोषजनक है । लेकिन मैं समझता हूं कि डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट ने मुकम्मिल रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं की है । हमारे जिले में अनुमान दिया गया है—मैंने खुद दौरा किया है, जिले के तमाम कार्यकर्त्ताओं को बुलाया है और हर क्षेत्र के लोगों को बुलाकर मैंने सूचना इकट्ठी की है । तो इस प्रकार जो आंकड़े मुझे प्राप्त हुए हैं वह इस प्रकार से हैं :—

हमारे यहां हाथरस, इगलास, खैर और बिजयगढ़ क्षेत्र सिकन्दराराऊ तहसीलों में अधिक वर्षा हुई है । आपकी रिपोर्ट में बिजयगढ़ क्षेत्र का कोई जिक्र तक नहीं है जहां २२–२३ गांव पानी में डूबे पड़े हैं । जिले के लगभग १,५०० गांव पानी में डूब रहे हैं । लगभग ३ लाख एकड़ फसल पानी में डूबी पड़ी है और लगभग ४ लाख एकड़ जमीन में पानी भरा है । १० हजार मकान धराशायी हो गए हैं । २ आदमी, ३ भैंसे, २ बैल बहकर मर गए । फसल जिले के लगभग ३०० गांवों में ५० से १०० प्रतिशत तक और केवल तहसील हाथरस के १२२ गांवों में ५० से १०० प्रतिशत तक नष्ट हो गई है । सासनी-बिजयगढ़, हाथरस-जलेसर, सासनी-जलेसर, अगसौली-कचौरा, मुरसान-सादाबाद, खैर-टप्पल रोड पर जट्टारी के पास सड़कें जगह-जगह पर कट गई हैं जबकि आपकी रिपोर्ट में केवल चार सड़कों के ही टूटने का जिक्र है। चार्ट में वर्षा १४७.५ इंच हुई बताई गई है । लेकिन इस वर्षा के अलावा जो पानी ऊपर से बहकर आया है, मुजफ्फरनगर, बुलन्दशहर की ओर से, और उससे जो सेलाब आया है उसका इसमें कोई जिक्र नहीं किया गया है । एक बात और बताना चाहता हूं कि मथुरा जिले के जो आंकड़े बताये गए हैं उन पर जरा आप ध्यान देने की कृपा करें । चार्ट में

[श्री नन्दकुमारदेव वाशिष्ठ]

अलीगढ़ में ९२१ गांव बाढ़ से प्रभावित बताये गए हैं और मथुरा में २४७ गांवों में नुकसान बताया गया है। अलीगढ़ में दो लाख ६९ हजार २०६ एकड़ में फसल पानी में बताई गई है और मथुरा में कुल २६ हजार एकड़। इसी तरह अलीगढ़ में ३,४८,५८५ एकड़ जमीन पर पानी है जब कि मथुरा में केवल ७७ हजार एकड़ ही। मकान अलीगढ़ में ८,२२६ गिरे दिखाए गए हैं और मथुरा में ३,९५४। और नुकसान जो हुआ है अलीगढ़ में वह दो आने से १२ आने तक बताया गया है जब कि मथुरा में चार आने से नौ आने तक। लेकिन सहायता जो दी गई है वह अलीगढ़ को ३८ हजार अहेतुक सहायता और ८५ हजार तकावी के लिए दिया गया है जब कि मथुरा को ४० हजार अहेतुक सहायता तथा एक लाख ६५ हजार तकावी के लिए दिया गया है। अलीगढ़ से मथुरा में आधे के करीब नुकसान हुआ है। मेरे कहने का यह अर्थ नहीं है कि मथुरा को सहायता न दी जाय। मेरा तो कहना यह है कि जरूर सहायता दी जाय लेकिन जहां ज्यादा नुकसान हुआ है, फसल ज्यादा नष्ट हुई है, वहां पर और अधिक सहायता दी जानी चाहिए।

सन् ५८ में जहां जिले में लगभग १२ सौ आदमी मलेरिया से मर गए, इस साल भी हैजे से सैकड़ों आदमी मर गए और पचास-साठ रोज मर रहे हैं। जहां पानी भरा हुआ है, वहां कोई डाक्टर नहीं पहुंच पाया है, वहां के लिए समुचित इन्तजाम और सहायता होनी चाहिए। आज वहां पर यह परिस्थिति है, कहीं-कहीं तो लाश उठाने वाला नहीं मिलता है। मैंने लिख कर के भी मंत्री जी को दिया है। माननीय मुख्य मंत्री जी से भी मिला हूं। उन्होंने आश्वासन भी दिया था कि शीघ्र ही इसकी व्यवस्था की जायगी।

एक बात और निवेदन करना चाहता हूं कि हमारे क्षेत्र में पतुआ नगला का एक नाला है और कोमरी का रजबहा जहां सासनी-विजयगढ़ रोड को क्रास करता है वहां एक साइफन रजबहे के नीचे से बनाने की योजना १९५८ से चल रही है। उस वर्ष भी काशी नगला, पतुआ नगला, चदैया और निजामई गांवों की १०० प्रति शत फसल नष्ट हो गई थी और ८० प्रति शत मकान धराशायी हो गए थे। वहां चदैया तक एक नाला बना दिया गया और वह आधा मील बनने से रह गया जिसके कारण ५, ६ गांव इस वर्षा के पानी में डूब गये। बन्दीपुर-नगला अड्डू आदि गांवों में कुछ ही मकान बचे हैं। लोग गांव छोड़कर भाग गए हैं। उनको सबसे पहले मदद करने की जरूरत है।

अब मैं थोड़े से सुझाव आपके सामने रखना चाहता हूं। पहली बात तो यह है कि ऐसे गांवों के धरातल ऊंचे किये जायं। दूसरे उनके स्थायी पुनर्वास की व्यवस्था की जाय। सहायता के लिए दस-दस, पांच-पांच रुपये बांटने के बजाय उन्हें काइंड में सहायता दी जाय। उन्हें छप्पर, फूस, बांस, बल्ली आदि दी जाय जिससे वह अपने रहने के लिए मकान वगैरह बना सकें। मोबाइल स्क्वैड रखे जायं। नालों में वर्षा से आई मिट्टी को खोदकर गहरा और चौड़ा कराया जाय। सन् १९३७ में बाढ़ समस्याओं के हल के लिए एक कमेटी बनाई गई थी। उसके बाद से इस प्रश्न के लिए कोई ऐसी कमेटी नहीं बनाई गई। आज की स्थिति में एक हाई पावर कमेटी बनानी चाहिए जिसके द्वारा इस सिलसिले में इन्वेस्टीगेशन कराया जाय। जिले में ४० लाख ८८ हजार, चार रुपये में ३८२ मील लम्बाई के नाले को बनाने की एक योजना १९५८ में बनी थी, वह सब अधूरी पड़ी है। इसी वर्ष में उसे पूरा कराया जाय।

हैजे में पड़े द्वीप बने गांवों में नावों से या अन्य प्रकार से डाक्टर भेजे जायं, वहां जो लोग मर रहे हैं उनको बचाया जाय। आगामी मलेरिया की रोकथाम अभी से शुरू की जाय। अन्त में पुनः स्मरण दिलाता हूं कि हमारे यहां हाथरस क्षेत्र में, कम से कम ३ लाख की तकावी और डेढ़ लाख रुपये सहायता के लिये देना अत्यन्त आवश्यक है और जो ड्रेनेज अधूरे पड़े हुए हैं उनकी वजह से और ज्यादा नुकसान हुआ है, उनको भी बनवाया जाय।

*श्री भजनलाल (जिला इटावा)—उपाध्यक्ष महोदय, आज पश्चिमी जिलों में इटावा एक ऐसा जिला है कि जहां बाढ़ का भीषण प्रकोप आया हुआ है। इसके अतिरिक्त वहां पुलिस

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

के जुल्मों की भी बड़े जोरों से बाढ़ आयी हुई है और उनका बड़ा प्रकोप है। जिस प्रकार भीषण बाढ़ से जनता परेशान होकर सड़कों के किनारे अपने डेरे लगाये हुए दिन गुजार रही है और हाहाकार मचा हुआ है, अन्न और चारे की कमी है, उसी प्रकार दूसरी तरफ....

श्री उपाध्यक्ष——एक बार आपने पुलिस के बारे में कह दिया। लेकिन यह विषय पुलिस का नहीं है। आप बाढ़ के बारे में ही कहें।

श्री भजनलाल——मैंने कहा कि उसमें भी बाढ़ आयी हुई है।

श्री उपाध्यक्ष——वह ठीक है। आपने उपमा दे दी। अब विषय पर ही रहें।

श्री भजनलाल——इटावा में चार तहसीलें हैं——औरैया, इटावा, भरथना और बिधूना। औरैया तहसील में अरसू, अनन्तराम, नगलापुर, महसान, मुरादगंज, चन्दनपुर, जमाना, चपटा, बखरिया, मुरादगंज, दलेलनगर, बाकरपुर, करमपुर, मिहौली, निगड़ा, अन्तोल, रोशनपुर, सेहु, ककोर, अघासी; बिधूना तहसील में उझियानी, बकेवर, सुनपसा, शेरपुरा, नोधना, कुड़रिया, सरेण, बिजौली, करबाखेड़ा, सरेया, मनियामऊ, सरायदफादिल, लखना और आस पास के गांव आते हैं उनमें दो-दो, तीन-तीन फीट तक पानी भरा हुआ है। मैं अभी स्वयं वहां निरीक्षण करके आया हूं। दूसरे, बिधूना में जहां चार नदियां गुजरी हैं, भयानक बाढ़ आ गयी है जिसकी वजह से सारी फसल खरीफ की बर्बाद हो गयी है। धान में बूड़ा आ गया है। इटावा में जसवंतनगर से स्टेशन तक सरसों नदी में सोरा और कौवा चल रही है और सड़कें कटी हुई हैं। जो रिपोर्ट है उसके अनुसार इटावा में ४५४ गांवों में क्षति हुई है और ८,००० मकान से ऊपर की क्षति हुई है जिसके लिये १८ हजार का अनुदान और तकावी दी जा रही है, लेकिन दूसरे जिलों को देखा जाय, मसलन बहराइच को देखिये। वहां १५० गांवों में क्षति हुई है। ३५० मकानों को क्षति पहुंची है और वहां के लिये ५० हजार तकावी दी गयी है और १५ हजार रुपया अनुदान का दिया जा रहा है। तो मेरे कहने का मतलब यह है कि और जिलों की अपेक्षा इटावा में जब भीषण बाढ़ है, उसकी उपेक्षा की जा रही है। वहां हाहाकार मचा हुआ है, माननीय मंत्री जी इस ओर विशेष ध्यान देने की कृपा करें। एक बात मुझे और देख कर विशेष आश्चर्य हुआ। माननीय मंत्री जी ने माना है कि इस भीषण बाढ़ में धन और जन की क्षति हुई है। इटावा में १४ मौतें हुई हैं। अपने दौरे में मैंने देखा है कि कोई भी ऐसा गांव नहीं है कि जिसमें १०, १५, २० या ५० मकान न गिरे हों। जसवंतनगर के पास एक बर्रा गांव है, तीन तरफ से जल से घिरा हुआ है, उसमें ६० मकान गिर चुके हैं। सरसों और सेंगर नदियों के बीच वह फंसा हुआ है और मुझे सूचना मिली है कि पूरे जिले में ३० प्रति शत मकान गिरे हैं। लेकिन अनुदान की दृष्टि से अगर देखा जाये तो वह अनुदान न के बराबर दिया जाता है।

इसके अलावा, श्रीमन्, थाना बकेवर में, मैंने अपनी आंखों से देखा है कि डामर रोड के किनारे सैकड़ों बाढ़पीड़ित स्त्री और बच्चे अपना पिछौरा बिछाये हुए पड़े रहते हैं और वहां रात को बदमाश आकर उनके गले की हंसली और जेवर तक उतार कर ले जाते हैं। एक तरह से तो वे परेशान होते ही हैं, दूसरी तरफ वे इन लोगों द्वारा परेशान किये जाते हैं। इसलिये मैं माननीय मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि वे वहां के थाने को इस प्रकार की हिदायत दें जिससे कि गुन्डे लोगों से उनकी रक्षा हो सके। इटावा जिले में जितनी भीषण बाढ़ इस साल देखने में आई है, उतनी भीषण बाढ़ पिछले कई सालों में कभी देखने में नहीं आई। अतः मैं माननीय मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि वे इस जिले के लिये कम से कम १ लाख रुपया तकावी के लिये दें और ५० हजार रुपया अनुदान के के लिये होना चाहिये।

श्री हुकुमसिंह बिसेन——फिर बहराइच के लिये कितना दिया जाय?

श्री भजनलाल——वहां के लिये भी वहां की जरूरत के मुताबिक दिया जाय। मेरी यह मांग है कि वहां की हर अदालत पंचायत के अधीन सस्ते गल्ले और चारे की दुकानें होनी चाहिये। माननीय मंत्री जी ने जो आंकड़े प्रस्तुत किये हैं और चारे के खाने में जो संतोष-

[श्री भजनलाल]

जनक स्थिति बतायी है, वह बिलकुल गलत है। जब बाढ़ से हमारे यहां इतना नुकसान हो रहा है, तो बाढ़ ग्रस्त क्षेत्रों में चारे की स्थिति संतोषजनक कैसे हो सकती है, क्या भगवान चारे को कहीं से टपका देता है ? चारा कहां से आ जाता है ? इसलिये चारे की स्थिति भी संतोष-जनक नहीं है। मैं चाहूंगा कि माननीय मंत्री जी वहां के लिये सस्ते गल्ले और चारे की दुकानें खोलने की कृपा करें। इसके अलावा वहां की खरीफ की फसलों का लगान माफ होना चाहिये, उनको तकावी मिलनी चाहिये, जो पिछला बकाया है उसको माफ करना चाहिये, बाढ़ पीड़ित छात्रों की शिक्षा निःशुल्क होनी चाहिये, वहां पर अधिक अनुदान देकर मकानों की व्यवस्था करनी चाहिये, मकान बनवाने के लिये उनको टीन दी जाये, जिनकी मौतें हो गयी हैं, उनका पता लगवाया जाय और उनको विशेष सहायता दी जाय। इस तरह से मैं माननीय मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि इटावा जिले के लिये विशेष राहत देने की कृपा करें।

समाज कल्याण मंत्री (श्री लक्ष्मीरमण आचार्य)—श्रीमन्, मेरा इरादा बोलने का नहीं था। मैं इस बहस में सम्मिलित होना नहीं चाहता था लेकिन बार-बार मथुरा जिले का जिक्र किया गया और उन बातों का भी जिक्र किया गया जिनका अगर जिक्र न किया गया होता तो अच्छा होता। श्रीमन्, इसमें कोई सन्देह की बात नहीं है कि हम सभी लोगों में, चाहे वे इधर बैठे हों, या उधर बैठें हों, उन लोगों के प्रति अत्यन्त सहानुभूति है जो आज कठिनाइयों में हैं। आज बहुत से गांव ऐसे हैं जो बहुत बड़ी विपत्ति में हैं। माननीय मंत्री जी ने जो जिक्र हम सब की ओर से सहानुभूति का किया वह उपयुक्त ही था बावजूद इसके कि हम बहुत से ऐसे वाद-विवाद में लगे हुए हैं जिसमें कि एक दूसरे के प्रति प्रतिस्पर्धा की भावना भरी हुई है, कुछ बातें ऐसी भी हैं जो सत्य हैं। श्रीमन्, बाढ़ की समस्या या पानी से घिर जाने की समस्या, जिसे हम लोग गरकी कहते हैं, वैसे तो पुरानी समस्या है, लेकिन कुछ समय से हमारा ध्यान इस ओर विशेष रूप से आकृष्ट हुआ है। यह सच है कि हम लोग जो कि पश्चिम जिलों में रहते हैं उनको इस समस्या के इतने भीषण रूप का ज्ञान नहीं था, हालांकि यह भी सत्य है कि कुछ क्षेत्र ऐसे हैं जिन में गरकी का प्रकोप बहुत समय होता है। लेकिन पश्चिमी जिलों में आम तौर पर नदियों में बाढ़ नहीं आती थी और न इस प्रकार की वर्षा होती थी जिस प्रकार की कुछ वर्षों से हो रही है।

आज अभी मंत्री जी ने आंकड़े सदन के समक्ष पेश किये थे, उसमें उन्होंने मथुरा जिले का जिक्र किया और उन्होंने एक प्रकार से आंकड़ों को पढ़ कर यह दिखाया था कि मथुरा जिले में, बरसात के आंकड़े से, सबसे अधिक वर्षा इस वर्ष हुई है। पिछले दो वर्षों से या यदि मैं यह कहूं कि एक वर्ष से कुछ ऐसी स्थिति रही जबकि हमारे यहां वाटर-लार्गिग, गरकी, की समस्या नहीं पैदा हुई, लेकिन उसके पहले बहुत बड़ी भीषण परिस्थितियां हम लोग देख चुके हैं और हम परिचित हैं कि किस प्रकार की कठिनाइयों में जन-जीवन घिर जाता है। मैंने जान-बूझकर जिक्र किया था कि कुछ चीजों का जिक्र यहां बहुत हुआ। मथुरा जिले के सम्बन्ध में एक अलीगढ़ के माननीय सदस्य ने और एक अन्य सदस्य ने कहा और हमारे सतत प्रहरी, श्री पुजारी जी, ने भी जिक्र किया, ब्रज का जिक्र किया, ब्रज के जल मग्न होने का जिक्र किया, मेरे यहां मौजूद न होने का जिक्र किया—यह सब मैंने सुना था। हां, आज माननीय प्रताप सिंह जी उन लोगों में से हैं जिनके मुख पर हंसी ज्यादा है, बजाय इसके कि इस वाद-विवाद की गम्भीरता को समझ सकें और उन लोगों के प्रति ध्यान जा सके जिनकी कि हम चर्चा करते हैं, चूंकि शायद वह हमारे उत्तंग शिखर पर बैठे हैं इसलिए उनके मुंह पर उसका आभास नहीं है।

एक सदस्य—और इन्हीं के यहां का पानी यहां आता है।

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य—जो कुछ भी इस सदन के सामने कहा गया था, मैं उस संबंध में थोड़ा सा जिक्र कर देना चाहता हूं और मैं इस बात को स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि यह तकावी का रुपया, या जो रुपया अनुदान के रूप में दिया जाने को है उनके बारे में जब जिलों से मांग आती है तो सरकार देती है और कई मर्तबा ऐसा होता है कि जिले से

उसकी मांग आ नहीं पाती है और वह रुपया नहीं दिया जाता। उसके कारण को भी यदि यहां के माननीय सदस्य जान लें तो इस प्रकार का वाद-विवाद इस सदन में न हो। यदि इन आंकड़ों को देखेंगे, श्रीमन्, तो १५ के नीचे जो धन अनुदान के रूप में दिये जाने को दिया गया है, उसमें अलीगढ़ को ३८,००० रुपया, मथुरा को ४०,००० रुपया और आगरे को ४५,००० रुपया दिया गया है। मुझे आगरे का जिक्र इसलिये करना पड़ा कि आगरे के एक माननीय सदस्य ने इसका बहुत जिक्र किया।

जहां तक कि तकावी का प्रश्न है, उसमें ८५ हजार रुपया अलीगढ़ को, १,६५,००० रुपया मथुरा को और आगरे को ४५,००० रुपया दिया गया है। मुझे थोड़ा सा संकोच है इसके संबंध में कहने में, लेकिन मैं विवश हूं कि मुझे कहना पड़ेगा। तकावी का रुपया आमतौर पर जिलाधीश इसलिये भी सरकार से नहीं मांगते कि बहुत बड़ी कठिनाई पड़ती है उसको वसूली करने में और वह बहुत संकोच के साथ उस रुपये को सरकार से मांगते हैं, क्योंकि वह रुपया वसूल करना होता है और जिस जिले में वसूलयाबी में जब-जब कठिनाई पड़ती है, तब-तब डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट कठिनाई का अनुभव करते हैं। मैं यह तो नहीं कहूंगा, क्योंकि मैं ऐसी स्थिति में नहीं हूं कि उस संबंध में बहुत स्पष्ट रूप से या आग्रह के साथ कहना पसंद करूं लेकिन इतना जरूर कहना चाहूंगा कि कुछ कारण होने चाहिये कि अलीगढ़ के जिलाधीश महोदय ने ८५ हजार रुपया क्यों मांगा, कोई कारण होना चाहिये कि आगरा के जिलाधीश महोदय ने ४५ हजार रुपया क्यों मांगा और मथुरा के जिलाधीश ने एक लाख ६५ हजार रुपया क्यों मांगा। यद्यपि ऐसी बातों को कहने का अवसर नहीं था लेकिन कहना पड़ता है कि जहां तक वसूलयाबी का प्रश्न है, कोई पुराने आंकड़े नहीं हैं, मैं जानता हूं कि मथुरा जिले में करीब ८० या ८५ लाख की तकावी दी गई थी जिसमें से केवल कुछ हजार लगभग ८–१० हजार भी वसूल नहीं हुये। जिलाधीश यदि ज्यादा धन मांगेंगे तो उनको सरकार से ज्यादा धन मिलेगा।

श्रीमन्, यहां पर हमारे नैनीताल के मित्र श्री तिवारी जी ने कुछ जिक्र किया, कुछ चीजों की चर्चा करते हुये उन्होंने मूल्यवान सुझाव भी दिये। उन सुझावों के संबंध में मैं इतना कह सकता हूं कि सरकार उनके सुझावों पर निस्संदेह विचार करेगी और मेरा निश्चित विश्वास है कि उनके मूल्यवान सुझावों को माननीय माल मंत्री स्वीकार करेंगे। उन्होंने जानबूझ कर मथुरा, अलीगढ़ और आगरे के संबंध में भी चर्चा की। मैं जानता हूं मेरे मित्र विवेकशील हैं और वह मेरी बातों को समझ सकेंगे। उन्होंने इस बात की चर्चा की कि फेमीन रेलीफ के लिये ६० लाख रुपये की धनराशि रखी जाती है। मैं जानता हूं कि यह धनराशि रखी जाती है और समय-समय पर उसका उपयोग होता है। फेमीन अपने स्थान पर एक चीज है और फ्लड और वाटरलागिंग दूसरी चीज है। कोई वर्ष ऐसा नहीं जाता जबकि इस प्रदेश में फेमीन की घटनायें न होती हों, उसके लिये भी धन की आवश्यकता पड़ती है और उसके लिये भी इस सदन में विवाद होता है। जहां तक यह प्रश्न है कि इस बाढ़ के सिलसिलेमें कुछ नालियां बनें या किसी प्रकार से इस समस्या का हल किया जाय, मैं नम्रतापूर्वक निवेदन करना चाहता हूं कि जिन जिलों में हम लोग रहते हैं, खास तौर से पश्चिमी जिले जो हैं उनकी भौगोलिक स्थिति चौरस है और कहीं-कहीं गोलाकार शक्ल हो गई है जैसे सासर शेप। इसलिये जब वर्षा होती है तो उसका पानी घिर जाता है, भर जाता है। मेरे मित्र श्री रामहेतसिंह जी उधर बैठे हैं वह जिक्र करते हैं कि मथुरा का पानी अलीगढ़ में चला जाता है। मैं मानता हूं, पानी गया है लेकिन किससे चर्चा करूं कि मथुरा जिले में पंजाब और राजस्थान का पानी बहुत तेजी से भरता है, जमुना के इस ओर और गुड़गांव जिले से, राजस्थान से इतनी मात्रा में पानी आ जाता है कि हमारे कुछ क्षेत्र बिल्कुल पानी से भर जाते हैं जिनको सूखने में दो-तीन साल का समय लग जाया करता है ? तो मैं उसकी शिकायत नहीं करना चाहता। जब उस संबंध में यह चर्चा की गई कि एक नाली बनाई जाय, वह चीज हम लोगों को मालूम है, उस नाली को बनाने में एक करोड़ रुपये से अधिक खर्च होगा तब कहीं वह नाली बन सकेगी। गोवर्धन का सारा क्षेत्र, रामहेतसिंह जी का क्षेत्र, कोसी का सारा क्षेत्र और छाता का सारा क्षेत्र, इसमें इस प्रकार से पानी भरता है कि उसके लिये एक नाली बनाने के लिये एक करोड़ से अधिक

[श्री लक्ष्मीरमण आचार्य]

रुपया लगेगा। हम समझते हैं कि जितनी जल्दी उस पानी का इंतजाम किया जा सके वह प्रसन्नता की बात होगी लेकिन अगर हम यह शिकायत करने लगें कि क्यों नहीं सरकार उस नाली के लिये एक करोड़ रुपया देती तो न्यायसंगत नहीं होगा। इसी प्रकार, श्रीमन्, यदि मैं अपने क्षेत्र की चर्चा करूं तो कदाचित समय का दुरुपयोग होगा और उचित भी न होगा। वैसे मैं अपने क्षेत्र की समस्याओं से परिचित हूं। हमारे बुजुर्ग साथी टीकाराम जी मेरे पड़ोसी हैं और भाई वाशिष्ठ जी क्षेत्र के लिहाज से पड़ौसी हैं। भाई टीकाराम जी के क्षेत्र में जो नुकसान पानी से हुआ है वह हमारे क्षेत्र के मुकाबले में शतांश भी न होगा। जो कठिनाई आज वहां है उससे मैं भली-भांति परिचित हूं। लेकिन इस बीच में एक बड़ी कठिनाई यह हो गयी कि कुछ वर्षों से प्रायः पानी उतना नहीं बरसा और लोग इस बात को भूल से गये कि गर्का नाम की भी कोई समस्या इस क्षेत्र में चली आती है। आज हमारे पास अनगिनत प्रार्थना-पत्र इस प्रकार के आते हैं कि अमुक नाला बनने के लिये है लेकिन अब उस नाले की आवश्यकता नहीं है। यही नहीं कि प्रार्थना-पत्र आये हों लेकिन उसके बारे में आन्दोलन भी हुये और उसको राजनैतिक रंग दिया गया। हमारे क्षेत्र में ही नहीं, प्रदेश में ऐसे मामले भी हुये हैं जब इस संबंध में हाई कोर्ट में रिट हुई और इस बात की हुई कि नाला न निकाला जाय या जमीन न ली जाय। कई स्थानों पर यह कानूनी प्रश्न और कई स्थानों पर यह राजनैतिक प्रश्न बनाया गया।

माननीय नारायण दत्त जी ने जिक्र किया कि धन का प्राविधान एक प्रकार के कार्य के लिये किया गया और उसको पूरा किया जा सकता था। कहीं-कहीं किया भी गया लेकिन माननीय नारायण दत्त तिवारी जी यदि इस बात से परिचित होते कि वह धन क्यों नहीं लग पाया तो अच्छा होता। उन कारणों में भूमि को लेने में कठिनाई हुई और कुछ विधि विधान के और नियमों के पालन करने में कठिनाइयां आयीं। कहीं-कहीं तो भूमि लेने में कठिनाई पड़ी और कहीं भूमि ली ही न जा सकी।

माननीय पालीवाल जी ने रूरल हाउसिंग का जिक्र किया कि उसके संबंध में कोई योजना नहीं है। उन्होंने कहा कि ग्रामीण हाउसिंग के संबंध में कोई योजनाबद्ध कार्य किया जाना चाहिये। मैं हृदय से इस चीज का स्वागत करता हूं और समझता हूं कि यह हमारी बहुत बड़ी आवश्यकता है। इस संबंध में माननीय सदस्यों को जो तीसरी पंचवर्षीय योजना के संबंध में पुस्तिका मिली है उसके पृष्ठ ११७ पर जिक्र किया गया है। उसमें अंकित एक चीज की मैं चर्चा कर देना चाहता हूं। उसमें लिखा है—

"Provision has been made for six specific programmes in the following order of priority :

(1) Low income Group Housing Scheme.
(2) Land acquisition and development.
(3) Subsidized Industrial Housing Scheme.
(4) Slum Clearance Scheme.
(5) Village Housing Project Scheme.
(6) Plantation Labour.

इस प्रकार से विलेज हाउसिंग का इसमें जिक्र है। आगे इसका जिक्र पृष्ठ १२२ पर किया गया है। वह इस प्रकार है—

"Villages situated in flood affected areas which is proposed to rebuild on sites free from this danger."

मैं यह कहना चाहता था कि इस संबंध में प्राविधान है।

एक चीज का जिक्र और किया गया कि पहले इसके लिये कुछ नानआफिशियल कार्य करते थे लेकिन अब नहीं है। तो हम लोगों के ऊपर भी इसके बारे में कुछ कर्तव्य है। इन योजनाओं को कार्यान्वित कराने का हमारे ऊपर भी भार है, यदि हम सैलाब का मकानों

के गिरने की समस्या का कुछ जल्दी हल निकालना है। यदि हम इन प्रश्नों को हल करना चाहते हैं, यदि इन योजनाओं को कार्यान्वित करना चाहते हैं तो हमें उनके लिये अपना सहयोग देना होगा।

यही नहीं, ड्रेनेज के संबंध में भी बहुत स्पष्ट योजना है। और इसका जिक्र इसी पुस्तिका के पृष्ठ १७९ पर है। उसमें जो कि प्रोग्राम फार दि थर्ड फाइव इयर्स प्लान के लिये है उसके दूसरे नम्बर का विषय है ड्रेनेज ऐंड वाटर लागिंग स्कीम। और उसके खर्च का जिक्र पृष्ठ १८० पर है प्राविजन आफ एटी करोर्स इन थर्ड फाइव ईयर्स प्लान फार फ्लड कंट्रोल, ड्रेनेज ऐंड वाटर लागिंग स्कीम। तो मैं यही कहना चाहता हूं कि कोई भी कार्य एक दिन में नहीं हो सकता। आप कोई योजनाबद्ध कार्य कर सकें इसके लिये हमारे यहां प्राविधान है, महज कोई कह देने की बात नहीं है। अगर इस सदन के सभी माननीय सदस्य इसकी पूर्ति में लग जायं तो इस प्रदेश का ज्यादा भला होगा।

श्री नारायणदत्त तिवारी—श्रीमन्, मैं व्यक्तिगत स्पष्टीकरण करना चाहता हूं। मेरे कहने का अर्थ यह नहीं था कि मथुरा जिले को ज्यादा क्यों मिला। मथुरा को और ज्यादा मिलना चाहिये लेकिन मेरी शिकायत यह थी कि जिस अनुपात में मथुरा को मिला उसी अनुपात में आगरा और अलीगढ़ जिले को भी मिलना चाहिये था। दूसरी बात फेमिन कोड के संबंध में यह कहनी है कि फेमिन की परिभाषा के संबंध में उस समय के माल मंत्री चौधरी चरण सिंह ने कहा था "फेमिन इनक्लूड्स नेचरल कालामिटीज" (famine includes natural calamities) इसलिये उसका उपयोग होना चाहिये।

***श्री बलदेवसिंह** (जिला गोंडा)—उपाध्यक्ष महोदय, हमारे पूर्वी जिलों में प्रायः हर साल बाढ़ आया करती है। शायद ही कोई साल गुजरा हो जब कि वहां बाढ़ न आयी हो। दो तीन साल से पश्चिमी जिलों में भी बाढ़ का सवाल जोरों से चल रहा है। मैं माननीय मंत्री जी का ध्यान गोंडा जिले की तरफ ही दिलाना चाहता हूं। उनको गोंडा जिले का नक्शा पूरी तरह से याद है लेकिन मैं उनसे एक बात निवेदन कर दूं कि गोंडा जिले में महज सरकार की नीति तथा अफसरों की अदूरदर्शिता की नीति के कारण ही बाढ़ की स्थिति पैदा हो गयी है। घाघरा के किनारे ३५ मील लम्बा बंधा बना कर पानी को घेर दिया गया है, दूसरी ओर ट्यूबवेल्स के बहुत से गुल्स बनाये गये हैं। एक मील लम्बा और डेढ़ मील चौड़ा क्षेत्र पानी से घिर गया है और वह पानी निकल नहीं पाता जिससे बाढ़ आ जाती है वैसे तो इस साल सरयू नदी तथा राप्ती नदी में बड़े जोरों की बाढ़ आयी। यह आप जानते हैं कि गोंडा के उत्तर में हिमालय है, दक्षिण में घाघरा तथा बीच में सरयू और राप्ती नदी है। हर साल इन नदियों में बाढ़ आती है। बड़े-बड़े बाढ़ हमने देखे हैं लेकिन वे बाढ़ ऐसे थे जिनका पानी दो चार दिन में निकल जाता था लेकिन यह बाढ़ तो ऐसी थी जिसका पानी आठ-आठ दिन तक रुका पड़ा रहा और नहीं निकल सका। वहां पानी के निकास का कोई प्रबन्ध नहीं है। तो मेरा सुझाव यह है कि जहां नहरें व गुलें निकलें, वहां बाढ़ आने पर पानी के निकालने का भी प्रबन्ध हो। श्रीमन्, आपने भी देखा होगा कि लकड़मंडी स्टेशन पानी में बह कर चला गया, उसे सरयू नदी ने काट दिया जिससे आयोध्या आने वाले यात्रियों के बैठने का भी कोई स्थान वहां नहीं रह गया है। वहां पर पानी निकालने का कोई भी साधन नहीं है। जिस तरह से कोई शिकारी शिकार को फंसा ले उसी से बाढ़ के पानी में वह क्षेत्र फंस गया है। वहां बाढ़ का बड़ा ही जबरदस्त प्रकोप है। राप्ती नदी बहराइच जिले से निकलकर गोंडा और बस्ती से बढ़ती हुई अपना पाट बढ़ाती हुई जाती है। गोंडा जिले में उतरोला से बलरामपुर और बलरामपुर से बहराइच तक इस नदी के बाढ़ के कारण सारा मार्ग अवरुद्ध हो गया है, तमाम पानी रुका हुआ है। तुलसीपुर में पहाड़ों पर पानी बरसने के कारण रेलवे लाइन का यातायात बन्द हो गया है। इसलिये मैं कहता हूं कि जहां अच्छे बंध बनाये जायं वहां पानी के निकास का सबसे पहले प्रबन्ध होना चाहिये।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री बलदेवसिंह]

बहुत से लोगों ने आक्षेप किया है कि माननीय मंत्री जी ने बहराइच को ज्यादा मदद दी है, लेकिन मेरी तो माननीय मंत्री से यह शिकायत है कि बहराइच और गोंडा जो राप्ती घाघरा और सरजू के बीच में है और हर साल वहां पर मुसीबत आती है, लेकिन वे इतना संकोच कर जाते हैं कि अपने जिले में और अपने पड़ोसी जिले में गोंडा में उसकी उपेक्षा करते हैं। मैं कहता हूं कि जिस रूप में औरों की सहायता करते हैं वैसे ही इन जिलों की भी सहायता कीजिये। यह सही है कि प्राब्लम लम्बा है लेकिन इस संकोच में कि कहीं लोग आक्षेप न करने लगें कि अपने जिले को ज्यादा दे रहे हैं उसकी बिलकुल उपेक्षा ही करते रहें।

इसके अतिरिक्त मैं मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि आपने बताया है कि चारे के लिये जंगलों में फ्री हो गया है लेकिन जो लोग मवेशी लाते हैं उनसे जंगलवाले जरूर कुछ न कुछ ले लेते हैं और इसकी शिकायत तो हम आपके पास पहुंचायेंगे लेकिन हमारी प्रार्थना है कि वह लोग जो अपने मवेशी लाते हैं उनको सुविधा रहे।

आज तुलसीपुर में २४ मील तक यातायात नहीं है पहाड़ों पर वर्षा के कारण, यह भी पता नहीं कि उधर का क्या हाल है। यह सही है कि पश्चिमी जिलों की इतनी भयावह स्थिति तो हमारे यहां नहीं है, जालौन जैसी स्थिति न हो लेकिन हम लोग बहुत दुखी हैं। हम लोग मुसीबतें उठाने के आदी हो गये हैं, पेड़ पर और छप्परों पर बैठकर दिन काट लेते हैं लेकिन घर से बाहर नहीं जाते। इसलिये मैं मंत्री जी से प्रार्थना करूंगा कि जो गांव चारों ओर से डूबे हुये हैं उनमें वसूली बन्द करा दें।

श्री हुकुमसिंह विसेन—वह तो हमने आर्डर्स कर दिये और बन्द हो गयी है।

श्री बलदेवसिंह—ठीक है आपने आर्डर्स कर दिये यह आपने बहुत भला काम किया लेकिन वन विभाग की शिकायतों की ओर भी ध्यान दें ताकि वहां के लोग अपने मवेशियों को ठीक प्रकार से चरा सकें।

श्री दीपनारायणमणि त्रिपाठी—मान्यवर, मैं उत्तर के एक ऐसे जिले से आता हूं जहां पर, अलीगढ़ हो या हिमालय के नीचे का कोई स्थान हो, उन सबका पानी वहीं पहुंचता है। तो जहां हमारे वाशिष्ठ जी ने कहा था कि अभी तक यहां प्रदेश की टोपोग्राफी ऐसी रही है जिसके कारण यह सब है। पहले उत्तर में, फिर दक्षिण में, फिर पश्चिम में और फिर पूरब में पानी का बहाव है। हमारा जिला देवरिया आखिरी जिला पूरब में है और बिहार के बार्डर पर है। इसके उत्तरी हिस्से में बड़ी गंडक जो नारायणी कहलाती है, राक्षसी का काम करती है और दक्षिण में सरजू है और यह गोंडा, बहराइच और फैजाबाद सब जगह का पानी लेकर जाती है। गोरखपुर में, बहुत भीषणता बाढ़ की माननीय मंत्री जी ने बतायी, लेकिन उसमें भी घोरतम भीषणता देवरिया की है। उन्होंने बताया कि परसों तक १७० गांव डूबे थे लेकिन आज २५० गांव हैं। वहां पानी छोटी-छोटी नदियों में बड़ी तेजी से बढ़ रहा है और उस जिले में छोटी-छोटी नदियों का जाल बिछा हुआ है। छोटी गंडक, बड़ी गंडक, राप्ती, कुआनो आदि बड़ी नदियां भी हैं। इनके अलावा नाले हैं। वह नाले सारे क्षेत्र को भर देते हैं। ऐसे समय में जबकि कुछ हिस्से में धान की फसल तैयार है, मक्का की फसल तैयार है, बाढ़ आने से बड़ी भीषण परिस्थिति हो जाती है। आगे परसी थाली छिन जाय तो बड़ा दुख होता है। श्रीमन्, कहावत है कि जाके पैर न फटी बिवाई, वह का जाने पीर पराई। मंत्री जी ऐसे जिले के हैं, इसलिये उन्होंने तत्काल सहायता की है।

मान्यवर, जो स्टेटमेंट हमारे सामने आया है उसमें कुछ आंकड़े हैं। उसमें कुछ ग्रैचुइटस रिलीफ ६ लाख ८४ हजार ५०० रु० है और तकावी २९ लाख ११ हजार है। बटवारा होता है तो १०–१५ रुपये की रिलीफ मिलती है और तकावी भी करीब २०–२५ रुपया पड़ती है। कठिनाई यह होती है कि वसूली होती है तो बड़ा कष्ट होता है। तो मैं निवेदन करूंगा कि चाहे तकावी हो या रिलीफ हो, बड़ी रकम हो तो बात दूसरी है, लेकिन इन छोटी-

छोटी रकमों के लिये छूट होनी चाहिये, अगर नियमों में कोई व्यवस्था हो तो वह अवश्य कर दें।

श्रीमन्, आंकड़ों में बरसात की परसेंटेज दी हुई है, अगस्त तक की है मथुरा तथा अलीगढ़ में १८४ प्रतिशत है, और इसी तरह से १००,१५०, १४० बरसात की परसेंटेज इसमें है। देवरिया में ९७ है।

(इस समय ३ बजकर ५९ मिनट पर श्री अध्यक्ष पुनः पीठासीन हुये।)

देवरिया में करीब-करीब ५० इंच, ५५ इंच यानी ५० इंच से ऊपर बारिस होती है। अगर ४० इंच धीरे-धीरे हुई और १० इंच एक ही दिन में हो गई तो बड़ी भीषण परिस्थिति हो जाती है। तो यह सोचना कि देवरिया में ९७ परसेंट है इसलिये दुख कम है, ठीक नहीं है। १८४ परसेंट वहां हो गई जहां कि ३० और ३५ इंच रहती थी, इससे ठीक मालूम नहीं पड़ता है। मैं यह नहीं कहता कि और जिलों को सहायता न पहुंचे, लेकिन देवरिया और गोरखपुर कमिश्नरी के बारे में मैं कहना चाहता हूं कि इस परसेंटेज से अन्दाज नहीं लगता, स्थिति बड़ी भीषण है। एक महीने में ऐसी बरसा हुई कि गोरखपुर में एक दिन में १० इंच और देवरिया में १२ इंच पानी बरसा। इसलिये परिस्थिति बड़ी भीषण है। तो हमारा कष्ट कम नहीं है।

मान्यवर, मैं दो एक बात और कहना चाहता हूं। हमारे जिले में बहुत सी शिक्षण संस्थाएं हैं। बाढ़ की सहायता माननीय मंत्री जी ने दी हो या जो कुछ भी दिया हो, वह ठीक है, लेकिन जो शिक्षण संस्थाएं इन एरियाज में हैं, हम चाहते हैं कि इंटरमीडिएट के और हाई स्कूल के लड़कों का लाइफ सेविंग स्क्वाड बनना चाहिये।

मैं जानता हूं कि बिहार के कोने से लेकर इधर रुद्रपुर के एरिया तक २५–३० मील तक पानी भरता है। कलेक्टर साहब नाव में चलें तो दो दिन में पहुंचेंगे। दो–तीन स्टीम–बोट, जैसा कि वहां से जिलाधीश लिख रहे हैं––जैसी कि सूचना है––मिलें। यह बाढ़समिति की भी मांग है। रुद्रपुर के एरिया को जो कि सात, सात मील तक पानी से भरता है, उसको रेल से मिलाया जाय तो सुविधा हो सकेगी। हम उससे अन्न वगैरह पहुंचा सकेंगे।

सन् १९५४ में एक आन्दोलन रुद्रपुर, देवरिया खुशीनगर तथा कप्तानगंज को मिलाने एवं रेल बनाने का आन्दोलन चला था। प्रदेशीय सरकार ने केन्द्र को लिखा भी था कि इस का सर्वेक्षण हो परन्तु वह योजना अभी तक कार्यान्वित न हो सकी। इसे तृतीय योजना में लेना चाहिये।

नदियों के गहरा करने एवं कलकत्ता से दिल्ली तक नावों, स्टीमरों से व्यापार बढ़ाया जाय। नदियों के गहरा करने से बाढ़ का फैलाव रुक जायगा। वह कठिनाई बड़ी दूर तक हल हो जायगी। एक बात और कहनी है बरहज जो सरजू के किनारे बसा है, हतवा जो गंडक के किनारे बसा है, हनुमानगंज जो नारायणी के किनारे बसा हुआ है यह बराबर कट रहे हैं। हतवा बाजार सलेमपुर के क्षेत्र में बड़ा बाजार है, उसका कुछ हिस्सा कट रहा है और कई गांव ऐसे हैं जो जलमग्न हो गये हैं। रुद्रपुर से नगवा नरायण तक की एक सड़क जो ४,५ मील की है अगर यह पक्की हो जाती तो लोगों को काफी सहूलियत हो जाती और सरकार भी काफी सहायता आसानी से पहुंचा सकती थी। इन शब्दों के साथ में आशा करता हूं हमारे देवरिया के साथ मंत्री जी उतनी ही उदारता तथा सहायता करेंगे जितनी कि औरों की कर रहे हैं।

श्री झारखंडेराय––अध्यक्ष महोदय, हम एक महत्वपूर्ण राष्ट्रीय समस्या पर आज विचार कर रहे हैं और पिछले ९ सालों में प्रायः हर साल हम सब को इस बात का अवसर मिलता है कि हम बाढ़ की समस्या पर विचार करें। मैं बहुत सोच करके भी कुछ समझ नहीं पाता कि बहसों से सरकार क्या लाभ उठाती है और इस प्रदेश को अब तक सरकार की नई समझों से क्या लाभ हुआ है। जहां तक मंत्री के उन आंकड़ों का सवाल है जो उन्होंने दिये

[श्री झारखंडेराय]

हैं कि किस जिले में कितनी वर्षा हुई, कहां क्या हालत है, कितना नुकसान हुआ और क्या सहायता सरकार कर रही है, इस पचड़े में मैं नहीं पड़ना चाहता। लेकिन मेरी अपनी समझदारी ८, ९ सालों के बाद यह हुई है कि सरकार के पास कोई भी सुनियोजित और सुविचारित योजना बाढ़ नियन्त्रण की है ही नहीं। यही वजह है कि हर साल हम थोड़ी सी सहायता की बात सुनते हैं और ज्यादा सहायता की मांग करते हैं। बस इसी पर सारा विवाद समाप्त हो जाता है। मैं एक मोटी सी बात कहना चाहता हूं जिसकी आवाज सदन में बराबर उठती रही है। मैं सरकार से पूछना चाहता हूं कि क्या इस पर कोई ध्यान दिया गया? जैसे पी० डब्लू० डी०, रेलवे, कैनाल और ट्यूब वेल, इन चारों विभाग का काम हमारे प्रदेश में चालू है। रेलवे के लोग अपनी लाइनें अपनी योजना के मुताबिक निकालते हैं। नहर वाले अपनी स्कीम अपने आप चलाया करते हैं, सड़कें अपने आप निकालती हैं, नलकूप की नालियां बनती हैं, लेकिन इन चारों के बीच में न कोई समन्वय है, न कोई सामन्जस्य है, न इन्टर प्लानिंग है और न आपस में कोई सम्बन्ध है। नतीजा यह होता है बाटर लागिंग की समस्या पहले से १० गुनी हो गई है। मैं मंत्री जी से और सरकार से पूछना चाहता हूं कि क्या ८, ९ वर्षों की बहस के बाद और इस बात पर बारबार जोर देने के बाद सरकार ने कोई कदम उठाया है? मेरा अपना खयाल है कि नहीं उठाया गया है। बाटर लागिंग तब तक नहीं रुक सकता है जब तक कि पुलों की संख्या बढ़ायी न जाय, जब तक कि पुल चौड़े न किये जांय, ताखे न बढ़ाये जांय, तब तक पानी के प्रवाह को अपनी स्वाभाविक गति से बढ़ने की जितनी सम्भावना है उतनी सम्भावना उसको न दी जाय। क्या सरकार ने इधर ध्यान दिया है? पुलों की संख्या न बढ़ाने से, उनको चौड़ा न करने से, ताखे न बढ़ाने से पानी रुक जाता है जिसके कारण नुकसान पहले से अधिक हो रहा है। आपको मालूम है बरसात के दिनों में रेलवे लाइन पर पानी बढ़ जाता है, सड़कों को तोड़ कर पानी बहता है, कहीं कहीं बांध टूट कर बह जाते हैं, नालियां तो खैर छोटी हैं वह तो टूट ही जाती हैं। उन दिनों में जब बाढ़ आती है तो पी० डब्लू० डी० के लोग दौरा नहीं करते हैं। सिंचाई विभाग और रेलवे वाले चुपचाप बैठे रहते हैं, केवल माल विभाग के सहायता करने वाले कुछ नमक, तेल, चना, गुड़ दियासलाई वगैरह ले कर भागते फिरते हैं। उस वक्त यह जरूरत है कि ये लोग दौरा करके देखते कि कहां नहर टूटी है, कहां सड़क टूटी है, कहां नालियां टूटी हैं, कहां पुल टूटा है। कहां रेलवे आदि के ऊपर से पानी बह रहा है। होता यह है कि जब जाड़े का मौसम आता है तब दौरा शुरू होता है। तब न पानी रहता है न बाढ़ रहती है। तो मैं पूछना चाहता हूं कि इन ८–९ वर्षों की बहस का सरकार पर क्या असर पड़ा? आज जरूरत इस बात की है कि बाढ़ के मौके पर ही सर्वे किया जाय कि कहां पर वाटरलागिंग है, क्यों है, कितना पुल चौड़ा किया जाय कि पानी निकल जाय, कितने पुलों की संख्या बढ़ाई जाय। जाड़े में यह सब करने से कुछ नहीं हो सकता। यह समस्या गम्भीर इस माने में और हो गयी है कि अभी तक यह समस्या केवल पूर्व की थी लेकिन अब इस समस्या की चपेट में पश्चिम तो आ ही गया था, अब दक्षिण यानी आपका इलाका भी आ गया है? यह समस्या बढ़ती जा रही है लेकिन उसका समाधान करने का प्रयास नहीं हो रहा है, केवल वही सहायता, उसके आंकड़े और उसमें हम यह मांग करें कि हमको इतना कम मिला और दिया जाय, बस। इससे कुछ स्थाई होगा नहीं।

हमारी एक विवशता और भी है। हमारे लिये यह सम्भव नहीं है कि हम झांसी से लेकर देवरिया तक दौरा करें और देखें कि कितनी बाढ़ आयी। केवल कुछ जिले या अपने जिले का अपना एरिया लोग देख पाते हैं। सरकार के पास असीम साधन हैं, उसकी बाहें विशाल हैं, वह आंकड़े पेश करती हैं। हमारे पास एक साधन और है अखबार का। लेकिन यह नोट होना चाहिये कि अखबार और सरकार की रिपोर्टों में कोई मेल नहीं होता और मेरा अपना विश्वास है कि अखबार जनता के कष्ट और उसकी स्थिति को ज्यादा प्रतिबिम्बित करते हैं बनिस्बत सरकार के उन कर्मचारियों के जो सुनी सुनायी बातों को लिख कर कागज भर कर भेज देते हैं।

श्री अध्यक्ष—आज कोई अखबार का प्रतिनिधि सदन में दिखायी नहीं देता है।

श्री झारखंडेराय—यह दुर्भाग्य है, शायद बायकाट कर रखा है।

बस्ती की बाढ़ का जिक्र अभी प्रभुदयालजी ने किया मुझे बस्ती जिले की कम्युनिस्ट पार्टी के सेक्रेटरी श्री श्याम नारायण शास्त्री ने हरैया तहसील की रिपोर्ट जो तार से भेजी उसमें लिखा है कि दो हजार स्क्वायर वर्ग मील जमीन पानी के अन्दर है, घाघरा और मनवर के बीच का दोआबा पानी में डूबा हुआ है लेकिन अधिकारियों की ओर से कोई परवाह नहीं की जा रही है। यह परसों का तार है। तो सरकार ने जितना करने का तय किया है और मंत्रीजी ने जिस मुस्तैदी से इसमें कदम बढ़ाये हैं वह भी मेरा खयाल है कि जो पात्र लोग हैं उन तक पहुंच नहीं पायी है या पहुंचने में विलम्ब हो रहा है।

ट्रांस–राप्ती की चर्चा बहराइच वाले भी करते हैं, गोंडा वाले भी करते हैं, बस्ती वाले भी करते हैं और उन तमाम जिलों के लोग करते हैं जहां पर वह नदी बहती है। बस्ती जिले की रिपोर्ट मुझे मिली है कि इस साल लोगों को आशा थी और मजाक में कहा करते थे कि इतनी फसल होगी कि कहां जगह मिलेगी रखने को, लेकिन देखते देखते सब सत्यानाश हो गया। बस्ती जिले में राप्ती नदी पर जो बांध बना हुआ है वह बड़ा कमजोर था, वह टूट गया और थोड़े से घंटों के अन्दर हजारों एकड़ फसल डूब गयी। लोग मकई की बाल तक नहीं तोड़ सके। ऐसी हालत में मैं चाहता हूं कि इन बांधों की देखरेख पर विशेष ध्यान दिया जाय। बांधों के ऊपर किसान, अपने स्वार्थवश कहिये घास करते हैं और घास जिस बांध पर की जायगी वह मजबूत नहीं रह सकता। इस विषय में सरकार के जो विज्ञान के माहिर लोग हैं उनकी सलाह लेकर बांधों पर मूंज या ऐसे पौधे लगाये जायं जो बांध को मजबूत बनावें ताकि वे पानी के धक्के को बरदाश्त कर सकें। और खासकर नदियों के किनारे के बांध जो हैंउनकी मिट्टी में बालू का अनुपात अधिक होता है इसलिये उनकी ओर अधिक ध्यान देने की जरूरत है। पुराने बांधों में चूहे बिल बना लेते हैं। और चीटें तथा चींटियां घर बना लेती हैं जिससे वे बांध बहुत काफी कमजोर हो जाते हैं। इसलिये मैं चाहूंगा कि सरकार का जितना ध्यान बांधों की सुरक्षा की ओर है वह बहुत नाकाफी है। इसलिये इनकी ओर सरकार को पहले से अधिक ध्यान देना चाहिये।

श्रीमन्, पूरब की तरफ घाघरा और राप्ती नदियां हैं वे हमारे लिये अभिशाप सिद्ध हो रही हैं, उनको कंट्रोल करने की कोई स्कीम हमारी सरकार नहीं लाई है और जब तक इन नदियों को कंट्रोल में नहीं लाया जायगा तब तक पूर्वांचल की यह परेशानी दूर नहीं हो सकती है। हर साल यह परेशानी बराबर लगी रहेगी। गांवों को ऊंचा करने की जो स्कीम सरकार ने चलाई थी वह वाकई में काफी अच्छी स्कीम थी और सचमुच में जो गांव अच्छी तरह ढंग से ऊंचे किये गये हैं उनके पशु मकान तथा आदमी आदि सुरक्षित हैं। इसके कहने में कोई हिचक नहीं होनी चाहिये। लेकिन जहां नाममात्र को कोशिश हुई है उनकी गति पहले से भी बुरी हो चुकी है। श्रीमन्, मैं आपके द्वारा सरकार से निवेदन करूंगा कि उस स्कीम को फिर से चलाया जाना चाहिये। पश्चिम के एक भाई ने भी मांग की है कि हमारे गांव ऊंचे किये जायं। इसलिये सरकार को इस स्कीम को चलाना चाहिये जो अधूरी पड़ी हुई है।

श्रीमन्, मैं जानता हूं कि गांवों में ज्यादातर मकान कच्चे होते हैं। पश्चिम में जहां किसानों की हालत अच्छी होती है उनके मकान भी कच्चे होते हैं, छतें कच्ची होती हैं, दीवारें कच्ची होती हैं, इसलिये वह धराशायी हो जाते हैं। इसलिये जरूरत है कि गांवों में भी मकान पक्के ईंटों के बनाये जायं। यह तभी सम्भव होगा जब सरकार पक्के मकान बनाने के लिये सस्ता सामान तथा सस्ती ईंटें उनको मुहैया कर सके। वरना उनके मकान नहीं बन सकेंगे और कच्चे मकान इसी तरह से बराबर धराशायी होते रहेंगे। इसलिये पक्के मकानों का बनना बहुत जरूरी है।

[श्री झारखंडेराय]

मैं आपके द्वारा मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि प्रदेश में एक सैपरेट फ्लड मिनिस्ट्री होनी चाहिये। अगर फिलहाल मंत्री न हो सके तो डिप्टी मिनिस्टर के सुपुर्द यह काम होना चाहिये जो इसी पर अपना पूरा समय दे क्योंकि हमारे प्रदेश में यह समस्या दिनोंदिन बढ़ती चली जा रही है और प्रदेश के हर हिस्से को यह अपनी चपेट में लेती जा रही है, इसलिये इसके लिये अलग से एक मिनिस्टर या डिप्टी मिनिस्टर होना चाहिये जो पूरा समय इसी काम के लिये दे।

श्रीमन्, सड़कें ऊंची की जा रही हैं ताकि कम्युनिकेशन बना रहे लेकिन इसका कोई सर्वेक्षण नहीं किया गया है कि बाढ़ के दिनों में इससे कितना नुकसान होगा। और कितना पानी प्रवाह अवरुद्ध होगा। इसके अलावा एक तरफ बांध बनाया जाता है लेकिन यह नदी की दूसरी साहिल पर कितना पानी फेंकेगा, इससे कितनी हानि होगी, इसकी नाप तोल नहीं होती है। इसलिये यह जरूरी है कि दोनों तरफ बांध बनाकर नदी को कसा जाय। अथवा बाँध-निर्माण योजना पर पुनर्विचार किया जाय।

अध्यक्ष महोदय, मेरा अपना खयाल है कि छोटी नदियों से बड़ी नदियों की अपेक्षा हानि अधिक होती है क्योंकि इनका पेट पतला और छिछला होता है और वे जल्दी से पानी फेंक देती हैं। इसलिये जरूरी है, आज लाखों आदमी बेकार हैं, जो अच्छे शरीर के हों उनको भर्ती लैंड आर्मी के रूप में किया जाय और उनकी सहायता से छोटी नदियों को गहरा और चौड़ा किया जाय। यही बात नालों के विषय में भी किया जाय ताकि वे अधिक पानी को पचा सकें। अन्त में मैं दो एक बातें और कहूंगा। नहरें ज्यादा हों, उनकी शाखाएं ज्यादा हों ताकि मौके पर पानी को फैला कर बाढ़ के प्रकोप को रोक सकें और नदियों के किनारे जो पहले जंगल थे वह कट चुके हैं। लोग लैंड हंगर की वजह से नदियों के किनारे तक खेती करते चले जा रहे हैं। उसको हमें रोकना पड़ेगा। इसको हमें बड़ी मजबूती के साथ रोकना पड़ेगा नदी तटों पर जंगल लगाये जायं ताकि बाढ़ को रोका जा सके।

श्रीमती विद्यावती वाजपेयी (जिला हरदोई)—अध्यक्ष महोदय, मैं भी कुछ अपने जिले के सिलसिले में थोड़ा सा कहना चाहती थी। मेरे यहां एक बहुत लम्बा चौड़ा वाटर लागिंग एरिया है जो करीब ३० हजार एकड़ भूमि को बेकार किये हुए है उससे चालीस-पचास गांवों के लोग बड़े दुखी और परेशान हैं। मैंने १९५८ में लिख कर माननीय भूतपूर्व माल मंत्री जी को इस विषय में दिया था। पर आज तक उसका कोई उपाय नहीं हो सका। अब भी मेरे पास बहुत से लोगों की दरख्वास्त आयी हुई है। अब्दुल बारी, सफना, दौगलपुर, सलेमपुर, कमालपुर, सिकन्दरपुर, आदि तीस–चालीसगांव हैं जिनके निवासियों ने यह दरख्वास्त दी है। इसको सई झाबर कहते हैं। यह झाबर सई नदी से पैदा हुआ है। इसमें नहर विभाग की ओर से भी ब्रांच निकाली गयी है। नहर विभाग से कई माइनरें और ड्रेनें निकली हैं, जो इसमें डाली गयी हैं जिससे चारों तरफ से बहता हुआ सब ड्रेनों का पानी सई नदी में जाता है। पानी निकलने का रास्ता बहुत छोटा है। मैं इस गांव में फरवरी में गयी थी। उसका यह हाल था कि सब सड़कें पानी से भरी हुई थीं क्योंकि नहरें जाड़ों में भी धान की सिंचाई के लिये खोल दी जाती हैं। सब घरों में पानी भरा हुआ था। गन्ने की फसल छोटी छोटी थी। घासफूस भी पैदा नहीं होता था। पानी की वजह से। जानवर सब मर गये थे, चारा न होने के कारण। दूध दही का नाम उस गांव में खत्म हो गया है। मैंने लिख कर दिया, जिला कांग्रेस कमेटी से पास करवाया, सिंचाई विभाग को भी लिखा, यहां भी लिखा, पर कोई सुनवाई नहीं हुई। मेरी माननीय मंत्री जी से प्रार्थना है कि इस विषय में हमारे जिले की ओर भी ध्यान दें। इसका एक कारण यह भी है कि कई एक रजबहे, माइनर उगाह जैसे रजबहा चकिया, माइनर मंझिला, माइनर बहेड़ा, माइनर सुन्दरपुर, माइनर उमरौली, माइनर पनेउरा भी नहर विभाग की ओर से इसी सई नामक झाबर में टेल स्केप बनाकर डाल दिये गए हैं। और जो पानी निकलने का रास्ता है वह एक छोटी सी पुलिया है। उसमें से पानी निकल नहीं पाता है और इसी कारण चारों तरफ पानी भरा हुआ है। सिकन्दरपुर में तो मैंने देखा

कि गन्ने से भरी हुई लढ़िया लोग लाते हैं तो उनके भैंसे और बैल उसमें फंस जाते हैं और उनको निकालने में कई एक जानवर भी मर जाते हैं। इस तरह से लोग बड़ी परेशानी में हैं और आज-कल बरसात में तो, श्रीमन्, घरों में भी पानी भरा हुआ है। सारी सड़कें और घर पानी से भरे हुए हैं। वहां के लोग बड़े परेशान हैं माननीय मंत्री जी से मैं प्रार्थना करना चाहती हूं कि इसमें थोड़े से मेरे सुझाव हैं उन पर विचार कर लिया जाय। पहली बात यह कि जो यह नहर विभाग का पानी सई नदी में जाता है उसके लिये या तो कोई और मार्ग पैदा किया जाय और या फिर एक बड़ी पुलिया तीन दर की वहां पर बना दी जाय और यह पानी जतुली के पास भैंसटा नदी में डाला जाय। इससे काफी अच्छा परिणाम हो सकता है। इस समय ४०–५० गांवों के आदमी बड़े परेशान हैं। सारी भूमि उनकी बेकार पड़ी है। लगान तक वह नहीं दे पाते हैं। उनकी कठिनाई दूर करने का उपाय किया जाय। बस माननीय मंत्री जी से मुझे इतना ही निवेदन करना था।

*कुंवर श्रीपालसिंह (जिला जौनपुर)—आदरणीय अध्यक्ष महोदय, और कुछ निवेदन करने के पहले मैं माननीय मन्त्री जी को धन्यावाद दूंगा कि उन्होंने इस बाढ़ के सिलसिले में बहुत कुछ मदद की। मगर उसी के साथ साथ यह भी मुझे निवेदन करना है, श्रीमन्, अगर माननीय मन्त्री जी के ही दिये हुए आंकड़ों को देखा जाय तो सबसे अधिक नुकसान हमारे जौनपुर जिले में हुआ है। तीन लाख २२ हजार एकड़ जमीन कृषि की नष्ट हो गई है और १५९६ गांव इसकी चपट में आये हैं। इतना, श्रीमन्, सूबे के किसी भी जिले में नहीं हुआ है और इसमें भी, श्रीमन्, मैंने एक प्रश्न किया था इसके पहले तो उसके जवाब में माननीय मन्त्री जी ने बतलाया था कि अकेले शाहगंज तहसील में ७३६ गांव प्रभावित हुए हैं। तो देखें, श्रीमन्, कि १५९६ गांवों में से ७३६ गांव केवल एक तहसील के हैं। इसके मानी यह हैं कि जौनपुर में भी शाहगंज तहसील सबसे ज्यादा प्रभावित थी और उस वक्त माननीय मन्त्री जी ने यह आश्वासन दिया था कि वसूली के लिए यह कह दिया गया है कि सख्ती न की जाय। मगर जो उस वक्त उन्होंने कहा था कि सख्ती न की जायगी उसके बावजूद भी सख्ती हुई है और उसके लिए मैंने माननीय मन्त्री जी को कई दरख्वास्तें दी हैं। उसके ऊपर उन्होंने कार्यवाही भी की है, यह मैं मानता हूं और इसके लिए उनको धन्यवाद भी देता हूं कि वह काम में अधिक से अधिक दिलचस्पी लेते हैं। लेकिन उसके साथ साथ यह भी निवेदन करूंगा कि दुर्भाग्य से जो अमात्य–मंडल है वह अमात्य मंडल हमारे मंत्रिमंडल के ऊपर हो रहा है। मंत्रिमंडल की आज्ञाओं का पालन करने में भी वह पता नहीं क्या सोचता है, पुरानी मेंटेलिटी अंग्रेजों के वक्त की चली आ रही है, वह चाहते यह हैं कि उनकी सर्विस बुक में यह लिख दिया जाय कि फलां तहसीलदार या नायब तहसीलदार वसूली के बड़े अच्छे तरीके जानते हैं और बड़ी जल्दी वसूली कर लिया। वह यह नहीं देखते हैं कि इस वक्त जनता की हालत क्या है, किसान खाने बगैर मर रहा है, खाने को उसके पास अन्न नहीं, पहनने को कपड़ा नहीं, रहने को मकान नहीं, लेकिन फिर भी अपनी वसूली पूरा करने के लिये वह हर तरह से उसको परेशान करने की कोशिश करेंगे। इसमें कोई दो रायें नहीं हैं कि माननीय मंत्री जी के आश्वासन के बाद भी वसूली में सख्तियां हुई हैं। अगर मंत्री जी चाहेंगे तो हम सप्रमाण कुछ केसेज उसके देंगे। श्रीमन्, बहुत सी बातें लोगों ने कहीं कि किस किस ढंग से बाढ़ रोकी जा सकती है और वह सही है। यह भी सही है कि नहरें बनने से वाटर लागिंग हो गयी है, नदियों के पेटे भर जाने से पानी जल्दी फैल जाता है, जंगलों के कटने से बारिश का पानी रुक नहीं पाता, लेकिन देखने की जरूरत यह है कि तुरन्त क्या सहायता दी जा सकती है। जो दूर के प्रोग्राम हैं उन पर सरकार कार्य कर रही है और करेगी, और उससे बाढ़ में रुकावट भी होगी, लेकिन इस समय जो मुसीबत में हैं उनको देखा जाय कि किस प्रकार सहायता की जा सकती है। मंत्री जी ने जैसा बतलाया कि वसूली बंद करा दी है उसके लिये वह धन्यवाद के पात्र हैं। लेकिन दूसरी चीज यह है कि आज टेस्ट वर्क खोलने की जरूरत है। हमारा जिला बिलकुल तबाह हो गया है और वहां अगर टेस्ट

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[कुंवर श्रीपालसिंह]

वर्क खोले जायं तो लोगों को सहूलियत हो सकती है। एक और चीज जो मेरे क्षेत्र की खासियत है और आमतौर से हर जगह नहीं होगी। मेरा क्षेत्र दो भागों में बटा हुआ है और बीच में गोमती पड़ती है। तो अगर वहां कोई टेस्ट वर्क खोला जाय तो इस बात का ध्यान रखना होगा कि दोनों ओर खोला जाय। अगर एक ओर टेस्ट वर्क खोल दिया गया तो दूसरी ओर के लोगों को कोई फायदा नहीं होगा।

श्री हुकुमसिंह बिसेन—आप क्षेत्र बदल लीजिये।

कुंवर श्रीपालसिंह—अगर आपकी आज्ञा होगी तो उसमें भी मुझे एतराज नहीं होगा। मेरे क्षेत्र में दो तीन सड़कें ऐसी हैं कि अगर उनको ले लिया जाय तो दो फायदे होंगे। एक तो यह कि वे कई गांवों को जोड़ने वाली सड़कें हैं और दूसरे यह कि उस से लोगों को मजदूरी मिल सकेगी। उन सड़कों के बन जाने से बाद में काफी फायदा हो सकता है। एक सड़क उन में है बदलापुर से घनश्यामपुर तक और इस से नदी के एक पार के लोग लाभान्वित होंगे। दूसरी है मल्हनी से तिघरा तक की, यहां पर भी टेस्ट वर्क होने से बाढ़ पीड़ित लोग लाभ उठा सकेंगे। तीसरी सड़क है तुरतौलिया से सराय मेहदी तक और चौथी है टुटहन से पट्टी नरेन्द्रपुर तक की सड़क। यह टुकड़े छः-छः सात-सात मील के हैं और इन पर अगर टेस्ट वर्क चालू हो जाय तो वहां की जनता को काफी फायदा हो सकेगा।

श्री बुद्धीलाल (जिला बहराइच)—आदरणीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपको धन्यवाद देता हूं कि आपने मुझे बोलने का मौका दिया। मैं अपने मंत्री महोदय को भी धन्यवाद देता हूं कि जिन्होंने बहराइच जिले के बाढ़ पीड़ितों को जल्दी से जल्दी सहायता पहुंचाने की चेष्टा की है और आज सबेरे ही उन्होंने बतलाया है कि वसूली बन्द करने के आदेश उन्होंने दे दिये हैं। मेरे इलाके का जिक्र आज सदन में सबेरे से हो रहा है। मैं उस क्षेत्र में रहता हूं जो नानपारा के पास सरजू और घाघरा के बीच में पड़ता है। सरकारी आंकड़ों को देखा जाय तो पता चलेगा कि सात जिले ऐसे हैं कि जिनमें एक लाख एकड़ से अधिक का कृषि क्षेत्र इंवाल्व है। बहराइच जिले में करीब दो लाख एकड़ क्षेत्र इन्वाल्व्ड है। तो जहां पर दो लाख एकड़ कृषि क्षेत्र बाढ़ से पीड़ित हो, जहां की सारी फसल नष्ट हो जाय, उस जिले की हानि का अन्दाजा लगाना कठिन बात है।

इसके अलावा बहराइच जिले में, वहां की तहसीलों में जो इस साल बाढ़ आई है, इतनी भयंकर बाढ़ कभी देखने में नहीं आयी। यह भयंकर बाढ़ सन् १९३८ की बाढ़ से भी भयंकर है। वहां पर ४ फुट पानी अधिक भरा हुआ है। तो आप अन्दाजा लगा सकते हैं कि जहां पर चार फुट पानी ज्यादा हो, वहां के लोग कितनी परेशानी में होंगे। सरयू नदी पर, चार वर्ष हुए, एक बांध बना था और इसलिये बना था कि पूर्वी हिस्सों में बाढ़ का प्रकोप न हो। किन्तु भगवान की इच्छा इस वर्ष कुछ ऐसा हुआ कि वह बांध भी टुकड़े टुकड़े हो गया। उसके ऊपर से एक फुट पानी निकल गया। वह बांध उस क्षेत्र में काफी ऊंचाई पर था। कई फुट ऊंचाई पर होने पर भी, एक फुट पानी उसके ऊपर से निकल गया और जिस तरीके से बंदूक की गोली चोट पहुंचाती है, उसी तरह से जब यह पानी बहा तो उसकी चोट से देखते ही देखते हजारों गांव जलमग्न हो गये। यह भयंकर कांड करीब आठ बजे से शुरू हुआ और १०,१२ बजे तक इतना पानी आ गया कि यह बांध भी टूट गया और सब जगह पानी ही पानी दिखाई देने लगा? लाखों लोगों की जानें खतरे में पड़ी हुई हैं।

एक बात मैं यह कहना चाहता हूं कि जो बांध बनते हैं उनकी उपयोगिता भी बहुत कम होती है। यह बांध जो बना यह भी पांच साल से ज्यादा नहीं टिक सका। इस ओर भी ध्यान देने की जरूरत है। आज इतनी भयंकर बाढ़ होने पर भी वहां के लोग बड़ी हिम्मत से उसका मुकाबला कर रहे हैं और हर तरह से उसका सामना करने के लिये तैयार हैं। इसलिये मैं माननीय मंत्री जी से प्रार्थना करूंगा कि वे अधिक से अधिक हाउस सब्सीडी देकर, अथवा ग्रेचुटस रिलीफ देकर, तथा अन्य सहायता देकर उनकी मदद करें। जितनी ज्यादा से ज्यादा सुविधायें

उनको पहुंचाई जा सकें, वे हमें पहुंचाना चाहिये। मैं यह भी प्रार्थना करूंगा कि वहां जहां पर गरीब आबादी है और जहां के लोगों के साथ भगवान ने यह खेल खेला है, उनके बच्चों की पढ़ाई के लिये मुफ्त व्यवस्था हो, उनके रहने के लिये मकान की भी व्यवस्था हो। उस क्षेत्र में आज १० हजार मकान गिरने की रिपोर्ट है। आंकड़ों में केवल साढ़े तीन हजार मकान गिरने की रिपोर्ट है, किन्तु वह रिपोर्ट कुछ दिन पूर्व की है। बहुत जल्दी सही रिपोर्ट तैयार हो रही है। इतना कह कर मैं सदन का अधिक समय नहीं लूंगा और माननीय मंत्री जी से प्रार्थना करूंगा कि उन लोगों को ज्यादा से ज्यादा सहायता देने की कृपा करें।

श्री अध्यक्ष—अब, मैं केवल पांच-पांच मिनट ही भाषणों के लिये समय दूंगा।

श्री गरीबदास (जिला जालौन)—माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आप की आज्ञा से संक्षेप में ही कुछ अपनी राय प्रकट करने की कोशिश करूंगा। आज यह विषय उन करोड़ों आदमियों के प्रति सहानुभूति प्रकट करने की तथा उनकी समस्याओं पर विचार करने के लिये है जो आज बाढ़ से पीड़ित हैं। मुझे अपने जिले के सम्बन्ध में कुछ जरूरी बातें सदन के समक्ष रखनी हैं। अभी हमारे पूर्व वक्ता माननीय शिवशरणलाल जी ने बताया कि जालौन जिले में कोई बड़ी नदी नहीं है, और वहां इतनी वृष्टि नहीं हुई है। तो, मान्यवर, मैं यह तो नहीं कह सकता हूं कि उनका भौगोलिक अध्ययन नहीं है, लेकिन यह जरूर कहूंगा कि जैसे भारत के अन्दर अंडमान एक द्वीप है, इसी तरह से प्रदेश में जालौन एक जिला है। उसमें एक तरफ जमुना नदी और एक तरफ बहूज नदी और एक तरफ बेतवा है और वह त्रिकोण नदियों से घिरा हुआ है। एक भी पक्का रास्ता और पुल आने जाने के लिये नहीं है, सिर्फ रेल का पुल है जो कालपी से हो कर गुजरता है। उस पर बैलगाड़ी या मोटर जाने की कोई व्यवस्था नहीं है। तो यह तो निर्विवाद है कि हमारा जिला बहुत पिछड़ा हुआ है और उसमें नदियां हैं, नाले हैं और ऊबाड़-खबाड़ स्थान हैं, लेकिन इस पर न जाते हुए यह कहूंगा कि जो अनुदान दिया गया है, तकावी दी गयी है इस बाढ़ के सम्बन्ध में और जो आंकड़े यहां दिये गये वह गलत हैं। मैं पूरे यू० पी० की बात नहीं कहता हूं, लेकिन हमारे जिले के आंकड़े बिलकुल गलत हैं। इसमें तहसील उरई का जिक्र ही नहीं है।

१४ अगस्त की बात है, जालौन जिले में इतनी वर्षा हुई कि उरई और जालौन का लगभग ७२ घंटे यातायात बन्द रहा। नदी की वजह से उरई का एक तिहाई शहर डूब गया और कलक्टर ने रिपोर्ट जो प्रेस में दी है, उसके आधार पर २,२०० मकान क्षतिग्रस्त हुए और उरई नगर का जो पुल था जो कि बांस वाला पुल कहलाता है, उसके ऊपर इतना पानी था कि वह पुल ही दिखाई नहीं देता था, न कोई आदमी आ जा सकता था। पुल कमजोर हो गया और टूटने लायक हो चुका था। जो मकान डूब गये थे उनके बांस, बल्ली इत्यादि सब बह गये।

(लाल बत्ती होने पर)

समय ही खत्म हो गया, इतना ही कहूंगा कि यह प्रभुता के आधार पर अनुदान दिया गया है या किस आधार पर दिया गया है? हमारे आदमियों को तो दैवी प्रकोप के कारण ही तकावी और ऋण लेने के लिए विवश हो जाना पड़ा है। समाज कल्याण मंत्री ने बतलाया कि मथुरा में बहुत वर्षा हुई। मैं आलोचना नहीं करना चाहता, लेकिन जालौन में १७,००० मकान गिरे और उत्तर प्रदेश में दूसरा नम्बर आता है और उधर मथुरा में तो ३,९५४ मकान गिरे और २४७ गांव क्षतिग्रस्त हुए जब कि हमारे यहां ७०० गांव हुए। मैं पूरे आंकड़े नहीं दे रहा हूं, लेकिन मेरे यहां तिगना और चौगना नुकसान हुआ। इसके बावजूद हमको १५,००० रु० का अनुदान मिला, जब कि मथुरा को ४०,००० मिला। इसी तरह से एक बात और कहूंगा कि हमको ९०,००० तकावी मिली, जब कि इनको १,६५,००० मिली। तो, मान्यवर, यही कहूंगा कि वितरण के तरीके का एक नियम होना चाहिये और उसके आधार पर तकावी मिलनी चाहिए। उत्तर प्रदेश में, हर माने में हमारे जिले में दूसरे या तीसरे नम्बर का नुक्सान हुआ है।

श्री रामसुन्दर पांडेय—मैं एक निवेदन करना चाहता था कि यह बहुत महत्वपूर्ण विषय है और प्रदेश के ४७ जिले ऐसे हैं जहां बाढ़ आयी है और सरकार ने उसके लिये एक दिन का समय विवाद के लिये रखा है। पिछली बार दो दिन का समय रखा गया था। इस वर्ष एक दिन का रखा गया है जबकि सारा प्रदेश प्रभावित है। अतः मैं माननीय मंत्री जी से कहूंगा कि यदि एक दिन न बढ़ा सकें तो कम से कम एक घंटा और बढ़ा दिया जाय समय, जिससे अन्य व्यक्ति जो हिस्सा लेना चाहें वे सुझाव दे सकें।

श्री नारायणदत्त तिवारी—श्रीमन्, मैं माननीय उपनेता सदन से यह निवेदन करूंगा, कि इस विषय के महत्व को देखते हुए और यह देखते हुए कि और माननीय सदस्य आग्रह कर रहे हैं—वह इस प्रार्थना को स्वीकार कर लें।

श्री अध्यक्ष—(श्री हुकुम सिंह विसेन से) आप को कुछ कहना है?

श्री हुकुमसिंह विसेन—जब सब का आग्रह है तो १५ मिनट बढ़ा दिया जाय।

श्री अध्यक्ष—मैं समझता हूं इन सुझावों पर बीच का रास्ता निकाल कर आधा घंटा बढ़ा दिया जाय, लेकिन पांच-पांच मिनट से ज्यादा किसी सदस्य को समय नहीं मिलेगा।

श्री रघुवीरसिंह (जिला एटा)—अब, श्रीमन्, सात मिनट ही दे दिया जाय।

श्री अध्यक्ष—जी नहीं।

श्री रघुवीरसिंह—श्रीमन्, हमारा दुर्भाग्य है कि हमारे प्रान्त के समूचे भाग में विगत सात-आठ वर्षों से बाढ़ के प्रकोप होते रहे हैं। बाढ़ पहले भी आती थी परन्तु ऐसी नहीं आती थी कि प्रतिवर्ष प्रत्येक नदी में बाढ़ आये। पहले बाढ़ अतिवृष्टि के कारण ही आती थी परन्तु अब उसमें हमारी सरकार का दोषपूर्ण नियोजन भी सहायक हो गया है। कारण यह है कि सात-आठ वर्षों से जब से नियोजन का कार्य विधिवत् चलने लगा है हमारे प्रान्त में बहुत से नाले, इस प्रकार से नदियों में डाले गये हैं, जिनके डालने की कोई आवश्यकता नहीं थी। मैं आप के द्वारा सरकार का ध्यान इस ओर आकृष्ट करना चाहता हूं कि नाले जो डाले गये उनको डालते समय इस बात का सर्वे नहीं कराया गया कि उस नदी में जहां से वह निकली है और जहां गिरी है उसके मध्य में कितने नाले डाले जायं। नतीजा यह हुआ कि किसी-किसी छोटी नदी में भी १५-१५ नाले डाल दिये गये हैं और उसके कारण बाढ़ बढ़ती जा रही है।

श्री अध्यक्ष—यह प्राकृतिक नाले हैं या बनाये गये हैं?

श्री रघुवीरसिंह—प्राकृतिक तो नदियां ही होती हैं, नाले की संज्ञा तो उन्हीं को दी जाती है जो बनाये जाते हैं।

श्री अध्यक्ष—कहीं-कहीं कुदरती नाले भी हो सकते हैं।

श्री रघुवीरसिंह—तो, श्रीमन्, यह नाले नियोजन विभाग या सिंचाई विभाग द्वारा बनाये गये। इसी कारण हर साल छोटी-छोटी नदियों में बाढ़ आ जाती है। मन्त्री महोदय स्वीकार नहीं करेंगे तो मैं निवेदन करूंगा कि वह हमारे जिला एटा में चलकर देखें, वहां कोई भी ऐसी नदी नहीं होगी जिनके किनारों में लाखों एकड़ भूमि कट कर नष्ट न हो गई हो कारण यही है कि जहां वर्षा शुरू हुई नालों का पानी नदी में जाता है, और उन नालों का पानी बड़े वेग से नदी में गिरता है जिससे नदी ऊपर उमड़ पड़ती है और किसानों की लाखों एकड़ भूमि जलमग्न हो जाती है। आज कल हम लोग योजना काल से गुजर रहे हैं, द्वितीय योजना समाप्त होने को आई है जिसमें हम करीब-करीब चार अरब, छः करोड़ रुपया खर्च कर चुके हैं। मैं निःसंकोच कह सकता हूं कि यह योजना ठीक ढंग से नहीं बनाई गई। नियोजकों का या तो ग्रामीण क्षेत्रों से कोई सम्पर्क नहीं रहा होगा या वह उनकी कठिनाइयों को जानते ही नहीं होंगे या फिर उन्होंने उनकी उपेक्षा की है। योजना ऐसी बनी जिसका ग्रामीण क्षेत्रों से कोई लगाव नहीं रहा। अगर उनका

लगाव रहा होता तो इस चार अरब, छः करोड़ रुपये का अधिक से अधिक भाग प्रदेश में बाढ़ के निराकरण, सिंचाई और कृषि की योजनाओं पर रखा जाता जिससे निस्संदेह इस प्रान्त का बहुत बड़ा उत्थान होता क्योंकि इसका सम्बन्ध देश की कम से कम ८५ फीसदी जनता से है। नदियों के सम्बन्ध में जैसा कि मैंने पहले जिक्र किया, मैं उदाहरण के लिये तीन चार नदियों के नाम बताना चाहता हूं, एक तो ईसन, दूसरे अरिन्द, सिरसा और करों। इनकी दशा यह है कि इनके किनारे की भूमि कट चुकी है, दशा इतनी खराब है कि यह नदियां बाढ़ के दिनों में दूसरे मार्ग अख्तियार कर लेती हैं लेकिन सरकार ने कोई ध्यान नहीं दिया। यह नदियां लोअर गंगा कैनाल के नीचे से गई हैं। कैनाल का साइफन पहले पानी की क्षमता के अनुसार था लेकिन अब पानी तिगुना और चौगुना आता है जिससे साइफन पूरा काम नहीं कर पाता। इसके अतिरिक्त पुल भी छोटे-छोटे हैं। यह सब पहले के आयोजित पानी के अनुसार बनाये गये थे लेकिन आज पानी नदियों में चौगुना है। इस कारण पुलों से बाढ़ बढ़ती है। अतः सरकार से निवेदन है कि नदियों का सर्वे कराके उनकी सफाई कराई जाय और नाले उनमें गिरने से बन्द किये जावें। अन्यथा नदियों के किनारे रहने वाले लोगों का जीवन नार्कीय हो जायगा।

*श्री सीताराम शुक्ल (जिला बस्ती)—हुजूरवाला, बहुत से मेम्बरों ने कहा कि गवर्नमेंट कुछ नहीं कर रही है, कुछ ने कहा कि थोड़ा कर रही है, और अधिक करना चाहिये। लेकिन मुझे थोड़ी-सी शिकायत यह है कि बाढ़ से कुछ लोगों ने असन्तोष पैदा कर के अपना पोलीटीकल फायदा उठाने की कोशिश की। कहा जाता है कि कहीं आग लग गई और लगे लोग तापने। तो क्या गवर्नमेंट इन बाढ़ों को डलवाती है या उसे इनसे खुशी है? नहीं, गवर्नमेंट हर साल कोशिश करती है कि बाढ़ न आवे। बदकिस्मती है कि फिर भी बाढ़ आती है। यह मौका यह है कि हमकी संजीदगी के साथ विचार करना चाहिये कि कैसे बाढ़ के नुकसानों से लोगों को बचाया जाय। हमारे यहां कहा है :

सत्यम् ब्यात् प्रियंबयात्, न बयात् सत्यम प्रियम्
प्रियं नानृतम् ब्यात्, एष धर्मःसनातनः ।।

हमारे शास्त्रकारों ने कहा है कि सत्य बोलो मगर प्रिय बोलो। इससे हमें सबक सीखना चाहिये। इसमें कोई शुबहा नहीं है कि गवर्नमेंट कोशिश कर रही है और चाहती है कि बाढ़ न आवे। लेकिन जितनी गवर्नमेंट कोशिश करती है और जितनी चीजें वहां भेजती है वे ठीक वक्त पर वहां नहीं पहुंचती हैं। मैं अपने तजुर्बे से अर्ज कर रहा हूं। कुछ दिन पहले की बात है कि अपने क्षेत्र में बाढ़ के कारण कपड़ा बंटवाने के लिये कहा गया था कि एम० एल० एज० की सलाह से बंटवाया जाय और . . . .

श्री महावीरप्रसाद शुक्ल—यह किस वर्ष की बात है? इस वर्ष की ही कहें।

श्री सीताराम शुक्ल—पहले की बात है। लेकिन, हुजूरवाला, बहुत पहले की बात से भी फायदा उठाया जा सकता है। कांग्रेस गवर्नमेंट के जमाने की बात है। जब मैं भी उधर था। प्रोग्राम बना कि कपड़ा बंटवाया जाय लेकिन जब मैं वहां पहुंचा तो कपड़ा नहीं पहुंचाया गया। दोबारा प्रोग्राम बना और मैं फिर गया लेकिन तब भी कपड़ा नहीं पहुंचा। तब मुझे आगे जाना था, मैंने एक दोस्त से कहा कि मैं नहीं रुक सकता हूं और वह कपड़ा बंटवा दें। उन्होंने साफ-साफ कहा कि जिसके जिम्मे करोगे वही खायगा, मेरे जिम्मे करोगे तो मैं भी खाऊंगा। यह हालत हमारे मुल्क की है।

बाढ़ को रोकने के कामों के ठेके दिये जाते हैं, बांध बनाये जाते हैं। लेकिन यहां से चिट्ठी जाती है सिफारिश की कि ठेका फलां को दे दो। मिलना चाहिये था उसको जो इसका एक्सपर्ट है, लेकिन दिया गया दूसरे को। लिहाजा बांध टूट जाते हैं क्यों कि वे ठीक बन नहीं पाते हैं। मेरी गुजारिश है कि कुछ मकान या छप्पर पहले से बनवा दिये जावें और २४ घंटे पहले खबर कर

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री सीताराम शुक्ल]

दी जाय ताकि लोग भागकर उन मकानों या छप्परों में चले जावें। बाढ़ में मदद पहुंचाने के लिये लोगों को पहले से ही भेज दिया जाय। आपको आनरेरी मैजिस्ट्रेट मिल सकते हैं तो बाढ़-सहायक भी मिल सकते हैं।

श्री राजदेव उपाध्याय (जिला देवरिया)---माननीय अध्यक्ष महोदय, यह बाढ़ की समस्या आज किसी एक जिले की समस्या नहीं रह गयी है बल्कि पूरे प्रदेश की समस्या हो गयी है। बरसात के महीने में जब भादों का महीना आता है तो प्रदेश में एक बार सैलाब जरूर आता है, चाहे वे पूर्वी अंचल हो, पश्चिमी अंचल हो, या पर्वतीय अंचल हो और ऐसा गंभीर संकट पैदा हो जाता है जो करोड़ों आदमियों के जन जीवन को संकट में डाल देता है। इसलिये बाढ़ मंत्री जी को इस पर गम्भीरतापूर्वक सोचना चाहिये कि इसके लिये वे ऐसा रास्ता निकालें जिससे यह जो मुसीबत हर साल आती है उसको दूर करने का कोई तरीका निकल सके।

इस संम्बध में हमको अन्य देशों से भी सबक लेना चाहिये। चीन एक विशालकाय राज्य हमारे पास है। चीन का इतिहास इससे भरा पड़ा है कि वहां की सबसे बड़ी नदी हांगहों में प्रति वर्ष सैलाब आया करते थे। बड़े-बड़े नगर किसान और मजदूर उससे प्रभावित होते थे। लेकिन चीन के इंजिनियरों और वहां की सरकार ने इस बाढ़ की समस्या को लेकर नदी की धारा को इस तरह से मोड़ा और ऐसी नहरों का जाल बिछाया कि जो पहले रेतीली भूमि थी वह अब एक हरा-भरा मैदान नजर आता है।

यही हाल रूस का है। वहां भी नदियों की धाराओं को बदल दिया गया है और जहां रेतीली जमीन थी वहां हरियाली ही हरियाली नजर आती है और वहां का उत्पादन भी काफी बढ़ गया है। वैसी ही दशा हमारे प्रदेश की है। चाहे गंगा हो, चाहे जमुना या और किसी नदी का प्रश्न हो हर साल उनकी बाढ़ से करोड़ों एकड़ भूमि प्रभावित होती है।

अभी मंत्री जी ने बताया कि कितना चना बांटा गया, कितनी तकावी दी गयी और कितनी सहायता दी गयी। मैं इनके इस कार्य की सराहना करता हूं। लेकिन यह सब सहायता उस नुकसान के अनुपात में नगण्य है जो कि बड़ी गंडक, घाघरा, सरजू और छोटी गंडक से प्रतिवर्ष होता है। इनकी बाढ़ों की चपेट में लाखों एकड़ भूमि आ जाती है, धान समाप्त हो जाता है। लाखों आदमी गृहविहीन हो जाते हैं। अब इसके सामने आपका चना, पूड़ी या थोड़ी सी छूट दे देना क्या माने रखता है। माननीय मंत्री जी हमारे सदन के सम्मानित नेता हैं, वयोवृद्ध व्यक्ति हैं, अनुभवी हैं, इसलिये मैं उनसे कहना चाहता हूं कि वे कोई ऐसा तरीका निकालें जिससे अन्य देश की सरकारों की भांति, उनके इंजीनियरों की भांति ही इस समस्या का हल निकल सके, तभी हम अपने प्रदेश की बाढ़ समस्या पर काबू पा सकते हैं। हर साल जब बाढ़ आती है तो अपोजीशन की ओर से नुकसान की बात होती है, खतरे की हालत बतायी जाती है, लेकिन खतरे की हालत और नुकसान की बात कह देने मात्र से समस्या का हल नहीं हो सकता। हमें ठंडे दिल से इस समस्या पर विचार करना होगा कि ब्रह्मपुत्र के बाद बड़ी गंडक ही खतरनाक नदी है। त्रिवेणी से लेकर देवरिया तक की हजारों एकड़ जमीन को जलमग्न कर देती है, लाखों किसानों को तबाह और बरबाद कर देती है। २०–२५ साल पहले देश के इंजीनियरों ने खूब सोच विचार कर २० लाख रुपये की लागत से एक पुल बनाया। लेकिन आज इस पुल से नदी तीन-चार मील दूर चली गई है। यही हालत इसकी है कि कभी चार मील इधर या कभी चार मील उधर। आज हमारे सामने यह समस्या बनी हुई है कि किस प्रकार से इसके प्रकोप पर काबू पाया जाय। इस समस्या पर सरकार को भी विचार करना है और अपोजीशन को भी विचार करना है जिससे इस प्रकृति के प्रकोप पर विजय प्राप्त की जा सके। हम सब ऐसी फिजा पैदा करें, हम ऐसी परस्थिति में ऐसी राय दें जिससे कि आये दिन जो प्रदेश में लाखों एकड़ फसल की बर्बादी होती है, जो हर साल लाखों किसान गृहविहीन होते हैं और इस प्रकार दाने-दाने को

मुहताज हो जाते हैं, तथा सरकार के सामने भी बड़ी भारी समस्या पैदा हो जाती है, वह हल हो सके ।

मैं माननीय माल मंत्री जी का ध्यान इस समस्या की तरफ दिलाना चाहता हूं कि जिस तरह से किसी राष्ट्र के ऊपर हर साल मुसीबत आया करती है तो वह राष्ट्र उस समस्या का परमानेन्ट हल निकालता है, उसी तरह से उनको चाहिये कि वे अपने यहां की इस मुसीबत का परमानेंट हल सोच निकालें । मैं आपका ध्यान त्रिवेणी के उत्तर की तरफ ज्वालापुर आदि गांवों की तरफ दिलाता हूं जहां कि उस बड़ी गंडक नदी ने हिमालय पहाड़ से होते हुये प्रबल-वेग के साथ बहते हुये चार छः मील के अन्दर के पचासों गांवों को नेस्तनाबूद कर दिया है और वहां की हजारों एकड़ जमीन कट चुकी है । इसलिये मैं सिंचाई मंत्री जी से निवेदन करता हूं कि जिन किसानों के रहने के लिये कोई घर नहीं रह गया है, उनके आवास का और कोई तरीका नहीं है, उनके खाने पीने का कोई जरिया बाकी नहीं है, कम से कम उस क्षेत्र के उन किसानों के लगान की वसूली तुरन्त बन्द कर दें ।

कुमारी श्रद्धादेवी शास्त्री (जिला मेरठ)—आदरणीय अध्यक्ष महोदय, मुझे अफसोस है कि आज इस विषय के ऊपर चर्चा चल रही थी और मुझे आने में असमर्थता रही । यह विषय ऐसा है जिसका सम्बन्ध हमारे प्रदेश के नागरिकों के जीवन से है और जीवन अन्न से है । वास्तव में मैंने देखा कि पिछली बार जब मैं सिंचाई के बजट पर बोली थी तो केवल मेरठ जिले के मवाना तहसील के आंकड़े निकाले थे तो १९५६ से १९५९–६० तक लगभग वाटर लार्गिग से ४० करोड़ की क्षति वहां पर हुई थी । मैं आपके द्वारा सदन के सदस्यों के सम्मुख यह निवेदन करना चाहती हूं कि सन् १९५६ में जब कि मैं एम० एल० ए० नहीं थी मेरठ डिवीजन के पानी की बात कहती रही । १९५७ में मैंने सूबे की बात कही । फिर मैंने डिवीजन की बात कही और कही मवाना तहसील के वाटर लार्गिग की । आखिर बहुत कोशिश सरकारी हुई भी । मैं बड़ी आभारी हूं इस विभागीय मंत्रियों की और माननीय मुख्य मंत्री जी की और अधिकारियों की कि वे सभी वहां पधारे और तब से लेकर आज तक दुर्भाग्यवश वर्तमान सिंचाई मंत्री को छोड़कर और लोग भी पधारे, तत्कालीन सिंचाई मंत्री माननीय, कमलापति त्रिपाठी भी पधारे तथा माननीय राममूर्ति जी, चीफ इंजीनियर अग्रवाल, सुपरिंटेन्डिंग इंजीनियर्स पधारे । इस छोटे से इलाके की समस्या के हल के लिये मैं इंजीनियर अग्रवाल से भी दसों बार मिली लेकिन मवाना तहसील के किठौर परगने की वाटर लार्गिग की वह समस्या हल नहीं हो सकी । तो मैं क्या सोचूं, कैसे कहूं कि इंजीनियर्स में इतना विवेक नहीं है, उसकी कमी है अगर ऐसा कहूं तो कहा जा सकता है कि मैं ऐसे विद्वानों की निन्दा करती हूं और यदि यह कहूं कि हृदय नहीं है तो वे भी इसी देश व प्रदेश का अन्न खाते हैं, घरबाम पर रहते हैं, यह भी कैसे कहूं । परन्तु, यह है कि कैसी विडम्बना कि यह समस्या हल क्यों नहीं हो पाती ? जब एक छोटे से किठौर क्षेत्र की समस्या हल नहीं हो पाती तो अभी जो मेरे एक भाई कह रहे हैं कि नदियों का पानी किसी प्रापर चैनेल में रोक लिया जाय और जब आवश्यकता पड़े तब उसका सदुपयोग हो उससे सिंचाई हो तब वह तो एक बहुत बड़ा लक्ष्य होगा । जब एक छोटे से मवाना के परगना किठौर की समस्या हल नहीं हो सकी और जब हर बार मुज्जफ्फरनगर की जानसठ तहसील से लेकर मेरठ की मवाना तहसील हापुड़ से बुलन्दशहर तक १०० गांव डूब जाते हैं और आज भी ४० गांव डूबे हैं, जब वहां की समस्या हल नहीं हुई तो मेरा कहना यह है कि माननीय उपनेता सदन स्वंय वहां जांय और देखें या स्वंय इन्क्वारी करायें । जब मैं जा सकती हूं, एम० एल० एज० जा सकते हैं, वहीं की महिलायें पानी में तैरकर जा सकती हैं, तो ये आपके अफसरान वर्षा काल में बंगलों में बैठे रहें तो यह बड़ी शर्मनाक स्थिति है । मैंने चीफ इंजीनियर को लिखा, माननीय मंत्री जी को १९ जुलाई, १९६० को लिखा लेकिन सुपरिंटेंन्डिंग इंजीनियर, चीफ इंजीनियर सभी वहां पहुंचते हैं, इस बार मेरे लिखने के बाद पहुंचे हैं । लेकिन उनके पहुंचने के बाद समस्या वहीं की वहीं रहे तो यह कैसी सरकारी प्रगति का नमूना है । लेकिन इसी आदर्श से कैसे प्रदेश की बाढ़ समस्या हल होने वाली है । मैंने कहा कि मैं अभी आयी और मैंने कोई आंकड़े भी इकट्ठा नहीं किये हैं । लेकिन मेरा निवेदन है कि माननीय उपनेता सदन एक सर्वे करावें

[कुमारी श्रद्धादेवी शास्त्री]

और वह सर्वे वर्षा तथा बाढ़ काल में करायी जाय और इस तरह का हिसाब रक्खा जाय कि हर साल उन्होंने क्या-क्या किया और उसमें कितनी प्रगति हुई और जब सर्वे हो तो हर विभाग के, रेवेन्यू विभाग के, पी० डब्लू० डी० के, सिंचाई आदि के अधिकारी लोग वहां मौजूद होने चाहिये ।

अन्त में मैं वहां पर जो इक्ला ड्रेन और बानी ड्रेन है उनके बारे में कहना चाहती हूं कि ४० गांव वहां सन् १९५६ से आज तक डूबे हुये हैं । यहां का वाटर लार्गिग है, वाटर लेविल हाई है । अतः उनकी आबपासी व तकावी माफ होनी चाहिये और इस क्षेत्र की विशेष योजना बने । मैं कहना चाहती हूं कि इक्ला ड्रेन पर जितने पुल थे सब टूट गये हैं तोकापुर का पुल टूट गया, धनपुर का पुल टूट गया, पसवाड़े का पुल टूटा, माछरे का पुल टूटा, यह सब टूट गये हैं, इनके कागजों पर कुछ हो लेकिन यह सब उदाहरण में दे रही हूं । तीन बार इन पुलों की मरम्मत हुई, १९५७ में इन पुलों की रचना हुई और एक-एक पुल पर ६५ हजार, ७० हजार रुपये लगे हैं । तो मेरा निवेदन है कि उस क्षेत्र को बचाने के लिये और प्रदेश के जिन क्षेत्रों में दो-दो और तीन-तीन मन बीघा अनाज होता था उनके बचाने के लिये पूरी चेष्टा की जाय ताकि प्रदेश को पूरा लाभ हो ।

*श्री नन्दराम (जिला प्रतापगढ़)—मेरा सम्बन्ध, श्रीमन्, दो जिलों से है प्रतापगढ़ से और बुलन्दशहर से । बुलन्दशहर का मैं रहने वाला हूं और प्रतापगढ़ से एम० एल० ए० हूं । इसलिये मैं चाहता हूं कि मुझे समय दूना मिले ।

श्री अध्यक्ष—आप भी पांच ही मिनट लेंगे । आपने कहा था कि आप बुलन्दशहर के बारे में ही बोलेंगे क्योंकि उसके बारे में कोई बोला नहीं है ।

श्री नन्दराम—श्रीमन्, मैं जन्माष्टमी की छुट्टियों में बुलन्दशहर गया था और वहां से बहुत से आदमी भी आये थे । वैसे तो वहां कई सालों से बाढ़ का बहुत गहरा प्रभाव रहा है लेकिन इस वर्ष बुलन्दशहर की दशा बहुत ही दयनीय है । वहां शुरू में तो वर्षा बहुत कुछ पिछड़कर हुई । जब कुछ बारिश हुई तो फसल बोई गई । जब फसल बोई गई तो फिर लगातार बारिश होती रही । वहां सिवाय ईख की खेती के और कोई फसल नहीं है । मक्का, जंबरी और कपास सब फसलें मारी गईं । मनुष्यों के खाने के लिये तो है नहीं पशुओं के लिये वहां पर चारा तक नहीं है । लोग पेड़ों पर के पत्ते तक खिला चुके हैं, घास भी नहीं है, पशु भूखों मर रहे हैं और वहां एक फसल भी नहीं हुई । सारा जिला वर्षा और नदी के बाढ़ से प्रभावित हुआ है यहां तक कि जमुना, गंडक और काली नदी से प्रभावित हुआ । लेकिन वहां पर एक छोटा छोइया है, उसने भी तमाम जमीन को चौपट कर दिया है । तो बुलन्दशहर की जो दशा है उसको देखते हुये जो १० हजार रुपये का अनुदान और ८० हजार की तकावी है, जिस जिले से १० एम० एल० ए० हों, जहां की आबादी १२–१३ लाख हो, वह नगण्य है ।

श्री अध्यक्ष—आप प्रति एम० एल० ए० के हिसाब से अनुदान बांटने को कह रहे हैं ?

श्री नन्दराम—मैं आबादी बता रहा हूं कि १२-१३ लाख है । जो यह दिया गया है कि २२७ गांव प्रभावित हुये हैं, यह तो बड़े-बड़े गावों का जिक्र है । २२७ तो बहुत कम लिखे गये हैं । मैं अभी जन्माष्टमी पर गया था तो वहां हाहाकार मचा है, हजारों गांव प्रभावित हुये हैं । शायद ही कोई ऐसा खुशनसीब गांव होगा जहां खरीफ की फसल हो वरना लोग और जानवर भूखों मर रहे हैं । बुलन्दशहर को हमें अधिक धन देना चाहिये, पिछले सालों में भी वह प्रभावित होता रहा है ।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

श्री हुकुमसिंह बिसन—माननीय, अध्यक्ष महोदय, मैं अपने तमाम मित्रों का जिन्होंने इस विवाद में भाग लिया है, बड़ा मशकूर हूं। उन्होंने सुझाव भी दिये हैं और अपनी तमाम बातें भी कहीं हैं। एक बात यह कही गई थी कि हमने जो फिगर्स दी हैं और जो स्टेटमेंट में फिगर्स हैं उनमें कुछ अन्तर कहीं-कहीं पर है। उसके बारे में मुझे केवल यह कहना है कि कल दो बजे रात तक जितनी फिगर्स आती गईं प्रेस में भेजते गये और वहां उसमें करेक्शन करके और जहां तक सही फिगर्स हम दे सकते थे उसमें दी गईं। हमको यह मौका नहीं मिला कि हम अपने नोट में उनको कम्पेयर कर सकते। इसलिये कुछ फर्क हो सकता है। यह मंशा मेरा कभी नहीं हो सकता कि फिगर को कम करके बताऊं....

श्री अध्यक्ष—अप-टू-डेट कौन-सी है ?

श्री हुकुमसिंह बिसेन—स्टेटमेंट में। क्योंकि अगर हमें कोई ऐसा फरेब करना था तो उनको भी हम करैक्ट नहीं करते। इतनी अक्ल तो हममें माननीय सदस्यों को माननी चाहिये कि ऐसा कोई डाक्यूमेंट हम नहीं तैयार करके दे सकते हैं जो हमारे बयान को कंट्राडिक्ट करे। तो इसलिये यह फर्क हो सकता है। यह नहीं कि मैंने कुछ सप्रेस किया हो।

जहां तक सैलाब का सम्बन्ध है, एक बहुत बड़ी प्राब्लम है, कालोसल प्राब्लम है। यह कह देना तो आसान है कि सरकार ने इसका कोई प्रबन्ध नहीं किया। सरकार ने मास्टर प्लान बना रखा है और उस मास्टर प्लान को कंट्रोल बोर्ड ने एप्रूव किया। उसमें हमारे डैम, रिजरवायर सब बनने हैं और प्रायर्टी बेसिस पर बनेंगे। बाज वक्त ऐसी दिक्कतें पड़ती हैं, जो बड़े-बड़े दरिया हैं वह नेपाल टैरीटोरी से निकलते हैं, नैपाल स्टेट की बिना इजाजत के हम वहां कुछ कर भी नहीं सकते, सर्वे भी नहीं कर सकते। तो यह भी हमारी दिक्कत है। जलकुन्डी की योजना बन रही है। अब इजाजत मिली है, उसमें कार्यवाहियां हो रही हैं। इसके अतिरिक्त धन की भी बहुत जरूरत है। हमारे भाई राजदेव जी ने कहा कि चीन ने तो यह कर दिया, रूस ने यह कर दिया, लेकिन यह नहीं देखा कि आपकी थैली में कितना पैसा है। अरबों रुपये की जरूरत पड़ेगी। हम तो उससे दूना करने के लिये तैयार हैं और आज करने के लिये तैयार हैं बशर्ते कि काफी धन मुहैया हो, काफी साधन हमारे पास उपलब्ध हों। हम एक योजना के साथ चल रहे हैं और उसके अन्तर्गत काम हो रहा है। हमारे मित्र गोविन्द नारायण तिवारी इत्तफाक से अब नहीं हैं, दीदादा-निस्ता यहां से गैर हाजिर हो गये। क्योंकि उन्होंने चन्द बातें कहीं थीं जिनका जवाब उनको सुनना चाहिये था। उन्होंने कहा कि मैंने कोई ऐसी योजना नहीं बनाई जो फ्लड कन्ट्रोल के बारे में हो। या तो वह थे नहीं या अटेनटिव नहीं थे या समझे नहीं। सुनाते बहुत हैं, सुनते नहीं। उन्होंने कहा कि हमको राजस्व मंत्री के बयान से बड़ा डिसएप्वाइंटमेंट हुआ। मैं क्या कहूं उनकी बातों पर मुझे इतना डिसएप्वाइंटमेंट हुआ जिसका कुछ कहना नहीं। एक बात उन्होंने ऐसी कही जिसका जवाब देना जरूरी भी मालूम होता है और जवाब देने में मुझे हिचक भी है। उन्होंने कहा कि बहराइच को ज्यादा रुपया दिया और जालौन को कम दिया। हमारे भाई भजन लाल ने कहा इटावा को कम दिया और बहराइच को ज्यादा दिया। श्रीमान् जी, इटावा में १७,२९१ एकड़ खेतों की जमीन प्रभावित है। १८ हजार ग्रेचुटस और ५० हजार तकावी दी, कुल मिलाकर ६८,००० रुपया दिया। जालौन में ७६,००० एकड़ जमीन प्रभावित है, वहां के लिये १५ हजार ग्रेचुटस और ९०,००० रुपया तकावी, कुल मिलाकर १,०५,००० रुपया दिया। बहराइच में २,००,००० एकड़ जमीन प्रभावित है वहां २५,००० रुपये ग्रेचुटस रिलीफ में दिया और ५०,००० रुपया तकावी दी, कुल मिलाकर ७५,००० रुपया दिया। अब मुझे केवल इतना ही कहना है कि "one sees the reflection of his own heart" इसलिये यह बात उन्होंने बड़ी अनुचित कही और मेरे ऊपर जो आक्षेप किया वह किसी तरह से उचित नहीं था। लोग कहते हैं कि आबादी के बेसिस पर सहायता दीजिये। जैसा नन्द राम जी ने कहा कि हमारे यहां की ज्यादा आबादी है। तो आबादी पर मदद नहीं दी जाती बल्कि नुकसान पर दी जाती है। कौन सी धारणा लोग ले कर बोलने लगते हैं मेरी समझ में नहीं आता।

[श्री हुकुमसिंह बिसेन]

जब मैंने अपने बयान में कहा कि कलेक्टर जहां-जहां जितना मागेंगे हम बिला किसी लिहाज के उसको देख कर फौरन मन्जूर करेंगे फिर इसके बाद तो कोई बात उठती ही नहीं। अपनी तरफ से तो हम बिना मांगे कलेक्टर को भेज नहीं देंगे। ऐसी अनुचित कार्यवाही हम नहीं करेंगे।

बहुत-सी बातें कही गई कि बंध बने वह गड़बड़ हैं। प्रभुदयाल जी ने कहा कि बंध न बनवाने चाहिये। श्रीमती राजेन्द्र कुमारी जी कहती हैं बनने चाहिये। दोनों एक ही जिले से आते हैं, दोनों की बातें एक दूसरे के विरुद्ध। अब हम किसी की बात मानें, अगर कोई एक इत्तफाक राय हो कर बात सुझायें तो उस पर विचार भी किया जाय।

यह कहा गया कि रेलीफ इनएडिक्वेट है। उसके बारे में मैं क्या कहूं? जब मेरा यह बयान हो चुका है कि जहां से जो मांग आयेगी हम उसे कंसीडर करके देंगे तो इन एडिक्वेसी का सवाल पैदा नहीं होता। अगर हम यह कह दें कि जो हमने दे दिया वह दे दिया, अब आगे नहीं देंगे तब तो वह बात ठीक हो सकती थी।

हमारे भाई मदन जी ने बिला वजह कई डिमान्डस हमसे कर दीं। उन्होंने कहा कि सरकार रकमों की वसूलयाबी बन्द करे। मैंने शुरू में ही कह दिया था कि मालगुजारी और तकावी की वसूलयाबी हमने बन्द कर दी है। इसलिये वह डिमान्ड बेकार है।

टेस्ट वर्क के बारे में भी कहा गया, कुंवर श्रीपाल जी ने कहा कि मैंने कलेक्टरों को हिदायत कर दी है कि जब पानी कुछ सब्साइड हो जाय तो जहां-जहां आप मुनासिब समझें, जरूरत हो लोगों को मदद पहुंचाने की, जहां गरीब लोग हैं, परेशान हाल हैं, वहां पर टेस्ट वर्क खोलने का रेकमेंडेशन हमारे पास भेजिये और मैं देखभाल करके उसकी मन्जूरी दूंगा, क्योंकि जब सरकार हर तरह से मदद करने के लिये तैयार है तो जिन-जिन तरीकों से उनकी मदद हो सकती है हम करेंगे। हमारे मित्र ने कुछ सड़कें बतायी हैं। वे जिलाधीश से मिल कर आपस में तय कर लें, अगर वे सड़कें बन जायं तो हमें क्या एतराज है।

राजा बीरेन्द्रशाह—जालौन में आगा क्षेत्र की कमेटी के लिये भी हमने कहा था।

श्री हुकुमसिंह बिसेन—वह तो लोकल सेल्फ गवर्नमेंट से कहिये, वही करते हैं। उनको वहीं से ग्रांट मिलती है।

हमारे बड़े भाई ने एक बात कही कि सरकार की नीति कलुषित है, दूषित है, त्रुटिपूर्ण है। इस सम्बन्ध में मैं ज्यादा क्या कहूं, मैं ऐसे बढ़िया हिन्दी के शब्द भी इस्तेमाल नहीं कर सकता। केवल इतना कहना चाहता हूं कि हमारी और उनकी ऐनक में फर्क है। उनकी मायनस है, हमारी प्लस है। लिहाजा जो हम ठीक समझेंगे उनको गलत मालूम होगा और जो वह ठीक समझेंगे हमको गलत मालूम होगा। हमारे और उनके फंडामेंटल डिफरेंसेज हैं। हमारा और उनका ऐग्रीमेंट हो नहीं सकता और जब ऐनक में एख्तलाफ है तो नजरिये का भी एक दूसरे से एख्तलाफ होगा।

मैं फिर अपने माननीय सदस्यों से नम्र निवेदन करना चाहता हूं कि हम अपने अफसरों को खामोश बैठने न देंगे। मुझे यह कहने में संकोच नहीं है कि हमारे फिगर्स अनुमानित हैं और पानी कम होने पर डैमेजेज का ऐस्टीमेट होगा। मकान कहां-कहां गिरे हैं और कितने गिरे हैं, इनका शुमार होगा। जब एक्चुअल फिगर्स आ जायेंगे तो इनसे ज्यादा भी हो सकते हैं और कम भी हो सकते हैं। हमारा यही प्रयास रहेगा कि हम सही फिगर्स मंगाकर वस्तु स्थिति की जानकारी करें और जो सहायता कर सकते हैं उसको करने की कोशिश करें। (व्यवधान) फीस माफ करने के संबंध में मैं बड़ा खिलाफ हूं क्योंकि मसल मशहूर है कि कोदो देकर पढ़ा है। इसलिये

फीस माफ होने पर वह बेकार समझा जायगा। इसलिये उसूलन मैं इसके खिलाफ हूं। इन शब्दों के साथ मैं सबका शुक्रिया अदा करता हूं।

श्री अध्यक्ष—अब हम उठते हैं और आगामी सोमवार को ११ बजे फिर बैठेंगे।

(इसके बाद सदन ५ बजकर ३० मिनट पर सोमवार, १२ सितम्बर, १९६० के ११ बजे दिन तक के लिये स्थगित हो गया।)

देवकीनन्दन मित्थल,
सचिव, विधान सभा,
उत्तर प्रदेश।

लखनऊ:
१० सितम्बर, १९६०

उत्तर प्रदेश विधान सभा

पी० एस० यू० पी०—ए० पी० १६४ एल० ए०—१९६०—८४५।